खण्ड-127, अंक-3
बुधवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1875
(16 दिसम्बर, 1953 ई0)

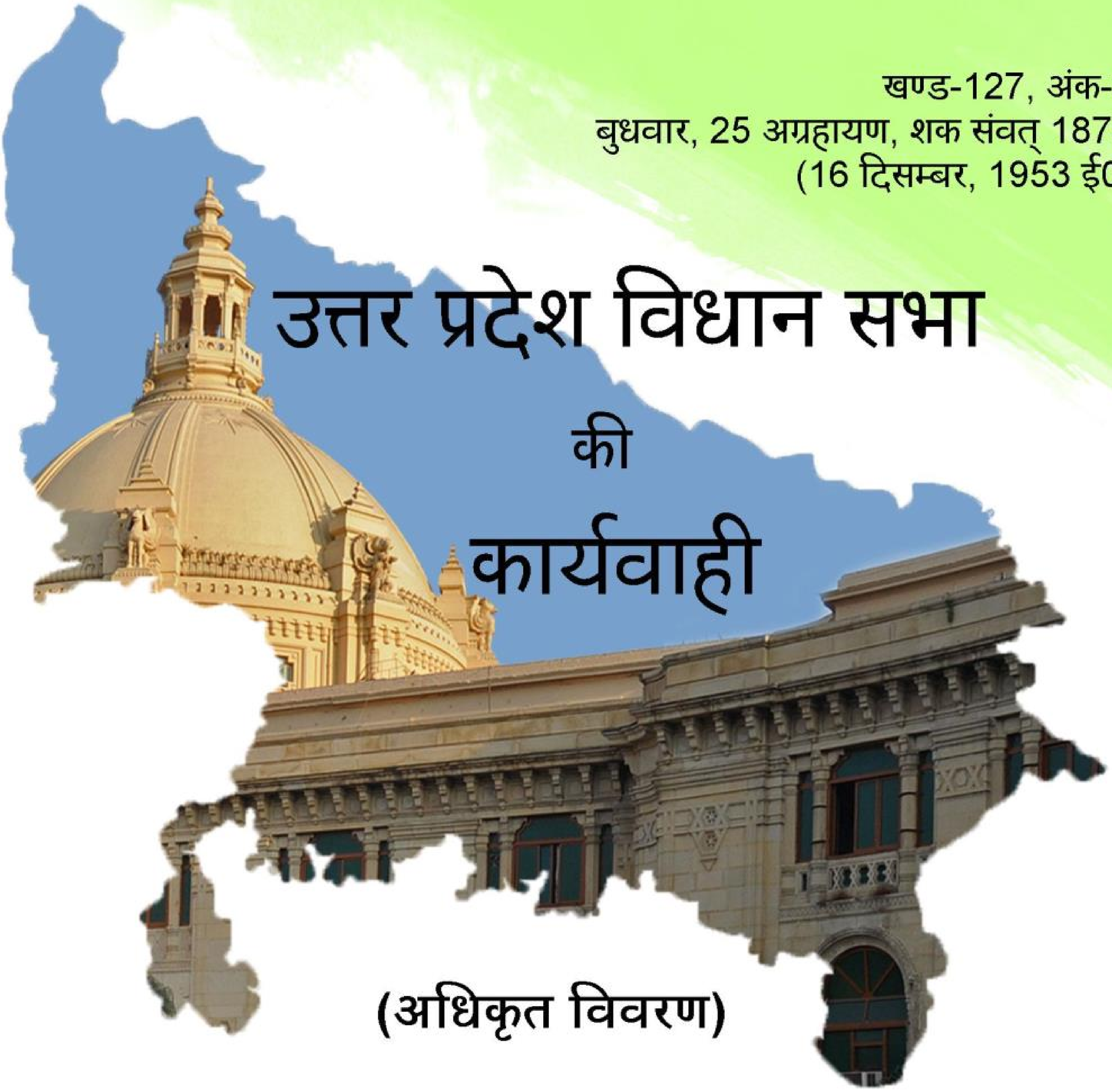

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 127 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार जारी)	२४५–२५१
राज्यपाल के व्यक्तित्व के विरुद्ध भाषण करने पर वैधानिक आपत्ति	२५१–२५२
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार जारी)	२५२–२८३
विधान सभा की बैठक का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२८३–२८४
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार जारी)	२८४–२८७
उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ (विचारोपरान्त पारित) ..	२८७–२९०
नत्थी	२९१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५९)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खाँ, श्री
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहन निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमला पति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्दमो हिले उपनाम छन्ननगुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर', श्री
कूंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह श्री

गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेज सिंहा, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसादसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुंवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मल्फ़ी शेरवानी, श्रीमती

संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदा नन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में मनियर टाउन एरिया के अस्पताल की सुव्यवस्था

*१—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के मनियर टाउन एरिया का अस्पताल अर्थाभाव के कारण सुव्यवस्थित नहीं है ?

*२—क्या सरकार को मालूम है कि मनियर क्षेत्र, जिला बलिया के करीब पचास हजार व्यक्तियों की दवा तथा इलाज के वास्ते मनियर टाउन एरिया का अस्पताल ही है ?

*३—क्या सरकार इस अस्पताल की इमारत के लिये तथा इसे दवा इलाज के सामानों से सुसज्जित करने के लिये उचित अनुदान देने की कृपा करेगी ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जिस योजना में मनियर टाउनएरिया का अस्पताल है उसके अनुसार चिकित्सक को ५० रुपये माहवार सबसिडी मिलती है और अस्पताल के लिये ११४० रुपये साल (जिसमें १८० रुपये दवाओं के लिये है) निर्धारित है। "सबसिडी" की पूरी रकम सरकार देती है और अन्य खर्चा आधा आधा बोर्ड और सरकार द्वारा दिया जाता है। किसी अतिरिक्त अनुदान की प्रार्थना आने पर उस पर विचार होगा।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस अस्पताल से कितने मरीज सालाना लाभ उठाते हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार इस अस्पताल के लिये एक पूरी तनख्वाह पर डाक्टर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा।

एपिडेमिक असिस्टेंटों की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण के नियम

*४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि प्रदेश में कितने Epidemic Assistants आज कार्य कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—प्रदेश में १७७ एपिडेमिक असिस्टेंट आजकल कार्य कर रहे हैं।

*५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उनके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किये जाने का क्या नियम है ?

श्री बनारसी दास—साधारणतः उनका स्थानान्तरण किसी स्थान पर व्यापक रूप से किसी संक्रामक रोग के प्रकोप पर अथवा विशेष मेलों में कार्य करने के हेतु किया जाता है। प्रकोप के उपशम होने पर या मेलों के अन्त होने पर वे पुनः अपनी अपनी नियुक्ति के स्थानों पर वापिस कर दिये जाते हैं।

पानी कल बनारस के निकाले गये कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र

*६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पानी कल बनारस के ६५ निकाले गये मजदूरों की ओर से जो दरख्वास्तें श्रम मंत्री की सेवा में सितम्बर, १९५२ में आई थीं, उनके विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—सरकार के पास ४९ ऐसे कर्मचारियों की दरख्वास्तें, उनके निकाले जाने के चार वर्ष बाद अक्तूबर, १९५२ में आई थीं। उनमें प्रार्थना की गई थी कि उनको फिर से काम पर नियुक्त किया जाय अथवा उनका मामला औद्योगिक ट्रिब्यूनल (Industrial Tribunal) के सामने औद्योगिक विवाद कानून (Industrial Disputes Act, 1947) के अनुसार कार्यवाही के लिये रक्खा जाये। उनके स्थानों पर नये कर्मचारियों को स्थायी रूप से रख लिया गया था। नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के ऐसे मामले औद्योगिक ट्रिब्यूनल (Industrial Tribunal) के सामने नहीं जाते। अतएव उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पानी कल बनारस के कर्मचारी क्यों निकाले गये थे ?

श्री मोहन लाल गौतम—इल्लीगल स्ट्राइक करने के लिये।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उद्योग विभाग के कानून में कुछ परिवर्तन करने वाले हैं जिससे पालिका, टाउन एरिया और कारपोरेशन्स कर्मचारियों को औद्योगिक कानून में अपील करने का अधिकार हो सके ?

श्री मोहन लाल गौतम—लोकल बाडीज के कर्मचारियों के मामले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जाते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार लोकल बाडीज के झगड़ों को मिटाने के लिये कोई कानून बनाने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अभी तो ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न ४–६ श्री रामसुन्दर पांडे ने पूछे।

आयुर्वेदिक राजकीय औषधालयों के लिये ग्रामों में भवन की असुविधा

*७—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि आयुर्वेदिक राजकीय औषधालयों के लिये ग्रामों में समुचित भवन की सुविधा नहीं है ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ।

*८—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार इन औषधालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिये राजकीय प्राइमरी पाठशाला की भांति आधा व्यय भार स्वयं और आधा जनता से सहायता लेकर भवन निर्माण पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस आर्थिक संकट के समय इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सका औषधालयों के लिये छोटे-छोटे भवनों की जरूरत है और जनता को स्वयं ही उन्हें निर्माण करना चाहिये।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार इन भवनों के निर्माण में मैटीरियल, जैसे कोयला, लोहा आदि की सहायता दे सकती है ?

श्री बनारसी दास—जी हाँ। जहाँ पर भवन निर्माण के लिये इस प्रकार की माँग की जायगी अवश्य इस प्रकार की चीजों के लिये सरकार सहायता देगी।

जन-संख्या के अनुपात से राजकीय औषधालय खोलने की योजना

*९—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामों में राजकीय औषधालय के खोलने का आधार योजना में जनसंख्या के अनुपात से है या दूरी के अनुपात से है ?

श्री बनारसी दास—ग्रामों में चिकित्सालय स्थापित किये जाते समय जन-संख्या और दूरी दोनों पर विचार किया जाता है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितनी जनसंख्या पर। एक अस्पताल खोलने का नियम है और कितनी दूरी पर ?

श्री बनारसी दास—प्रायः ५ मील की दूरी का ध्यान रखा जाता है और ५ मील दूरी के अन्तर्गत जितने भी गाँव आते हैं उनकी आबादी को देखकर निश्चय किया जाता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ भवन आदि मिलने की सुविधा है। ग्रामवासियों की ओर से या तो बिला किराये के भवन मिलने की या अपनी तरफ से भवन निर्माण करने की सुविधा है, इसका भी ख्याल किया जाता है।

जिला अल्मोड़ा में जैनोला रामगंगा के पुल की मरम्मत

*१०—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के इलकापाली पट्टी नया में जैनोला राम गंगा का पुल जो गंगा की बाढ़ से खराब हो गया था, दो साल से बे मरम्मत पड़ा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस पुल की साधारण मरम्मत जिला बोर्ड द्वारा कराई जा चुकी है।

*११—श्री खुशी राम—क्या सरकार इस पुल की मरम्मत यथाशीघ्र करा देने का विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो मरम्मत जिला बोर्ड ने करा दी है उसके अतिरिक्त कोई सुधार कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री खुशीराम—क्या मान्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल की मरम्मत कब की गई ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह पुल सन् १९५१ में खराब हुआ था और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उसकी मरम्मत कराई।

बस्ती जिले में चोरी से गल्ला बाहर भेजने का केस

*१२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बस्ती जिले में गत अगस्त, सन् ५२ में या उसके लगभग ४ गाड़ी गल्ला ए० पी० स्कीम का जो चोरबाजारी से बाहर भेजा जा रहा था तहसील हरैया के नायबतहसीलदार द्वारा पकड़ा गया था ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी हां, ९ बोरा ज्वार और ७ बोरा जव तहसीलदार हरैइया ने हरैया से बिक्रमजोत जाते हुये २३ अगस्त, १९५२ को पकड़े थे। यह गल्ला ए० पी० स्कीम का जान पड़ता था और इसे ब्लैक मार्केट में बेचे जाने का संदेह था।

*१३—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जांच हुई ? यदि हां, तो उस जांच का क्या फल निकला ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, पुलिस द्वारा जांच कराने के पश्चात् मामला न्यायालय को भेज दिया गया परन्तु अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राजाराम शर्मा—मामला न्यायालय में किस तारीख और किस महीने में भेजा गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—पुलिस की तहकीकात के बाद यह मामला अदालत में भेजा गया था।

श्री राजा राम शर्मा—मेरा प्रश्न था कि किस तारीख और किस माह में वह केस अदालत में भेजा गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—तारीख की सूचना मैं इस समय नहीं दे सकता, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको यह सूचना दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—नोटिस मांग लिया कीजिये।

बस्ती जिला बोर्ड को वापस की हुई सड़कें

*१४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की जो सड़कें बोर्ड को वापस हुई हैं उनमें से किन किन सड़कों को कितनी कितनी सहायता १९५२–५३ के वित्तीय वर्ष में बस्ती जिला बोर्ड को मिली हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—जिला बोर्ड, बस्ती को वापस की गई समस्त कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिये सन् १९५२–५३ ई० के वित्तीय वर्ष में १९,००० रुपये का अनुदान सरकार ने स्वीकृत किया था। प्रत्येक सड़क के लिये अलग अलग अनुदान नहीं दिया गया।

श्री राजाराम शर्मा—कितनी सड़कें जिला बोर्ड को वापिस की गयी हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—कुल १५ सड़कें वापिस की गयी हैं और उनकी लंबाई ९७ मील है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बोर्ड को वापिस की गयी हैं उनके रख-रखाव के लिये यह रुपया दिया गया है या कि उनके मैटलिंग के लिये ?

श्री मोहन लाल गौतम—सिर्फ उनके रख-रखाव के लिये।

श्री अब्दुल मुईज खां—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सड़कें बोर्ड को वापिस की गयी हैं क्या उनमें कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जो बिलकुल कच्ची हैं और जिन पर मिट्टी भी नहीं पड़ी है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कच्ची सड़कों का ही सवाल है ?

सन् १९५१ और १९५२ में कबाल टाउन्स में कोयला चूर तथा सीमेंट का वितरण

*१५—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या अन्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न Cabal Town में कितना-कितना सन् १९५१ और सन् १९५२ में कोलडस्ट दिया गया ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५१ और १९५२ में कबाल टाउन्स को जितना जितना कोयला चूर दिया गया उसकी एक सूची मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९१ पर।)

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह अलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—इसका आधार यही रहा है कि वहां की पहली आवश्यकताओं और जिले तथा शहर की आबादी के हिसाब से कोटे का अलाटमेंट किया जाता है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरे का कम कोटा नियत किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—आगरे के कोटे में कोई विशेष रूप से कमी नहीं हुई है। पहले सालों के अन्दर जो आबादी थी और उन दिनों में उसकी जितनी जरूरियात थीं ीं आधारों पर वहां का कोटा नियत किया गया है।

*१६—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या अन्नमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न Cabal Towns में सन् १९५१ और सन् १९५२ में कितना सीमेंट दिया गया ?

श्री बनारसी दास—१९५१ और १९५२ में कबाल जिलों को कितना सीमेंट दिया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है—इन जिलों में ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों के बटवारे के पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

साल	सेन्टर	प्राप्ति	
१९५१	कानपुर	१४६२०	टन
	इलाहाबाद	८०४४	,,
	बनारस	१२०२१	,,
	आगरा	६२५१	,,
	लखनऊ	६७३४	,, १२ हंडरवेट
१९५२	कानपुर	१८२८२	,,
	इलाहाबाद	१०४९५	,,
	बनारस	१००६१	,,
	आगरा	७०९५	,, १४ ,,
	लखनऊ	९६१२	,, १५ ,,

श्री देवकी नन्दन विभव—प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से आगरे की जनसंख्या का नम्बर तीसरा आता है लेकिन सीमेंट के एलाटमेंट में जो उसे सबसे कम दिया जाता है क्या उसका कोई विशेष कारण है ?

श्री बनारसी दास—इसके अलावा जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं उनका कोटा इसके अन्दर शामिल नहीं है और वहां पर निर्माण के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अलग कोटा दिया जाता है जिसका विवरण इस वक्त मेरे पास नहीं है। और इस वक्त सीमेंट का एलाटमेंट जो है वह वहां की जितनी पहले आवश्यकता थी उसी के आधार पर निश्चित किया गया है।

नैपाल से प्राप्त चावल का बीज

*१७—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ में चावल के बीज नैपाल से मंगाये गये। यदि हां, तो किस कीमत पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां। सन् १९५२ में जो चावल के बीज नैपाल से खरीदे गये थे उनकी कीमत धान के ग्रेड के अनुसार दी गई थी जो इस प्रकार थी :—

धान ग्रेड २	१८ रु० प्रति मन
धान ग्रेड ३	१६ रु० प्रति मन
धान ग्रेड ४	१३ रु० ८ आने प्रति मन

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि नैपाल से ये जो बीज आये उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—नैपाल से जो बीज आये उसका अच्छा परिणाम रहा। उसके खिलाफ कोई शिकायत सरकार के पास नहीं पहुंची।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये चावल के बीज कहां कहां बोये गये हैं जो नैपाल से आये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जिन-जिन जिलों ने मांग की उन-उन जिलों को ये चावल के बीज दिये गये।

ईंट पकाने के लिये जौनपुर जिले में कोयले का वितरण

*१८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जौनपुर जिले में १९५२-५३ में कितने वैगन कोयला ईंट पकाने के लिये दिया गया ?

श्री बनारसी दास—२२५ वैगन।

*१९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक वर्ष कितना कोयला जौनपुर शहर और कितना गांवों के हिस्से में पड़ता है ?

श्री बनारसी दास—शहर और गांव के बीच जिले के कोयले के कोटे का निर्धारित बंटवारा नहीं है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि २२५ वैगन कोयला सरकार और आम जनता को दिये गये या केवल आम जनता को ?

श्री बनारसी दास—यह सार्वजनिक कोटा है, इसके अन्दर सरकारी कार्यों का कोटा शामिल नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या जौनपुर से अधिक कोयले की मांग की दरख्वास्तें सरकार के पास आई थीं ?

श्री बनारसी दास—यह निश्चित तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां तक कोयले की मांग का सवाल है वह तो प्रायः सभी जिलों से आ रही है।

खरौली रायबरेली जिले की अदालत पंचायत में दायर मुकदमे

*२०—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले की सलोन तहसील के खरौली अदालत पंचायत में १ जनवरी, सन् १९५२ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५२ के अन्त तक कुल कितने वाद दायर किये गये, कितनों का निर्णय हो गया और कितनों का निर्णय होना अभी बाकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—कुल २७ मुकदमें दायर हुये। ४ मुकदमों का निर्णय दिसम्बर, १९५२ में ही हो गया था। शेष २३ मुकदमें अनिर्णीत हैं।

*२१—श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि रायबरेली के जिलाधीश ने जिला पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट पर सरकार से उक्त अदालत पंचायत के सरपंच को उसके पद से हटाने के लिये अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं। यह सही नहीं है।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार यह कृपा करके बतायेगी कि जब एक वर्ष में २७ मुकदमों में से सिर्फ ४ ही मुकदमों का निर्णय हुआ तो फिर २३ के न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहन लाल गौतम—पंचमंडल का कोरम पूरा न होने की वजह से।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सन् १९५२ में ही नहीं सन् १९४९ से अब तक बहुत से मुकदमें ऐसे पड़े हुये हैं जिनके निर्णय अभी नहीं हुये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि उक्त सरपंच महोदय इस समय भी जिलाधीश के आदेश से मुअत्तल हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी भी सूचना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचमंडल का कोरम पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम—आपसी झगड़ों के कारण।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आपस में यह झगड़े थे उनको दूर करने का सरकार ने कोई उपाय किया।

श्री मोहन लाल गौतम—सरपंच के खिलाफ कुछ शिकायतें आईं उनकी तहकीकात हुई और उनको कड़ी चेतावनी दी गई।

श्री दल बहादुर सिंह—क्या यह सही है कि वर्तमान जिलाधीश ने अपने हाल ही के निरीक्षण में उनके खिलाफ खुली जांच का आदेश दिया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

विजयगढ़, जिला मिर्जापुर में चिकित्सा-व्यवस्था

*२२—श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को विदित है कि जिला मिर्जापुर में तहसील राबर्ट्सगंज के विजयगढ़ परगने के ३०० वर्ग मील के क्षेत्र में स्थित एक मात्र जिला बोर्ड के औषधालय के टूट जाने से वहां की ३०,००० जनता की चिकित्सा तथा दवा की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में सरकार कोई राजकीय औषधालय खोलने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—विजयगढ़ जिला मिर्जापुर में एक सब्सीडाइज्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर यूनिट था जो कि चिकित्सक के अभाव के कारण ११ सितम्बर, १९५१ से बन्द कर दिया गया। जिला बोर्ड को आदेश दे दिया गया है कि प्रयत्न करके यूनिट को दोबारा चालू करें। इस स्थान पर राजकीय चिकित्सालय खोलने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री राम स्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो आदेश दिये गये थे उसके फलस्वरूप अब तक क्या प्रयत्न हुये ?

श्री बनारसी दास—अभी तक तो कोई यूनिट खाली नहीं हुआ।

*२३—श्री राम स्वरूप—क्या सरकार को पता है कि यह क्षेत्र प्रतिवर्ष तीन माह तक मलेरिया से आक्रांत रहता है ? यदि हां, तो इसके निवारणार्थ सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस समय यह भाग उत्तर प्रदेश की मलेरिया निरोधक योजना में सम्मिलित है जो सितम्बर, १९५२ ई० में प्रारम्भ की गई थी। अब केन्द्रीय शासन द्वारा निर्मित नेशनल मलेरिया कंट्रोल स्कीम नामक एक बड़ी योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाली प्रस्तावित ५ यूनिटों में से एक यूनिट मिर्जापुर जिले में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके द्वारा जिले के सभी मलेरिया ग्रस्त ग्रामों में कार्य हो सकेगा।

श्री राम स्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि प्रतिवर्ष मलेरिया की रोकथाम के लिये कितने डी० डी० टी० का छिड़काव किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—जिस वक्त मलेरिया का समय होता है प्रायः इस बात का प्रयत्न किया जाता है जैसा कि उत्तर दिया गया है। हमारे प्रांत में खास तौर से ऐन्टी मलेरिया स्क्वाड्स कायम किये गये हैं और उन क्षेत्रों में विशेष रूप से जैसे मिर्जापुर के बारे में आपने जिक्र किया तो वहां नेशनल मलेरिया कंट्रोल की केन्द्रीय योजना के अधीन पांच केन्द्रों में से मिर्जापुर एक केन्द्र रहेगा।

श्री राम स्वरूप—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष भर में मिर्जापुर में कितना व्यय होगा ?

श्री बनारसी दास—यह तो अभी नहीं बतलाया जा सकता। वह योजना अभी शुरू नहीं हुई है। जब वह योजना शुरू होगी उसका विवरण बाद में मालूम होने पर पता चल सकेगा।

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में लेडी डाक्टर की आवश्यकता

*२४—श्री राम स्वरूप—क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज कस्बे के लिये किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री राम स्वरूप—क्या आगामी वर्ष में किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति के संबंध में सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस समय लेडी डाक्टर के नियुक्त करने में कठिनाई यह है कि वहां पर रहने के लिये तथा अस्पताल के लिये कोई जगह नहीं मिल रही है। वहां के सिविल सर्जन और जिलाधीश को लिखा गया है कि जल्द से जल्द वह उनके लिये जगह तलाश करें। जैसे ही जगह तलाश होगी लेडी डाक्टर की नियुक्ति कर दी जायगी।

जिला, बोर्ड बदायूं में कार्यावरोध

*२५—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड बदायूं के कार्य में पिछले ४ माह से पूरा डेड लाक है और कोई कार्य-संपादन नहीं हो रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—दिसम्बर, १९५२ के मध्य से मई, १९५३ के मध्य तक जिला बोर्ड के कार्यकरण की गति अवरुद्ध रही।

*२६—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार इस डेड लाक के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—गतिअवरोध का कारण बोर्ड के सदस्यों की आपस की दलबन्दी थी।

*२७—श्री शिवराज सिंह यादव—सरकार ने इस डेड लाक को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार स्थिति का निरीक्षण सतर्कता से कर रही है। यदि कार्यकरण में उचित प्रगति नहीं होती है, तो सरकार बोर्ड के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगी।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड बदायूं में डेडलाक कायम होने से पहले आधे से ज्यादा मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने लिखित व जबानी शिकायतें प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ सरकार से कीं ?

श्री मोहन लाल गौतम—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खिलाफ शिकायतें कई तरीके से आयीं।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या दौराने डेडलाक में सरकार ने उन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच या अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कोई जवाब तलब किया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—बदायूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में दो पार्टी है। एक के लीडर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट हैं और दूसरी पार्टी के लीडर श्री शिवराज सिंह यादव एम० एल० ए० हैं। । इन दोनों का मसला कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के सामने है। अगर यह पार्लियामेंटरी बोर्ड आपस में कोई समझौता नहीं करा सका तो फिर उचित कार्यवाही की जायगी।

स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की निवर्तन आयु

*२८—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की नौकरी की अवधि बढ़ती हुई बेकारी की दृष्टि से ६० वर्ष की अवस्था के स्थान पर ५५ वर्ष की अवस्था का नियम पुनः लागू करने जा रही है।

श्री मोहन लाल गौतम—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय कब हो जायगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कब से यह प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम—कुछ महीनों से यह प्रश्न एक्टिव कंसीडरेशन में है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रान्त में स्वायत्त शासन संस्थाओं में ५५ वर्ष की अवधि समाप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

अर्जुनपुर, जिला जौनपुर की अदालत पंचायत का चुनाव

*२९—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अदालत पंचायत अर्जुनपुर, तहसील शाहगंज, जौनपुर का चुनाव तारीख १८ जनवरी, सन् १९५३ ई० को हुआ है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

*३०—श्री बाबू नन्दन—यदि हां, तो क्या नई चुनी पंचायत ने कार्यभार संभाल लिया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव क्यों स्थगित किया गया ?

श्री मोहन लाल गौतम—चुनाव स्थगित नहीं किया गया है बल्कि चुनाव की तारीख १६-११-५३ रखने की कोशिश की गई थी लेकिन वह १७-११-५३ को हुआ जो अवैध करार दिया गया।

श्री बाबू नन्दन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुनपुर अदालत पंचायत के झगड़े के सिलसिले में कोई लिखा-पढ़ी हुई है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, हुई है।

श्री बाबू नन्दन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को सूचना है कि वहां के पंचायत अधिकारी द्वारा अदालती पंचायत के कार्य के बारे में सरपंच को मोअत्तल किया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना चाहिये।

शाहगंज, जिला जौनपुर के ऐलोपैथिक दवाखाने में दवा का अभाव

*३१—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार को इस बात का पता है कि शाहगंज जौनपुर में जो एलोपैथिक दवाखाना है वहां पर दवाओं की कमी के कारण दवाइयां न देकर नुस्खा लिखकर मरीजों को दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—आवश्यकता के अनुसार मरीजों को नुस्खे लिखकर भी दे दिये जाते हैं।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायंगे कि क्या वह आवश्यकता के अनुसार दवाओं का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिसपेन्सरी है। उसको सरकार प्रतिवर्ष १ हजार रुपये की रिकरिंग ग्रान्ट देती है।

श्री बाबू नन्दन—क्या शाहगंज अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए वहां ज्यादा धन देने पर सरकार विचार करेगी।

श्री बनारसी दास—यह तो सभी डिसपेन्सरीज का प्रश्न है, जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आर्थिक स्थिति को देखते हुये विचार किया जायगा।

मथुरा जिले में कोयले व सीमेंट का वितरण

*३२—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या अन्न मंत्री कृपा करके बतायंगे कि सन् १९५२-५३ में मथुरा जिले को कितना सीमेंट व कोयला दिया गया ?

श्री बनारसी दास—सन् १९५२-५३ में मथुरा जिले को ४५,६६९ बोरे सीमेंट तथा २४८ गाड़ी कोयला दिया गया।

*३३—श्री रामहेत सिंह—उक्त सीमेंट और कोयला में से मथुरा और वृन्दाबन को छोड़ कर शेष देहात में तहसीलवार कितना कितना दिया गया ?

श्री बनारसी दास—उक्त सीमेंट तथा कोयले का ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार वितरण निम्न प्रकार किया गया:—

			बोरे
सीमेन्ट—			
तहसील	मथुरा	..	५,१०९
,,	सादाबाद	..	८,३५२
,,	छाता	..	४,७३१
,,	माट ..	..	६,२५६
		योग ..	२४,४४८

कोयला—				
तहसील	मथुरा ..	..	११	गाड़ी
,,	छाता ..	..	१९	,,
,,	सादाबाद ..	..	८	,,
,,	माट ..		७	,,
		योग ..	४५	,,

श्री राम हेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो वितरण हुआ वह जनसंख्या के अनुसार हुआ है या आवश्यकता के अनुसार ?

श्री बनारसी दास—तमाम प्रान्त की स्थिति के लिहाज से जिलों की आवश्यकता के अनुसार यूनिट निश्चित करके कोटा निश्चित किया गया है और उसी के अनुसार वितरण होता है।

श्री राम हेत सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक आम सभा में कहा था कि कोटा जनसंख्या के अनुसार निर्धारित किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—उसमें जनसंख्या और आवश्यकता दोनों शरीक हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में जो शहरों और सड़कों से दूर पड़ते हैं कभी कोटा नहीं पहुंचता है ?

श्री बनारसी दास—अब कोआपरेटिव यूनिट्स के कायम होने से यह असुविधा बहुत हद तक दूर हो जायगी।

कोमलसा-अहरौला सड़क का कच्चा भाग

*३४—श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कोमलसा-अहरौला के बीच की सड़क जिसकी कुल लम्बाई १० मील है, ५ मील पक्की हो चुकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

*३५—श्री व्रज विहारी मिश्र—क्या सरकार का विचार कोमलसा-अहरौला सड़क के शेष ५ मील को भी पक्का करा देने का है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस ५ मील की पक्की सड़क के अभाव में कोमलसा से अहरौला पहुंचने के लिये आजमगढ़ होकर जाना पड़ता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—हो सकता है ?

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार जिला बोर्ड को इस ५ मील की सड़क को पक्की कराने के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने के लिये तैयार है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस मुहकमे के पास बजट में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है जिससे सहायता दी जा सके।

जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के सेक्रेटरियों की सर्विसेज को सरकारी करने का प्रश्न

*३६—श्री राम चन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के सेक्रेटरियों की सर्विसेज को सरकारी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या सरकार को विदित है कि खेर कमेटी ने इन पदों के प्रान्तीयकरण की सिफारिश की थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिश के अनुसार एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल भी तैयार किया था ?

श्री मोहन लाल गौतम—एक बिल तैयार हुआ था।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—नामंजूर नहीं किया है।

श्री राम चन्द्र विकल—उस पर क्या कार्यवाही हो सकी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—अलग अलग बातों पर अलग अलग विचार हो रहा है।

*३७-३८—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—[२३ दिसम्बर, १९५३ ई० के लिये प्रश्न संख्या ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर के देहात में ईंधन की कमी

*३९—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले के देहाती क्षेत्र के कुछ कोल डिपो बन्द कर देने के कारण लोगों को वर्षा के इन दिनों में खाना पकाने के लिये पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है ?

श्री बनारसी दास—कानपुर के देहाती क्षेत्रों के ६ डिपो बन्द कर दिये गये हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों से असुविधा की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस तरह की सूचना खाद्य कमिश्नर को दी गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि ये कोल डिपो फिर से चालू कर दिये जायं?

श्री बनारसी दास—लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के आयरन और स्टील कंट्रोलर की रिपोर्ट तो यह है कि वहां ज्यादातर लकड़ी का प्रयोग होता है, कोयले की आवश्यकता नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—बारिश के दिनों में ईंधन में गोबर इस्तेमाल न हो और लोग खाना पकाने के लिए ईंधन पा सकें, क्या इस के लिए सरकार कोल डिपो को फिर से चालू करेगी?

श्री बनारसी दास—इन कोल डिपोज के कैंसिल होने से जहां तक जिले के तमाम कोटे का सवाल है उस पर तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं इसलिये यदि जिले की आवश्यकता है तो उससे पूर्ति हो सकती है लेकिन जहां तक ईंधन का प्रयोग है, उसका प्रयोग तो खाना बनाने के लिए होता ही है।

नये म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया

*४०—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ६ महीनों में कौन-कौन से नये (१) म्यूनिसिपल बोर्ड, (२) नोटीफाइड एरिया तथा (३) टाउन एरिया स्वीकार किये गये हैं और उनकी जनसंख्या क्या है?

श्री मोहन लाल गौतम—गत ६ महीनों में कोई नया म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया नहीं बनाया गया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी अगर तालिका देखेंगे तो यह प्रश्न ३-८-५३ का है, उससे ६ महीने पहले यानी फरवरी से अब तक कितने नोटीफाइड एरिया तथा म्यूनिसिपल बोर्ड बनाये गये हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरा तो यही उत्तर है कि उस तारीख से पहले ६ महीनों में भी कोई नहीं बनाया गया।

बस्ती सदर अस्पताल में उपकरण तथा स्टाफ की कमी

*४१—श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती के सदर अस्पताल में बिजली लगी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बनारसी दास—जिला अस्पताल में बिजली लगाये जाने पर विचार हो रहा है।

*४२—श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती सदर अस्पताल में कुल कितने (Beds) हैं, कितनी नर्स हैं और कितने की कमी है?

श्री बनारसी दास—बस्ती सदर अस्पताल में कुल १२४ बेड्स (Beds) हैं। यहां पर ५ सिस्टर तथा १२ स्टाफ नर्स हैं और ५ सिस्टर तथा ९ स्टाफ नर्सों के स्थान रिक्त हैं।

*४३—श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में बस्ती अस्पताल की गणना किस श्रेणी में की जाती है और क्या उसी अनुपात से सब सामान उस अस्पताल को प्रदान किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—अस्पतालों को दिये जाने वाले साधनों के बारे में कोई स्तर निश्चित नहीं है ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजली न मिलने के कारण बस्ती अस्पताल का एक्सरे प्लांट बेकार पड़ा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है ।

श्री शिवनारायण—बिजली कब तक लग जाने की आशा की जाय ।

श्री बनारसी दास—वहां बिजली लगाये जाने का तखमीना मंगाया जा चुका है और अगले साल के शेड्यूल के अन्दर उसको शामिल कर दिया गया है ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस वर्ष ५ सिस्टर्स और ६ स्टाफ नरसों की पूर्ति कर देगी ।

श्री बनारसी दास—यह कहना बड़ा कठिन है । जितनी कि सभी जगह सैंक्शंड स्ट्रेंथ है वहां प्रायः नर्सेज और सिस्टर्स की कमी है, क्योंकि पर्याप्त संख्या के अन्दर नहीं मिल पा रही हैं ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को ज्ञात है कि बेड की कमी के कारण रोगियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

श्री बनारसी दास—यह सही नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)— एक्सरे प्लांट को चलाने के लिए जब तक बिजली नहीं आती है तब तक सरकार जेनरेटर लगाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस वक्त जैसा कि कहा गया, न्यू शेड्यूल आफ डिमांड्स के अन्दर उसका प्राविजन कर दिया है तो इसलिए उसका प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या दूसरे जिलों से बस्ती जिले में नर्सें नहीं भेजी जा सकतीं ?

श्री बनारसी दास—यह तो सारे प्रान्त की समस्या है । बहुत कम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जितनी स्वीकृत नर्सेज हैं उतनी वहां पर हों ।

अपाहिजों का प्रबन्ध

*४४—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अंधे, लंगड़े, लूले तथा कोढ़ियों के भरण-पोषण में सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है ?

श्री बनारसी दास—अन्धे, लूले तथा लंगड़ों के भरण-पोषण का कोई विशेष प्रबन्ध सरकार द्वारा नहीं है । उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध हर अस्पताल में है और शिक्षा विभाग द्वारा उनकी शिक्षा का भी प्रबन्ध है । कोढ़ियों के लिये प्रदेश में कई कुष्ठाश्रम हैं जिनमें उनकी चिकित्सा व भरण-पोषण दोनों का प्रबन्ध है । इन कुष्ठाश्रमों को सरकार १,७१,००० रुपया वार्षिक ग्रान्ट देती है ।

*४५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपाहिजों की सहायता के हेतु उन्हें किसी उत्पादनशील कार्य में लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*४६—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसे अपाहिजों की संख्या अलग-अलग इस राज्य में क्या है?

श्री बनारसी दास—यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह आश्रम कौन-कौन से हैं और कहाँ पर हैं?

श्री बनारसी दास—प्रान्त में इस समय १६ इस तरह के कुष्ठ आश्रम कार्य कर रहे हैं। एक नैनी इलाहाबाद में, दूसरा अल्मोड़ा में, तीसरा चंडौक, जिला अल्मोड़ा, चौथा फैजाबाद, पाँचवाँ देहरादून और सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, हल्द्वानी, नैनीताल, खीरी, बहराइच, गढ़वाल, आगरा, गोरखपुर और राजकली शंकर, बनारस और लीपर असाइलम, गोरखपुर।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोढ़ी, अपाहिज और अंधों के लिये कोई सुरक्षित रखने के संबंध में सरकार कोई कानून बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, इस प्रकार का कोई कानून विचाराधीन नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी ने जिन अस्पतालों का नाम बतलाया क्या वे कोढ़ियों के हैं या उनमें अन्धे, लंगड़े और लूले भी रहत हैं?

श्री बनारसी दास—मैंने कुष्ठ आश्रमों का विवरण दिया है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्धे, लूले, लंगड़े और कोढ़ियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है?

श्री बनारसी दास—उसका उत्तर दिया जा चुका है, सरकार के पास उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

रामपुर में हैजे की रोकथाम

*४७—श्री फजलुल हक़ (जिला रामपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर शहर में हैजे का प्रकोप हो रहा है और उससे २०, २५ के लगभग मौतें २, ३ दिन में हो चुकी हैं?

श्री बनारसी दास—रामपुर में हैजे का प्रकोप है। एक सप्ताह में ८ मौतें हुईं। बाक़ी में कम हुई।

*४८—श्री फजलुल हक़—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या-क्या उपाय इस प्रकोप को रोकने के लिये किये गये हैं?

श्री बनारसी दास—सभी आवश्यक उपाय शुरू से किये गये हैं, जैसे कुओं को लाल दवा व मकानों को औषधियों द्वारा साफ करवाना, मरीजों के देखभाल एवं चिकित्सा वहाँ के सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में होना, हैजा से बचाने के लिये टीके लगाये जाना इत्यादि । एक एडिशनल एपेडेमिक असिस्टेन्ट भी रामपुर शहर में ३१ जुलाई से नियुक्त कर दिया गया है । नगर स्वास्थ्य अधिकारी रामपुर के पास कालरा वैक्सीन भी समय पर भेजी जा चुकी है। रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने नगर की विशेष सफाई कराने के लिये भैंसा गाड़ियाँ भी रक्खी हैं ।

श्री अध्यक्ष—माननीय अन्न मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि क्या अभी तक कालरा जारी है? अगस्त में सवाल किये गये थे, उनका उत्तर अगस्त के लिये है या अभी के लिये भी लागू है, क्योंकि "हैजे का प्रकोप है" ऐसा आपने कहा। तो क्या अभी भी जारी है?

श्री बनारसी दास—जी हाँ, उसका उत्तर प्रश्न संख्या ४७ के सम्बन्ध में दिया जा चुका है । इस वक्त वह कम हो गया है।

श्री फ़जलुल हक—सवाल नम्बर ४७ के जवाब में मौतों की जो तादाद बताई गई है, मेहरबानी कर के क्या सरकार बतलायेगी कि यह किस तारीख़ से किस तारीख़ तक के आदाद व शुमार हैं?

श्री बनारसी दास—यह सूचना इस वक्त नहीं दी जा सकती है। बाद में माननीय सदस्य चाहेंगे तो मिल सकती है।

श्री फजलुल हक़—क्या सरकार मेहरबानी कर के बतलायेगी कि हैजा शुरू होने से और उसके ख़त्म होने तक कुल कितनी मौतें हुईं?

श्री बनारसी दास—उसका विवरण भी नहीं है। जिस सप्ताह का आप ने पूछा है उसका दिया गया है।

श्री फजलुल हक़—क्या यह वाक़या है कि हैजा शुरू होने के बाद यह तजावीज जो अख्तियार की गयी हैं यह बहुत काफी देरी से अख्तियार की गयी हैं?

श्री बनारसी दास—जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई वैसे ही उसका प्रबन्ध किया गया । एपिडेमिक असिस्टेंट जिलों जिलों में रहते हैं। बाक़ी जो स्थानीय प्रबंध हो सकता था वह वहाँ के हेल्थ आफिसर ने तुरन्त ही किया।

श्री फजलुल हक़—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि यह तमाम तदबीरें किस तारीख़ से अख्तियार की गयीं ?

श्री बनारसी दास—यह तो बतलाया गया कि एपिडेमिक असिस्टेंट के लिये ३१ जुलाई को आदेश हुआ, बाकी टीका लगाना, लाल दवा डालना, घरों की सफाई करना वहाँ का हेल्थ विभाग करता है।

श्री फजलुल हक़—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह तदबीरें जो अख्तियार की गयीं वह मेरे सवाल करने से पेश्तर अख्तियार की गयीं या बाद में?

श्री बनारसी दास—यह तो मुझे मालूम नहीं कि यह प्रश्न आपने किस तारीख को यहाँ पर भेजे । लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वैसा प्रबन्ध वहाँ का हेल्थ विभाग करता है।

श्री फजलुल हक़—क्या सरकार ने ऐसी हिदायत जारी की है कि आइन्दा बरसात शुरू होने से पेश्तर और हैजा शुरू होने से पेश्तर जरूरी तदाबीर अख्तियार की जांय?

श्री बनारसी दास—जी हाँ, वह तो आदेश हैं कि जिस वक्त हैजा फैलने का मौसम होता है उसी वक्त यह सारे प्रीकाशन्स लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय अन्न मन्त्री से मैं यह कहूंगा कि जब हैजा ऐसे महत्व के विषय के सम्बन्ध में दो तीन महीने पहले प्रश्न पूछे गये हों तो उत्तर देते समय उनको रिवाइज कर लेना उचित होगा, क्योंकि आठ मौतें हुईं या कितनी मौतें हुईं यह पुरानी बात हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि उनको उत्तरों को रिवाइज कर लेना चाहिये।

श्री बनारसी दास—इस सम्बन्ध में जो विशेष आँकड़े हैं वे बाद में भेज दिये जायंगे।

मैनपुरी जिले में क्षय निवारणार्थ धन का वितरण

*४९—श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में क्षय रोग को दूर करने के लिये गत पाँच वर्षों में कितना रुपया सरकार ने स्वीकार किया और कितना रुपया नगर पालिका, मैनपुरी ने दिया ? इस रुपये में से अब तक कितना खर्च हुआ है ?

श्री बनारसी दास—(अ) सरकार ने कोई विशेष अनुदान नहीं दिया परन्तु सरकारी अस्पताल में जो टी० बी० के रोगी आये उनकी चिकित्सा Indoor में की गई। ऐसे मरीजों की संख्या का सालाना औसत लगभग ३०० है।

(ब) नगरपालिका ने ४,००० रुपया क्षय रोग को दूर करने के लिये क्षयनिवारिणी समिति, मैनपुरी को दिया।

क्षय निवारिणी, समिति मैनपुरी ने अब तक कुल १,७९२ रुपया ६ आना व्यय किया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षय-निवारण समिति ने जो १,८०० रुपया वितरण किया वह कितने मरीजों में किया।

श्री बनारसी दास—वह तो जैसा मैंने अभी बताया कि तीन सौ मरीजों का औसत होता है उनमें आउटडोर पेशेन्ट भी होते हैं। क्षय निवारण समितियों की मदद से अतिरिक्त अस्पताल की तरफ से उनकी मदद तो होती ही है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर-पालिका ने जो ४ हजार रुपये की मदद की वह कितने वर्षों के लिये है ?

श्री बनारसी दास—यह कुल सहायता मैंने बतलाई है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह चिकित्सालय इस जिले में कब से स्थापित है ?

श्री बनारसी दास—यह सन् १९४९ ई० से है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस निवारण समिति से जो रुपया मरीजों को दिया जाता है उसका वितरण किस अधिकारी की तरफ से होता है ?

श्री बनारसी दास—इस अस्पताल के वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा वितरण किया जाता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या यह सत्य है कि इस रुपये का जो वितरण होता है वह किसी मेडिकल एथारिटी की तरफ से न होकर कोई एक आनरेरी सज्जन हैं, उनकी तरफ से होता है ?

श्री बनारसी दास—यह सही है परन्तु मैनपुरी में टी० बी० के लिये कोई आनरेरी सर्जन नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या यह भी सत्य है कि जो प्रार्थनापत्र इसके लिये दिये जाते हैं उनके सैंक्शन कराने में मरीजों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है परन्तु जब आप कहते हैं तो यह सही ही होगा।

*५०—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—[२१ दिसम्बर, १९५३ ई० के लिये प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला देवरिया में पंचायत मंत्रियों का बकाया वेतन

*५१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनपस्थित)—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देवरिया जिले के कुछ ग्राम पंचायतों के मन्त्रियों का वेतन पिछले मार्च के महीने से नहीं दिया गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जिले के समस्त पंचायत मंत्रियों के वेतन मार्च, सन् १९५३ से जुलाई सन् १९५३ तक दिये जा चुके हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस जिले में काफी वेतन बकाया वेतन के सिलसिले में पिछली अवधि का बाक़ी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन हो सकता है कि इस समय तक कुछ मंत्रियों के वेतन बकाया हों जब तक कि सरकार ने उनको वेतन यहाँ से नहीं दिया था और पंचायतों को देना पड़ता था।

अतारांकित प्रश्न

आगरा-अछनेरा-भरतपुर सड़क की दुरवस्था

१—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार को मालूम है कि आगरा से अछनेरा भरतपुर जाने वाली सड़क की हालत बहुत ख़राब है ? यदि हाँ, तो सरकार इस सड़क का पुनः निर्माण करने का विचार कब तक कर रहीं है ?

श्री मोहन लाल गौतम—आगरा से अछनेरा तक दो सड़कें जाती हैं, एक सीधी आगर से अछनेरा और दूसरी फतेहपुर सीकरी और किरावली हो कर अछनेरा। उसके आगे भरतपुर तक केवल एक सड़क जाती है।

पहली सड़क जिला बोर्ड, आगरा के अधीन है और अच्छी दशा में नहीं है। दूसरी डामर की बनी हुई है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। यह बिल्कुल ठीक दशा में है।

अछनेरे से आगे भरतपुर तक की सड़क में से ५ मील सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है और बाक़ी जिला बोर्ड के अधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५१ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा ।

कुल मिला कर १२ १/२ मील से अधिक सड़क जिला बोर्ड के पास है। इसकी सन्तोष-जनक मरम्मत कराने में अनुमानतः एक लाख रुपये का व्यय होगा। बोर्ड इस व्यय को वहन करने में असमर्थ है और ऐसी दशा में उसको मिट्टी फैला कर तथा गट्टे भर करके ही ठीक रखने का यथा शक्ति प्रयत्न कर सकता है।

जिला बोर्ड देवरिया के मुलाजिमों के लिये अनाज की व्यवस्था

२-श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या देहात में काम करने वाले जिला बोर्ड, देवरिया के मुलाजिमों को कन्ट्रोल दर पर अनाज मिलने की व्यवस्था है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्र भानु गप्त)—जिला बोर्ड देवरिया के कर्मचारियों को अराशन क्षेत्रों में कन्ट्रोल दर पर गल्ला देने का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। हाँ जो कर्मचारी ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ ए० पी० स्कीम लागू है और जो इस योजना के अन्तर्गत साधारण जनता की भांति खाद्यान्न सहायता के अधिकारी हैं उन्हें ए० पी० स्कीम से कन्ट्रोल भाव पर अन्न दिया जाता है।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के मिलमालिकों द्वारा कामबन्दी के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने भेजा है जो इस प्रकार है कि:—

> "कानपुर स्वदेशी काटन मिल के मिल मालिकों के द्वारा कामबन्दी के कारण जिससे ११,२५० व्यक्ति बेकार हो गये हैं, उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति जिससे कानपुर की काटन मिल तथा अन्य मिलों के अलावा प्रदेश की अन्य मिलों में भी निकट भविष्य में हड़ताल होने की सम्भावना है, पर विचार करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।"

यह भविष्य में हड़ताल होने की सम्भावना वगैरह कोई निश्चित बात नहीं है लेकिन पहला भाग जो यह है कि ११,२५० व्यक्ति बेकार हो गये हैं जिससे गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुई हो यह महत्व की बात मालूम होती है। इसलिये कोई निश्चित बात परिणाम में होगी इस सम्बन्ध में आप क्या समझते हैं जिस पर विचार किया जा सकता है? इसके बारे में आप प्रकाश डालें तब मैं फैसला दूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, कानपुर स्वदेशी काटन मिल में आज कुछ दिनों से हड़ताल चल रही है जिसमें ८,४५० परमानेंट, १,६०० सब्सटी-ट्यूट और १३०० टेम्पोरेरी मजदूर काम करते थे। मिल मालिकों ने बीच में कुछ शिफ्ट की बदली करने के लिये कहा जो गैर कानूनी थी .....

श्री अध्यक्ष—आप तो मैरिट्स पर बोलने लगे। आप यह बतायें कि गम्भीर परिस्थिति पैदा हुई यह आप कह रहे हैं। वहाँ हड़ताल है यह तो स्पष्ट बात है इस गम्भीर परिस्थिति से निश्चित खतरा आपको क्या मालूम होता है, यह बतलायें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वहाँ की हालत यह है कि मजदूरों में काफी एक्साइटमेंट है। कुछ पेपर्स से यह मालूम हुआ कि हिन्द मजदूर सभा के प्रधान मंत्री और आई० एन० टी० यू० सी० के सभापति ने लिखा है कि अगर्चे मामले को जल्दी सुलझाने के लिये पंचायत अदालत को नहीं दिया गया तो तमाम मजदूरों में हड़ताल होने की सम्भावना हो जायगी। यह जिम्मे-दार आदमी हैं इसलिये उनके कहने का हमें ख्याल करना होगा। अगर्चे कोई चीज जल्दी से जल्दी न कर दी गई तो प्रान्त भर में हड़ताल की बात आ सकती है। इसलिये हम चाहेंगे कि इसकी इजाजत दी जाय और इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी, इसकी निश्चितता के सम्बन्ध में जो बातें उन्होंने कहीं अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहें तो बता दें अगर आपको कुछ मालूमात हों ।

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—यह जो जनाब ने आखिरी बात इर्शाद फर्मायी उसके लिए तो मैं इस वक्त तैयार नहीं हूं। अगर किसी और वक्त के लिए मुझे हुक्म होगा तो मैं कोई स्टेटमेंट दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो आपका इरादा इस विषय में स्टेटमेंट देने का है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो कब देंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कल सुबह दे दूंगा। बाकी वैसे जो मोशन है यह तो बिलकुल आउट आफ आर्डर है। इसमें अर्जेंसी ही नहीं है । एक बात जो हड़ताल की है यह तो बहुत दिनों से चल रही है। जिस दिन सिटिंग शुरू हुई उससे पहले भी चल रही थी । उस दिन एडजर्नमेंट मोशन नहीं आया । रूल्स में मौजूद है, हुजूरवाला, मुलाहजा फरमा लें, इसी पर है कि जिस दिन हाउस की बैठक शुरू हुई हो उससे पहले अगर कोई वाकया हो जाय और उस दिन एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया गया है तो बाद में उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मुझे माननीय वित्त मंत्री की बात सुन कर ताज्जुब हुआ। एक तरफ तो वह आपसे आज्ञा मांगते हैं कि कल इस गम्भीर विषय पर स्टेटमेंट देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। माननीय जगन्नाथ मल्ल ने यह बतलाया कि जिस छटनी से यह हड़ताल हो रही है उससे कोई गम्भीर परिस्थिति पहले नहीं थी, लेकिन कानपुर की तमाम मिलें बन्द हो जायं फिर वित्त मंत्री को लाठी चार्ज करना पड़े तो उससे ऐसा हो सकता है कि सारे प्रदेश की मिलें बन्द हो जायं, शुगर मिलें बन्द हो जायं । इसलिये यह परिस्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कल के लिये आप इसको मुल्तवी कर दें और रिजेक्ट न करें ।

श्री अयध्क्ष—मैं मुल्तवी तो नहीं कर सकता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस तरह से एक निश्चित प्रश्न है जिसकी वजह से सदन का काम रोका जा सकता है। निश्चित तो नहीं है। शायद इसकी निश्चितता उस वक्तव्य के बाद हो जो सरकार देना चाहती है और कोई बात उसके बाद भी ऐसी अस्पष्ट रह जाय जिसे साफ करना आवश्यक हो तब उसका अन्दाजा माननीय सदस्य लगा सकेंगे। लेकिन चूंकि यह निश्चित नहीं है इसलिए मैं इसको अनियमित करार देता हूं। यह इसलिए भी आवश्यक नहीं मालूम होता है क्योंकि मैं समझता हूं कि जो प्रस्तावक महोदय हैं उनका भी इरादा इतना ही मालूम होता है कि गवर्नमेंट से कुछ मालूमात इस सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हों और इस प्रश्न पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाश डाला जाय। इसी उद्देश्य से शायद यह प्रस्ताव इस शक्ल में आया है और निश्चित शक्ल में नहीं आया है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—एक तरफ तो माननीय वित्त मंत्री की इस बात पर कि वह इसकी अहमियत को मानते हैं और कल स्टेटमेंट देंगे और दूसरी तरफ इसके अस्वीकार हो जाने पर हम विरोध स्वरूप पांच मिनट का वाक आउट करते हैं।

(इसके पश्चात् प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन के बाहर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (द्वितीय कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज संशोधन अधिनियम, १९५२ की धारा ४६ (२) के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा ४६ (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दी गयी उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (कठिनाइयों को दूर करने के) आज्ञा, १९५३, तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (अन्तवर्ती उपबन्धों की) (द्वितीय कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५३ जो म्युनिसिपल (ए) विभाग की विज्ञप्तियों संख्या एल०बी० ४७१५/११ ए०, ८३१/४८, दिनांक २४ जुलाई, १९५३ ई० तथा संख्या एल०बी० ९२६४/११ए०,८३१-४८, दिनांक २६ अक्तूबर, १९५३ ई० के अधीन क्रमशः दिनांक २८ जुलाई, १९५३ ई० और २७ अक्तूबर, १९५३ ई० के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित की गयी थी सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्यसूची के क्रम पर आपत्ति

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। आज की कार्यसूची में माननीय राजस्व मंत्री के नाम संख्या ३ और ४ पर दो प्रस्ताव रखे हुए हैं। उनके बारे में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव कल की कार्यसूची में संख्या ११ और १५ पर थे और उसके अनुसार राजस्व मंत्री उन प्रस्तावों को सदन के सामने केवल विचार के लिये रख रहे थे प्रस्ताव ११ में इस प्रकार से था।

११—राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

और प्रस्ताव संख्या १५ में भी इस प्रकार था —

१५—राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

लेकिन आज यह सूची संख्या ११ और १५ के बजाय ३ और ४ पर लायी गयी है। पहली आपत्ति जो मैं आपके सामने पेश करता हूं वह इस प्रकार है कि इस तरह से कार्यसूची में यकायक परिवर्तन कर देने से विरोधीदल के लिये बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनको तैयारी के लिये समय नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से बिना डिसकशन के किसी विधेयक को प्रवर समिति में भेजना किस प्रकार ठीक हो सकता है, यह आप ही देख लें। यह आपके ऊपर ही निर्भर है।

श्री अध्यक्ष—जब यह प्रस्ताव आयेगा तो डिसकशन होकर ही प्रवर समिति के पास भेजा जायगा। इस प्रकार से डिसकशन में कोई अड़चन पैदा नहीं होती।

जहां तक आपका यह कहना है कि कार्यसूची में इसका नंबर बदल दिया गया है और उसके लिये आपको काफी नोटिस नहीं मिला है, आपका यह एतराज काफी महत्व रखता है। मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि इसको बजाय आज के कल ले लें तो अधिक ठीक क्योंकर न होगा और आइन्दा पहले से नोटिस दे दिया करें कि कौनसा विधेयक पहले लिया जायगा, तभी यह संभव हो सकेगा कि माननीय सदस्य उसके लिये तैयार होकर आयें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मुझे आपके सुझाव में कोई आपत्ति नहीं है। इसको कल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—ये दोनों प्रस्ताव कल लिये जायेंगे और कल इन पर बहस होगी।

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

†खंड ४ (क्रमागत)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि कल मैं इस अमेंडमेंट के विरोध में बोल रहा था और यह बता रहा था कि धारा ६ के अन्त में यह दिया हुआ है कि—

"The college concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry".

यानी कालेज और यूनिवर्सिटी के अधिकार इस बिल में दिये हुये हैं और उनको सरकार ने छीना नहीं है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह अमेंडमेंट पेश किया है इस बिल को पढ़ने की तकलीफ भी गवारा नहीं की। जो बात कि वह अमेंडमेंट के जरिये से चाहते हैं वह तो उसमें पहले से ही दी हुई है। जब हमारे विरोधी दल के नेता लोग जो इस सदन में आते हैं, बिल को पढ़ने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते और उसे पढ़ने की भी हिम्मत नहीं करते तो भगवान ही उनका मालिक है।

नं० २ में दिया हुआ है —

"after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the college thereon, require the University, or the college to take such action as it may direct."

यहां "इट" (it) शब्द जो आया है वह कालेज और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के लिये ही आया है जो इस बिल के अन्दर मौजूद है। यहां पर यूनिवर्सिटी और कालेजों के आधिकारिवर्ग को पूरा अधिकार है। इस बिल को जरा पढ़ने की आवश्यकता है और इस पर ठंढे दिल से सोचने और विचारने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट का कहीं तिल मात्र भी इशारा नहीं है कि वह किसी को दबाना चाहती है या यूनिवर्सिटी के अधिकारों को छीनना चाहती है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में आने वाले नौजवान ही देश के भावी नागरिक हैं और देश के रक्षक हैं। हम उनके अधिकारों को नहीं दबाना चाहते हैं। हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी के अधिकर को छीनना नहीं चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पूरे स्टेट के लिये है सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिये ही नहीं है। और यूनिवर्सिटी भी स्टेट के अन्दर ही आती है। वह भी इस स्टेट के अन्दर ही इनवेस्ट है, इससे बाहर नहीं है। मेरे लायक दोस्त जो अभी वाक आउट कर गये थे, मुझे अफसोस है कि मेरी पहली कही हुयी बातें वे लोग नहीं सुन सके। अगर वे यहां मौजूद रहते तो मेरी बातों को अवश्य सुनते लेकिन मुझे खुशी है कि अब वे लौट आये। ये सब राजनीतिक चालें हैं।.....:

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवनारायण—बहुत अच्छा। हमारे लायक दोस्त उपाध्याय जी यहां बैठे हुए हैं। कल उन्होंने एक बात कही थी कि सुबह अस्पताल देख लिया कीजिये। मैं तो अस्पताल का मुआयना कर आया था तब प्रश्न पूछा। लेकिन हमारे विरोधी दल के दोस्त बिल को पढ़ने की भी तकलीफ गवारा नहीं करते। मैं श्री त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि वे डिप्टी लीडर की पोजीशन रखते हैं इसलिए उनको प्रिपेयर होकर आना चाहिये। उनसे यह आशा की जाती है....

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

†१५ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। जो बात गुजर चुकी उसका जिक्र करना ठीक नहीं है।

श्री शिवनारायण—मैं महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी से कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट उन्होंने पेश किया है, नं० १ मान लेने पर उसके लाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। सरकार किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहती है। इसमें दिया हुआ है—

"The Executive Council or the Management of the College shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the direction given and report to the State Government."

तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहती है बल्कि वह यूनिवर्सिटी की दिक्कतों को हल करना चाहती है। आप लोग बिल को जरा ठीक से पढ़ने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के समस्त मेम्बरों को बतला देना चाहता हूं कि यह जो आगरा यूनिवर्सिटी बिल है उसको सरकार ने क्यों संशोधित किया है। कालेजों के अन्दर इनडिसिप्लिन अनुचित तरीके से बढ़ गयी थी और इस बात को विरोधी दल ने स्वीकार किया है। उसके अन्दर अनुचित और अनधिकार चेष्टा की बढ़ती को रोकने के लिये ताकि इनडिसिप्लिन की वजह से गड़बड़ी न हो यह बिल लाया गया है। सरकार यूनिवर्सिटी के अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है बल्कि स्टेट की यह प्राइमरी ड्यूटी है कि जहां पर किसी तरह की गड़बड़ी मालूम पड़े उसको वह ठीक से संभाले। विरोधी दल ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वहां पर इनडिसिप्लिन बढ़ गयी है, ठीक ढंग से काम नहीं होता है, हिसाब किताब में भी गड़बड़ी रहती है। जब विरोधी दल की तरफ से तथा औरों की तरफ से भी इस तरह की शिकायत सरकार के पास पहुंची तो उसने बहुत सोच समझ कर ही यह बिल पेश किया है। अगर गवर्नमेंट डंडे से काम लेना चाहती तो वह एक लमहे में एक रेजोल्युशन लाती और उसको माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने पेश कर वोटिंग के जरिये पास करा लेती। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने सब को मौका दिया, अपने मेम्बरों को मौका दिया और विरोधी दल के मेम्बरों को भी मौका दिया और यह कई महीने से चल रहा है। मुझे दुख है कि श्री नारायण दत्त जी तिवारी यहां मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इस बिल के ऊपर काफी प्रकाश डाला था। आज वह यहां होते तो शायद यह अमेंडमेंट न पेश हुआ होता। मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि वह फिर अपनी बात पर विचार करें। मदन जी भी यहां मौजूद हैं....

श्री अध्यक्ष—आप यहां पर ऐसी घरेलू बातें न करें।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन वही माननीय सदस्य लोग बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपया उनके भाषण में रोड़े न अटकावें।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड़ा अटकाना ही तो उनका काम है। तो मैं यह कह रहा था कि राइट्स और ड्यूटीज दो चीजें दुनियां में होती हैं। हमेशा ड्यूटीज फर्स्ट और राइट्स आफटरवर्डस होता है। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है। आजकल लोग राइट्स के लिये दौड़ रहे हैं ड्यूटी कोई अंजाम करना नहीं चाहता। तो मैं इन दोनों सज्जनों से जिनके अमेंडमेंट्स हैं यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ड्यूटी समझ कर वे अपने अमेंडमेंट्स को वापस ले लें क्योंकि इससे सदन का समय बच जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के नत्थी (ख) में ७ वें आइटम पर जहां से अंग्रेजी

का आरम्भ होता है वहां (४) के बजाय (३) होना चाहिये क्योंकि ऊपर यह कहा गया कि मूल अधिनियम के खंड ४ की नयी धारा ६ में उपधारा (३) के स्थान पर नयी उपधारा रखी जाय। तो वह भी (३) ही होगी (४) नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष—श्री रामनारायण जी आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो इसको (३) होना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के ऊपर बोलने के पहले मैं माननीय शिवनारायण जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह मुझे और हमारे दल के और विधान सभा के सभी सदस्यों को मालूम है कि वे अध्यापन का काम करते रहे हैं और उसके लिये शायद डिग्री भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि यह सभा भवन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां उनकी सलाह की जरूरत हो या न हो वह देते रहें। इसमें मैं समझता हूं कि सदन का स्तर नीचे गिरता है और माननीय शिवनारायण जी को सदन के स्तर के लिहाज से ऐसी बात नहीं करनी चाहिये।

दूसरी बात माननीय शिवनाथ जी काटजू ने कही कि जो मैंने संशोधन पेश किया है उसमें और मूल अधिनियम की उपधारा तीन में कोई फर्क नहीं है। तो यह दलील माननीय काटजू की मेरे ही पक्ष में जाती है। अगर वह कहते हैं कि इसके प्राविजन में और मेरे संशोधन में कोई फर्क नहीं है तो फिर इस संशोधन को मान लेने में क्या एतराज है। माननीय बालेन्दु शाह ने काफी फर्क माननीय काटजू साहब को बतलाया। मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि बिल में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह रखा गया है कि यह स्टेट गवर्नमेंट जितने वक्त में चाहे एन्क्वायरी कराने का हुक्म दे सकती है। लेकिन इसमें इस काम को करने के लिये रीजनेबिल टाइम रहना चाहिये। उस रीजनेबिल टाइम को निर्णय करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है और रीजनेबिल टाइम का प्राविजन अगर किसी कानून में रहता है तो उसकी बुनियाद पर आगे यूनिवर्सिटी को मौका मिलता है कि वह कोर्ट्स में जा सकती है और रीजनेबिल टाइम के लिये मांग कर सकती है। इसके अतिरिक्त में माननीय बालेन्दुशाह जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इसकी कमी को काफी पूरा कर दिया है और उनके संशोधन से स्थिति और भी साफ हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है कि गवर्नमेंट इस तरह से अधिकार अपने हाथ में ले कि कोई कालेज अफीलियेटेड जो यूनिवर्सिटी के मातहत हो या उनसे सम्बन्ध रखता है उनसे न छूट जाय और इन्क्वायरी हो जाय और उसकी कार्यवाही सन्तोषजनक न हो तो उसका हाथ रहना जरूरी है। इसमें एक कमी और रह गयी थी उसको श्री बालेन्दुशाह जी ने पूरा कर दिया है। इससे अधिक ऐसी स्थिति में मुझे नहीं कहना है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पूरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री शिवनारायण—मैं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अगर वैधानिक कोई हो तो बताइयेगा।

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं अध्यापक हूं और मैंने कोचिंग की बात कही। श्रीमान्, आज चेयर पर हैं और कल डिप्टी स्पीकर चेयर पर थे। अगर मैंने कोई इस प्रकार की कोचिंग की बात कही होती तो वह मुझे टोक देते और वहीं पर रोक देते। मैंने हमेशा चेयर का आर्डर ओबे करने की कोशिश की है और मैंने कभी भी सदन के नियम और मर्यादा के विरुद्ध कभी कोई बात कहने की चेष्टा नहीं की।

श्री अध्यक्ष—आप, श्री रामनारायण जी, इसको साफ कर दें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने यह कहा कि आप अध्यापक हैं और वह हर समय भूल जाते हैं कि माननीय विधान सभा को कोचिंग इंस्टीट्यूट समझकर बात कहना शुरू कर देते हैं और अपनी सलाह देना शुरू कर देते हैं चाहे उनको सलाह की आवश्यकता हो या न हो ।

श्री अध्यक्ष—तो आपने इसको मजाक के तौर पर कहा ।

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, वह मजाक के तौर पर नहीं कहा गया।

श्री अध्यक्ष—(श्री शिवनारायण से) आप इसको मजाक ही में लीजिये कि मजाक में उन्होंने कहा ।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—जो संशोधन त्रिपाठी जी के द्वारा आया है उसका मैं विरोध करता हूं । उसका कारण यह है कि यदि वह संशोधन मान लिया जाय तो इस जांच में और उस कार्यवाही में इतना विलम्ब होगा कि उसका पूरा महत्व ही खत्म हो जायगा। अपने संशोधन में त्रिपाठी जी ने कहा है कि सरकार उस वक्त तक कोई कार्यवाही न करे जब तक कि सीनेट और एक्जिक्युटिव कौंसिल की राय उसके पास न आजाय । सीनेट की मीटिंग साल भर में एक दफा होती है और अगर उसके निर्णय पर यह कार्यवाही रोक दी जाय तो जैसा मैंने कहा उसका कुल महत्व ही खत्म हो जायगा । जहां तक कालेज का सम्बन्ध है वह उस पुराने ऐक्ट में मौजूद था और इसमें भी कालेज के ऊपर इस प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित था । सिर्फ पुराने ऐक्ट में ऐसा समझा गया कि ऐसी एक कमी रह गयी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि:("as it may direct, of the university and its building and of any affiliated college or hostel) लेकिन बाद में 'कालेज' इस में जोड़ दिया गया है और इसमें यह संशोधन रख दिया गया है कि जहां तक इन्क्वायरी का संबन्ध है वह तो कालेज और यूनिवर्सिटी दोनों से सम्बन्ध रखता है लेकिन जहां कार्यवाही पर अमल करने की बात थी वहां कालेज छूट गया था । इस वजह से उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें कालेज लगा दिया गया है । तो इसमें कोई बात नहीं की गयी है और पहले जिस प्रकार से रखा गया था और जिस तरह से ऐक्ट में था उसी प्रकार से अब भी इस बिल में रखा गया है । इससे अधिक और कुछ इसमें नहीं रखा गया है कि यह सरकार अपने अधिकार बढ़ाना चाहती है । हां, यह एक ऐसा विवादग्रस्त प्रश्न है कि सरकार को यह अधिकार देना चाहिये या नहीं । तो इस पर तो मेरा ख्याल है कि दो रायें हो सकती हैं लेकिन मैं इस विवाद में इस अवसर पर जाना नहीं चाहता । पुराने ऐक्ट में यह धारा थी और उसमें कुछ सन्देह उत्पन्न होता था, उसी को स्पष्ट करने के लिये यह "कालेज" शब्द लगाया गया है और प्रयत्न किया गया है कि आइन्दा देरी न हो। अभी इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही की गयी तो उसमें करीब २ साल से ज्यादा का समय लग गया और अब तक भी सरकार को यह अवसर नहीं मिला कि वह जो कार्यवाही वहाँ करना मुनासिब समझे कर सके । तो इन और कार्यवाहियों में देर न हो और जो वांछनीय कार्यवाही हो वह जल्द हो जाय इसलिये इसमें यह धारा रखी गयी है ।

जहाँ तक श्री बालेन्दुशाह जी के संशोधन का सम्बन्ध है वह तो मेरी समझ से इससे बिलकुल ही असंगत है । उन का कहना यह है कि श्री रामनारायण जी के संशोधन में ही उन के संशोधन को जोड़ दिया जाय । उनका कहना यह है कि उस समय तक कोई कार्यवाही न हो जब तक सीनेट और एक्जीक्युटिव अपना यह निर्णय न कर ले कि हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी है । अगर ऐसा कर दिया जाय तो आप देखेंगे कि यह धारा बिल्कुल बेमानी हो जाती है । १ और २ धाराओं के खण्डों में इस बात का जिक्र है कि इन अवसरों पर सरकार कार्यवाही कर सकती है और उसके बाद चौथी में अगर यह हो कि सरकार कोई कार्यवाही न करे

जब तक सीनेट और एक्जीक्युटिव कौंसिल कार्यवाही करने से इनकार न कर दे, तो इन धाराओं का आपस में कोई जोड़ नहीं बैठता। इसलिये मैं समझता हूं कि इसका जोड़ना अप्रासंगिक होगा और इसलिये मैं इसकी मुखालिफ़त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नई धारा ६ में उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(3)Where the Executive Council or the Management of the College does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may after considering any explanation furnished or representation made by the Senate or Executive Council or Management of the College, as the case may be, issue such direction as it may think fit, and the Executive Council or the management of the College shall comply with such directions."

मैं इस संशोधन को लिये लेता हूं और अगर यह स्वीकृत हुआ तो दूसरा संशोधन जो श्री बालेन्दु शाह का है उस को भी ले लूंगा। लेकिन अगर यह गिर गया तो दूसरा भी स्वयं गिर जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ८ का संशोधन।

श्री अध्यक्ष—धारा ८ की उपधारा (१) के सम्बन्ध में सेलेक्ट कमेटी की तरफ से जो आया है यह रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन उस से सम्बन्धित नहीं है, यह उसका कोई संशोधन नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल में मूल अधिनियम की धारा ८ संशोधित की गई है और उस धारा को इस अमेंडिंग बिल ने टच किया है और उसकी दूसरी उपधारा वह निकालना चाहते हैं तो जब धारा ८ अंडर कंसिडरेशन है तो उस हालत में मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है वह उपधारा (१) का है और इसलिये मेरा यह संशोधन नियमित है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे पेश करने की मुझे अनुमति देंगे क्योंकि मैंने कोई नई धारा नहीं जोड़ी है जिसको कि टच न किया गया हो।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मन्त्री, क्या आप को कोई आपत्ति है?

श्री हरगोविंद सिंह—मुझे आपत्ति है इसलिये कि ८ (१) इस विधेयक का कोई हिस्सा नहीं है इसलिये उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वह इस विधेयक का कोई भाग नहीं है, इस विधेयक का भाग केवल ८ (२) है।

श्री अध्यक्ष—तो यह इसका, स्कोप जिसको कहते हैं, यानी परिधि उसको बढ़ाता है, इस विधेयक के स्कोप को बढ़ाता है इसलिये मैं इसे पेश करने की यहाँ इजाजत नहीं देता हूं और आगे का भी ऐसा ही है। दोनों ऐसे ही हैं। इसलिये अब मैं खण्ड ५ ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ९ का संशोधन ।

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst persons whose names are submitted by the Executive Council in accordance with sub-sections (2) and (3).

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vancancy is due to occur in the office of the Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the names not exeeding three in number of persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either sumbit the same names or make any additions or alterations in them so, however, that the names so submitted do not exceed three in number.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) does not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall out of the names so proposed elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs.2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs.2,00 per month.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting his resignation to the Chancellor not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved.

(6) No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for reappointment.

(7) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying in the dutis of the Vice Chancellor and shall at the sametime call upon the Executive Council to forward its recommendations in accordance with sub-section (2) and (3).

(9) Until the Chancellor has made arrangements under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खण्ड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९ की उप-धारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council out of a penal of names submitted by a committee consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council and (*c*) a person chosen by the U. P. Public Service Commission.

(2) The Chancellor shall endorse the choice of the Executive committee for the post of Vice-Chancellorship.

(3) The Chancellor may after giving specific reasons refer back the matter to the Executive Council for reconsideration but the choice of the Executive shall be final."

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बिल्कुल ही साफ है। अमेंडिंग बिल में वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार चांसलर को दिया गया है और यह भी एक बहुत महत्व का शिक्षा से सबन्धित प्रश्न है कि चांसलर ही वाइसचांसलर को नियुक्त करे या एक्जीक्यूटिव कौंसिल करे। मेरी राय यह है कि युनिवर्सिटी की आटोनामी को ख्याल में रखते हुये और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को मानते हुये यह आवश्यक है कि चांसलर जो कि आमतौर पर अब तक और अमेंडिंग बिल में भी गवर्नर ही हुआ करता है उसी को जो यह अख्तियार है वह न रहे एक असफल प्रयत्न मैंने अवश्य किया एक संशोधन के जरिये से इसके लिये लेकिन उसमें मुझे कामयाबी नहीं हुई। अब चांसलर द्वारा वाइसचांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुझे विशेष आपत्ति इसलिये है कि एक तो जितने हमारे प्रदेश में युनिवर्सिटी ऐक्ट बने हुये हैं वह विदेशी शासन के जमाने में बने हैं। उस वक्त विदेशी शासन तो यह चाहता ही था कि हर तरह से हर प्रकार की शक्ति इसके हाथ में रहे और साथ ही साथ शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुये कि शिक्षा में अगर कोई राष्ट्रीयता की भावना आ जाती है तो विदेशी शासन की तो मौत ही हो सकती है तो इसके कारण से उन्होंने यह मुनासिब समझा कि गवर्नर ही वाइसचांसलर को नियुक्त करे। लेकिन मुझे आशा थी कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जायगा और एक ऐसा मौक़ा उपस्थित भी हुआ हमारेसामने जब कि एक विधेयक आगरा युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में लाया गया और मुझे यह खुशी भी थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी खुद ही ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे तो अवश्य ही उनके ऐसा विद्वान जो एजूकेशन को भी अच्छी तरह से समझता है वह तो अवश्य ही कोई ऐसी नीति अपनायेंगे। लेकिन मुझे निराशा हुई और ऐसी हालत में भी निराशा हुई कि मैंने देखा कि जब से हमारे देश में कांग्रेसी शासन हुआ उस वक्त से जितने भी अप्वाइंटमेंट्स गवर्नर्स के हुये या तो उनमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो या तो केंद्रीय केबिनट के मंत्री की हैसियत से असफल रहे या उनको केंन्द्रीय केबिनट में जगह नहीं दी जा सकी और उनको कहीं न कहीं जगह प्रोवाइड करने के लिये गवर्नर बना दिया और इत्तफ़ाक से मेरा ख्याल है कि ९० फीसदी व्यक्ति ऐसे हैं जोकि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं।

राज्यपाल के व्यक्तित्व के विरुद्ध भाषण करने पर वैधानिक आपत्ति

शिक्षा मंत्री, (श्री हरगोविंद सिंह)—प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा ख़याल है कि इस भवन में गवर्नर के प्रति कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—किसी गवर्नर के प्रति व्यक्तिगत या विशिष्ट गवर्नर के प्रति संकेत कर के बात नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस की, उनके नियुक्ति नीति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

श्री हरगोविंद सिंह—कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में तो कहा जा सकता है लेकिन गवर्नर के व्यक्तित्व के खिलाफ भवन में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—व्यक्तित्व के खिलाफ तो अभी कुछ नहीं कहा गया।

श्री हरगोविंद सिंह—नहीं, उन्होंने यह कहा कि कोई गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में असफल हो गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में जगह नहीं मिली हो तो ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह एक गवर्नर के लिये लागू नहीं होता, सभी गवर्नरों के लिये कह रहे हैं। इसलिये वह ऐसा कह सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी को चोट पहुंची और यह तो मैं समझता हूं कि उन्होंने "चोर की दाढ़ी में तिनका" वाली कहावत चरितार्थ की है।

श्री अध्यक्ष—आप यह शब्द वापस लें। आप "चोर" शब्द का प्रयोग शिक्षा मंत्री के लिये कर रहे हैं। तो यह आप ने जानबूझ कर एक अब्यूज की तरह प्रयोग किया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अच्छी बात है, मैं वापस लेता हूं।

मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही कि जितने भी गवर्नर अप्वाइंट हुये वह या तो केन्द्रीय कैबिनेट में असफल रहे या उनको वहाँ जगह नहीं मिली। उदाहरण के लिये.....

श्री अध्यक्ष—मैं उदाहरण देने की इजाजत नहीं दूंगा, आम तौर से कहें तो बात दूसरी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप को आपत्ति नहीं होगी। उदाहरण तौर पर मैं सर महाराज सिंह का नाम लेना चाहता हूं। वह एमीनेंट एजूकेशनिस्ट थे।

श्री अध्यक्ष—चाहे कोई हों, मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

खंड ६ (क्रमागत)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—तो ऐसी परिस्थिति में और भी आवश्यक हो जाता है कि जब कि कांग्रेसी शासन की यह नीति हो गयी कि एक व्यक्ति जिसको कहीं कैबिनेट में जगह नहीं मिली वह प्रान्त का गवर्नर ही नहीं बल्कि जितनी भी युनिवर्सिटीज हों उनका चांसलर भी हो, तो यह आपत्तिजनक बात है और इसको कोई व्यक्ति बरदाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इसमें एक मूलभूत सिद्धान्त है। गवर्नर कोई भी हो वही वाइस-चांसलर की नियुक्ति करे, यह नामुनासिब बात है। ऐसी परिस्थिति किसी भी प्रान्त में कभी न कभी उठ सकती है कि कोई भी गवर्नर जो किसी युनिवर्सिटी का चांसलर हो और किसी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो वह अपने अधिकारों से बाहर जा कर किसी पार्टी का साथ दे और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाय और यह यूनिवर्सिटी आटोनोमी के खिलाफ भी है। इसलिये आवश्यक है कि एग्जिक्युटिव कौंसिल जिसकी सारी जिम्मेंदारी यूनिवर्सिटी चलाने की है उसको मौक़ा दिया जाय। लेकिन यहाँ मैंने यह नहीं कहा कि सिर्फ एग्जिक्युटिव कौंसिल ही करेगी बल्कि चांसलर को भी अधिकार है और उपधारा (३) में जैसा कि मैंने कहा है गवर्नर योंही कह कर के कि यह व्यक्ति नाकिस है या जो पेनल आपने दिया वह नाकिस है, उसमें से किसी को भी वाइसचांसलर नहीं बनाया जा सकता, टाल नहीं सकता। उसको कोई स्पेसिफिक् रीजन्स देकर ही उस मामले को रेफर करना होगा। बात साफ है कि सिर्फ एक आदमी को मैं नहीं चाहता कि एग्जिक्युटिव कौंसिल भेजे, बल्कि पेनल होगा जो कि कुछ खास आदमियों का होगा जिसमें कोई पक्षपात या अयोग्यता की बात न हो। इसलिये मैंने अपने संशोधन में एक कमेटी की बात कही है।

"(*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council and (c) a person chosen by the U. P. Public Service Commission."

यह तीन आदमी एक पैनल तैयार करेंगे और उसमें चांसलर को अधिकार होगा। तो बिलकुल

विरोध भी मैंने नहीं किया और काफी मैंने इस बात की गुंजायश कर दी है कि कोई इस सम्बन्ध में न रह जाय। युनिवर्सिटी की आटोनामी का खयाल रखते हुये चान्सलर को एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ऊपर अधिकार देना ही नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री के लिये यह एक सुअवसर है कि वे इस अमेंडमेंट को मान कर के एक इन्कलाबी क़दम उठायें जो और प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के लिये एक नमूना हो। यह ख्याल कर के कि यह संशोधन विरोधी दल की तरफ से आया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है और ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने भी इसको प्रपोज नहीं किया है, इसलिए इसको नामंजूर नहीं कर देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार कर के इस क्रान्तिकारी क़दम का श्रेय लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने उपस्थित किया है मैं इसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि यदि उनका यह संशोधन मान लिया जाय तो जिस अभिप्राय से इस बिल को इस भवन में रखा गया है, वही खत्म हो जाता है। शुरू में जब यह बिल हमारे सामने आया था तब माननीय शिक्षा मंत्री ने तथा अन्य महानुभावों ने यह बात साफ कही थी कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कि आगरा युनिवर्सिटी के अन्दर कुछ ऐसी कमियाँ पैदा हो गयी हैं और कुछ इस तरह की पार्टीबाजी पैदा हो गयी है जिस की वजह से जो वहाँ का शिक्षा का स्तर तथा वहाँ का प्रबन्ध है वह दिन पर दिन गिरता जा रहा है और उसके सुधार के लिये यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे कायदे बनाये जायं जिनसे जो वहां कमियाँ और पार्टीबाजी पैदा हो गयी है वह खत्म हो जाय। तो यदि वाइस-चांसलर के अप्वाइंटमेंट का अधिकार, जैसा कि त्रिपाठी जी कहते हैं, बजाय चांसलर के एक्जिक्युटिव को दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह पार्टीबाजी बजाय इसके कि खत्म हो और ज्यादा बढ़ जायगी। त्रिपाठी जी ने इसमें शक नहीं कि यह भी कहा है कि चान्सलर अप्वाइंट करे मगर वे यह चाहते हैं कि फाइनल च्वाइस एक्जिक्युटिव की हो। इससे चान्सलर के लिये यह आवश्यक होना कि एक्जिक्युटिव जिसको कहे उसको वह डिटो कर दे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार चान्सलर को कोई असल पावर नहीं दी गयी है। सिवाय स्टौम्पिग जितनी युनिवर्सिटीज हमारे यहाँ हैं यदि उनका विधान देखा जाय तो शायद कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अन्दर एक्जिक्युटिव को यह पावर दी गयी हो। कुछ ऐसी युनिवर्सिटीज तो हैं कि जहाँ कोर्ट्स से वाइस चांसलर का चुनाव होता है। लेकिन ऐसी शायद ही कोई युनिवर्सिटी हो जहाँ कि एक्जीक्युटिव की फायनल च्वायस हो वाइस-चान्सलर के चुने जाने में। अलावा इसके जो भी हमारे प्रदेश के प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं और जिन्होंने अपनी भिन्न-भिन्न रायें दी हैं उन सब की यही राय है कि वाइस-चांसलर का अप्वाइंटमेंट चान्सलर को ही करना चाहिये और वह एक्जिक्युटिव की ऐडवाइस पर होना चाहिये। राधाकृष्णन कमीशन जो इस सम्बन्ध में काफी डिटेल में गया है उसने भी इस मामले पर ग़ौर किया कि वाइस-चान्सलर की नियुक्ति किस प्रकार हो। उसने स्पष्ट कहा है कि वाइस-चान्सलर का अप्वाइंटमेंट एक्जिक्युटिव की ऐडवाइस पर चांसलर को करना चाहिये। केवल इतना अन्तर है कि उसने सिर्फ यह कहा है कि एक ही आदमी की च्वाइस एक्जिक्युटिव भेजे और चांसलर को यह अधिकार हो कि वह यदि चाहे तो उस च्वाइस को वापस कर दें और एक्जिक्युटिव उस पर दुबारा ग़ौर कर ले। लेकिन एक्जिक्युटिव के हाथ में अप्वाइंटमेंट उन्होंने नहीं दिया। इस बिल में अधिक से अधिक तीन च्वाइस दी गयी हैं। अमेंडमेंट में कहा गया है कि एक कमेटी बनायी जाय और उस कमेटी के अन्दर तीन आदमी हों। एक चांसलर का नामिनी हो, एक एक्जीक्युटिव का हो, और एक पब्लिक सर्विस कमीशन का हो।

श्री त्रिपाठी जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी उसमें घसीटा है इसलिए मैं समझता हूं कि यह कमेटी भी एक हाच पाच कमेटी बन जायेगी। इन सब चीजों को देखते हुए यदि यह आवश्यक मान लिया जाय कि वाइस-चांसलर जहां तक सम्भव हो सके पार्टी बाजी से अलग हो उसकी सिक्योरिटी आफ टेन्योर किसी ऐसी बाडी के हाथ में न हो, जिसमें उसका सारा समय मेम्बरों को ही डील करने में और उनको अपने साथ रखने में व्यतीत हो, अगर यह ध्येय

[श्री नवलकिशोर]

है, तो श्री त्रिपाठी जी भी इस से सहमत होंगे कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक्जीक्युटिव के हाथ में एक तरफ की पावर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सारी ताकत एक्जीक्युटिव के हाथ में दे दी जायगी तो उसके अन्दर भी पार्टीज बनेंगी। इन बातों को सोचते हुए और पिछली कमीशन्स की रिपोर्ट्स जो हमारे और आपके सामने मौजूद हैं, उनकी सिफारिशों की रोशनी में जो मौजूदा प्रोविजन्स इस बिल के अन्दर हैं वह अत्यन्त उचित हैं। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, आगरा युनिवर्सिटी बिल की धारा ४ जो हमारे सामने है, वह वाइस-चांसलर की नियुक्ति से सम्बन्ध रखती है। वाइस-चान्सलर की नियुक्ति किस प्रकार हो और उसे कौन करे इस सम्बन्ध में केवल दो ही विचार हो सकते हैं। एक विचार जो सरकार ने अपने विधेयक द्वारा सदन के सामने रखा है, उसके अनुसार वाइस-चान्सलर की नियुक्ति चान्सलर द्वारा की जाय। जो कुछ भी शब्द उसमें हैं बहरहाल उसका सूक्ष्म नतीजा यह निकलता है कि वाइस-चान्सलर की नियुक्ति चान्सलर करे। इसके अतिरिक्त जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने सदन के सामने रखा है, उसमें यह भेद है कि वाइस-चान्सलर की नियुक्ति (एप्वाइन्टमेंट) चान्सलर करे किन्तु एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश उन्होंने चान्सलर के हाथ में नहीं छोड़ी है, बल्कि उनका सुझाव यह है कि एक पैनेल बने, यानी एक सब कमेटी बनें जिसमें कि एक परसन नामिनेटेड बाई दि चान्सलर हो और एक व्यक्ति ऐसा हो, जो कि इमिनेंट एजुकेशनिस्ट हो और तीसरा व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त हो। वह तीन व्यक्ति एक पैनेल चान्सलर के पास भेज, दें और फिर चान्सलर उनमें से एक व्यक्ति को वाइस चांसलर के लिए नियुक्त करें। मुझे दुख है कि त्रिपाठी जी के संशोधन से कुछ साफ मतलब नहीं जाहिर हो रहा है। हालांकि त्रिपाठी जी के संशोधन में सब बातें स्पष्ट रूप से लिखी गयी हैं किन्तु दूसरे और तीसरे खण्ड को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्जीक्युटिव कमेटी को अधिक अधिकार दिये हैं। दूसरी धारा में यह लिखा है कि—

"The Chancellor shall endorse the choice of the Executive Committee."

तो यह मैं नहीं समझ पाया कि एक्जीक्युटिव कमेटी की च्वाइस कहां आती है। जहां तक मैं त्रिपाठी जी के संशोधन को समझ पाया, वह यह है कि च्वाइस तीन आदमियों का पैनल करेगा।

"The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council out of a penal of names submitted by a Committee consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor."....

जहां तक त्रिपाठी जी का संशोधन है, पहले मैं उसका समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ था, किन्तु अब दुबारा उसको पढ़ने के बाद और त्रिपाठी जी की बात सुनने के बाद मुझे यह लगता है कि दिल्ली युनिवर्सिटी के फारमूला में उन्होंने काफी परिवर्तन कर दिया है। मेरी आशा यही थी कि त्रिपाठी जी दिल्ली युनिवर्सिटी के फारमूला को पेश करेंगे और मैं उम्मीद करता था कि सरकार उसको स्वीकार कर लेगी। बहरहाल कुछ भी हो वायस चांसलर की नियुक्ति दो ही संस्था कर सकती हैं। या तो युनिवर्सिटी करे या फिर चांसलर खुद करे। सरकार ने चांसलर को यह अधिकार दे रखा है। यह कहना बेकार है कि चांसलर को अधिकार देने का मतलब यही हुआ कि सरकार ने अपने हाथ में अख्तियार ले रखा है। चांसलर के अधिकार बहुत ही सीमित हैं और यह भी सही है कि एक चांसलर चन्द सालों के लिए ही रहेगा और चन्द सालों के बाद दूसरा चांसलर गवर्नर की हैसियत से आता रहेगा। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यह कोई एक फिक्स्ड पालिसी है या जिस प्रकार से युनिवर्सिटी का काम चल रहा है, उसी पालिसी को सक्सीडिंग दूसरा चांसलर चला सके।

श्री नवल किशोर जी ने कहा कि यदि त्रिपाठी जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो बिल का पूरा अभिप्राय ही खत्म हो जायगा। मैं इस बारे में उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। आखिर बिल का मुख्य अभिप्राय यही है कि सरकार आगरा यूनिवर्सिटी के काम को हर तरह से अपने हाथ में ले ले। यदि यूनिवर्सिटी का मुख्य आदमी वाइस-चांसलर ऐसा व्यक्ति हो जाय जो सरकार की हर बात में हां में हां न लगाये, तो श्री नवल किशोर जी ने सही कहा कि बिल का पूरा अभिप्राय दूर हो जायगा। एक वाइस चांसलर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह गवर्नमेंट के नियुक्त किये हुए चांसलर की तरह से हर विषय में गवर्नमेंट की हां में हां मिलाता रहेगा। इस बात का यदि काई सबूत चाहे तो मैं पेश भी कर सकता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की किसी एक यूनिवर्सिटी में ऐसा पाया जाता है कि जहां वाइस चांसलर को गवर्नमेंट के एक मंत्री महोदय नियुक्त करते हैं। वह किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की देख-भाल करते हैं। और किस तरह से वह यूनिवर्सिटी के लिये सरकार से लड़ते हैं और गड़बड़ी के वक्त वह यूनिवर्सिटी के कम्पाउन्ड में रहते हैं या गैर हाजिर पाये जाते हैं। यह बातें सभी को मालूम हैं। इस-लिये यह अति आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सरकार की खिलाफत न करें, किन्तु जब मौका आये, तो सरकार के साथ अपनी यूनिवर्सिटी के लिये लड़ने के लिये भी तैयार रहें। ऐसा न हो कि वाइस-चांसलर केवल नाम मात्र का एक पुरुष हो जो सरकार के साथ स्वाभाविक रूप से हां में हां मिलाता रहे या सरकार के साथ लड़ने की हिम्मत न रखे।

माननीय नवल किशोर जी ने राधाकृष्णन कमीशन का भी जिक्र किया और बतलाया कि उनकी सिफारिश यह थी कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति आन दी एडवाइस आफ एक्जी-क्युटिव कौंसिल हो। नवल किशोर जी को याद होगा कि इसमें साथ ही साथ यह भी आशा की गयी थी कि चूंकि एजुकेशन एक स्पेशल सब्जेक्ट है। मैं मंत्री महोदय के खिलाफ कुछ नहीं कहता हूं लेकिन मनुष्य में कमजोरियां पायी जाती हैं। अगर किसी आदमी को किसी विभाग का जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो वह अपने आप को उसका एक स्पेशलिस्ट समझने लगता है। हमारे मन्त्री महोदय तो एक एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिये यह नहीं लगता है। किन्तु यह अच्छा हो कि शिक्षा से जिनका ताल्लुक रहा है और जो अपना पूरा जीवन एजुकेशन में ही काटते हैं उनको इस बारे में अधिक अधिकार दिया जाय। सरकार यदि अपने हाथ में वाइस-चांसलर की नियुक्ति रखती है, तो यह भी स्वाभाविक है कि उसकी नियुक्ति के समय सरकार को एजुकेशन के अलावा और विषयों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि किन और बातों का सरकार को ध्यान रखना पड़ता है, यह सब को मालूम है।

अध्यक्ष महोदय, नवल किशोर जी ने यह भी कहा कि जो सुझाव माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है, जिसके अनुसार तीन व्यक्तियों का पैनेल वाइस-चांसलर की नियुक्ति करेगा, वह हाच पाच है। हाच पाच है, किन्तु मुझे विश्वास है कि हाच पाच होने के बावजूद भी ये तीन व्यक्ति, एक चांसलर द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, एक एक्जीक्युटिव कौंसिल द्वारा चुना हुआ व्यक्ति और एक पी० एस० सी० द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, उपयुक्त लोग होंगे। चांसलर आदि से आशा की जा सकती है कि ये उचित व्यक्ति को ही नियुक्त करने की सिफारिश करेंगे।

अटानोमी का सवाल हमेशा चलता रहेगा। चाहे आगरा युनिवर्सिटी बिल इसी रूप में पास क्यों न हो जाय, किन्तु मुझे विश्वास है कि अटानोमी में जो सरकार दखल दे रही है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। वाइस-चांसलर की नियुक्ति में भी जो युनिवर्सिटी की अटानोमी में दखल दिया जा रहा है, इसका परिणाम शायद हमारे मंत्री महोदय को भुगतना न पड़े, किन्तु भविष्य में किसी को भुगतना जरूर पड़ेगा। इस सब का नतीजा यह होगा कि सरकार के सामने एक के बाद एक परेशानी आती जायगी। साथ ही साथ युनिवर्सिटी के प्रशासन में घपला ही बढ़ता जायगा। जब तक युनिवर्सिटी का हर एक शिष्य और मुलाजिम यह न समझे कि हमारा सब से पहले सम्बन्ध वाइस-चांसलर और युनिवर्सिटी से है और उसके

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

बाद सरकार से है, तब तक यह होना स्वाभाविक है कि युनिवर्सिटी और एफ़िलिएटेड कालेज के कर्मचारी युनिवर्सिटी को ठुकरा कर सीधे सरकार के पास आयें। यह भी एक दुःख की बात है कि सरकार के पास पहुंच करने के लिये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में घरेलू नेता हैं जिनके खिलाफ में हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। यह देश का दुर्भाग्य है कि जिम्मेदारी वाले नेता और गैर जिम्मेदारी वाले नेता इन सब की शक्ल और भेष एक सा है। यह ठीक है कि आज बहुत से लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं जैसा कि इस सदन के सभी सदस्यों से आशा की जाती है, किन्तु इसके बावजूद भी आज हमारी रूलिंग पार्टी है उसके और भी हैंगर्स आन हैं वे भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमारे जिले भर में फैले हुए जो नेता हैं, उनके खिलाफ में इस लिये विशेष आवाज उठाता हूं कि उन्हीं के कारण आज सरकारी कर्मचारियों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। वे अगर उनकी सिफारिश ठुकरा दें, तो फिर मन्त्री महोदय के पास वे सिफारिश पहुंचाते हैं और मंत्री महोदय के पास जब बार-बार इस प्रकार की चीजें आती हैं तो वे बेचारे कुछ अधिक बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको भी दो-तीन साल आगे देखना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर उनका अगला चुनाव निर्भर है। हालांकि ये सब बातें यहां कुछ असंगत सी हैं, लेकिन यदि सरकार सारी जिम्मेदारी ले और सब काम चलाने की कोशिश करे तो यह गलत बात है। सरकार का कर्त्तव्य है कि सभी संस्थाओं को सही रास्ते पर डाल दे, सिर्फ उन पर रोक लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले।

मैंने यह बात हमेशा कही कि आगरा युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यह बात आवश्यक हो गयी थी कि सरकार अपने हाथ में अधिक से अधिक अधिकार ले, किन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि किसी और के अधिकार भी वह छीन ले। मैं मानता हूं कि युनिवर्सिटी और एफ़िलियेटेड कालेजेज़पर सरकार को पूरा अधिकार रखना चाहिए किन्तु यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता कि वे किसी के ऊपर आक्षेप लगाकर उसको भविष्य के लिये अयोग्य ठहरा दें, और उसके पूरे अधिकारों को छीन लें। जो उत्तर पहले संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने दिया है, वह मेरी गलती या मूर्खता की वजह से मेरी समझ में नहीं आया लेकिन उनकी तरफ जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि वह उसको समझ गये हैं। वे दरअसल समझ गये होंगे।

इतने शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति सरकार द्वारा होना एक अनुचित बात होगी क्योंकि यह एक स्पेशलाइज्ड विषय है जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये पूरा जीवन काटना पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूंकि वह हर एक विषय पर यह न समझें कि उनका डिपार्टमेंट या वे स्वयं हर बात की जानकारी रखते हैं। मैं यह मानता हूं कि उनका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन यह एजुकेशन का विषय है। फिर हर एक दिन का काम उनके सामने नहीं आयेगा। उनके सामने तो बड़े-बड़े मसले ही पहुंच पायेंगे। इसलिये कहीं ऐसा न हो कि अधिकार ले लेने से, उन के पास समय न होने से या सेक्रेटरी के पास समय न होने से, आन दी स्पाट जो लोग हैं वे भी वहां पर होने वाले घपले को रोकने में असमर्थ हो जायं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे त्रिपाठी जी ने भवन के समक्ष रक्खा है, मैं उसका विरोध करता हूं। त्रिपाठी जी का संशोधन यह है कि वाइस-चांसलर जो नियुक्त किया जाय उसके लिये पहले एक कमेटी बनायी जाय। वह कमेटी कुछ नाम एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने भेजे, और एक्जीक्युटिव कौंसिल उन नामों में से छांट कर चांसलर के पास भेजे। उसमें यह भी कहा गया है कि इस कमेटी में एक प्रतिनिधि चांसलर का हो, दूसरा प्रतिनिधि एक्जीक्युटिव कौंसिल का हो, तथा तीसरा प्रतिनिधि पब्लिक सर्विस कमीशन का हो। वास्तव में यह चीज एक्जीक्युटिव कौंसिल के ही अधिकार में होगी, कि वाइस चांसलर की नियुक्ति किन-किन आदमियों में से की जाय और जो एक्जीक्युटिव कौंसिल नाम छांटेगी, चांसलर उन नामों में से एक को चुनेगा। फिर जब कि एक्जीक्युटिव कौंसिल वर्चुअली वाइस-चांसलर को चुनने का अधिकार रखती है, तो फिर वह अपना प्रतिनिधि किसी दूसरी कमेटी में भेजे, यह बात समझ में नहीं आती है। किसी संस्था का प्रतिनिधि

किसी दूसरी कमेटी में भी भेजा जाता है जब कि उसके हाथ में अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार से जब चांसलर उसके पास आये हुए तीन नामों में से किसी एक को चुनेगा, तो उसके प्रतिनिधि का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि कानूनी दृष्टि से नियुक्ति चांसलर के ही हाथ में होगी। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के तीसरे सदस्य का ताल्लुक है, वह बेकार सी चीज है।

इसके अतिरिक्त त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है, उसके १, २, ३ खंड हैं, जो एक दूसरे से कन्ट्राडिक्ट करते हैं। त्रिपाठी जी ने लिखा है—

"The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University elected by the Executive Council."

लेकिन दूसरे ही खंड में वे लिखते हैं—

"The Chancellor shall endorse the choice of the Executive Committee for the post of Vice-Chancellorship."

जहां तक इलेक्शन का सवाल है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल इलेक्ट करेगी और जब किसी का निर्वाचन होता है, तो वह चीज फाइनल मान ली जाती है।

जब एलेक्शन हो जाता है, तब चांसलर उस डिसिजन पर अपनी मुहर लगाता है। फिर उसे इन्डोर्स करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। आपने कहा है—

"The Chancellor may after giving specific reasons refer back the matter to the Executive Council for reconsideration but the choice of the Executive shall be final."

यहां आपने लिखा है कि चांसलर उन्हीं नामों में से लेगा। जहां तक एलेक्शन और चांसलर के मुहर लगाने का सवाल है, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो संशोधन है, वह ठीक नहीं है और यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। जहां तक इसका सवाल है, कि कमेटी कुछ नाम पेनल के रूप में एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने रखेगी, अगर यह मान लिया जायगा तो मैं समझता हूं कि यह सिस्टम बड़ा पेचीदा हो जायगा। एक तरफ एक्जीक्युटिव कौंसिल कुछ नाम चांसलर के सामने भेजेगी और फिर एक्जीक्युटिव कौंसिल उन नामों पर विचार करेगी और कमेटी उसके सामने नहीं है तो यह प्रोसीजर बड़ा पेचीदा हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह न्याय के अनुसार नहीं मालूम पड़ता है। इस लिये यह जो संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

जहां तक हमारे मित्र शाह साहब ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार वाइस चांसलर की नियुक्ति अनुचित तरीके से करने जा रही है, मैं तो यह समझता हूं कि यह विधेयक जिसमें कि सिलेक्ट कमेटी ने संशोधन पेश किया है, उसके पास होने के बाद अब किसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार वाइस चांसलर की नियुक्ति अपनी तरफ से करने जा रही है। अब तो पूरा अधिकार एक्जीक्युटिव कौंसिल को ही हो गया है कि वह जो नाम चांसलर के सामने भेजेगी, चांसलर उन्हीं नामों में से किसी सज्जन की नियुक्ति कर सकता है। अगर चांसलर तीन नामों के आने के बाद समझता है कि कोई नाम ठीक नहीं है, तो वह फिर एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने उन नामों को रिकन्सीडरेशन के लिये भेजेगा। फिर भी अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल उन्हीं तीन नामों को भेजती है, और कुछ संशोधन करने के बाद, कुछ घटाने-बढ़ाने के बाद दूसरे नाम भेजती है, तो जो नाम एक्जीक्युटिव कौंसिल भेजेगी, चांसलर उन्हीं में से किसी को चुन सकता है। वह किसी चौथे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो एक तरह से यहां युनिवर्सिटी की आटोनामी का सरकार उल्लंघन नहीं करती है, बल्कि यहां पर संशोधन के बाद तो युनिवर्सिटी के आटोनामस होने का रेस्पेक्ट किया जाता है। उसको मान्यता प्रदान की जाती है। इन शब्दों के साथ में श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है। दो नक्शे हमारे सामने हैं। एक तो विधेयक में वाइस-चांसलर को चुनने का जो तरीका बतलाया गया है, और दूसरा वह तरीका जो संशोधन में रखा गया है। विधेयक के अन्दर चांसलर को अख्तियार दिया गया है कि वे केवल तीन नामों में से जो एक्जीक्युटिव कौंसिल उनको भेजे, उनमें से एक को वाइस-चांसलर चुन ले। एक्जीक्युटिव कौंसिल को तीन नाम अपने चुनने पड़ेंगे। अगर तीन नामों के अतिरिक्त चौथा नाम नहीं है तो एक्जीक्युटिव कौंसिल तीनों को चांसलर के पास भेज देगी। अगर तीन नाम से ज्यादा नाम हैं तो एक्जीक्युटिव कौंसिल अपने सामने रखे गये, नामों में से सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये तीन नाम चुनेगी और उन नामों को चांसलर के पास भेज देगी। और उनमें से चांसलर किसी को वाइस-चांसलर नियुक्त कर देगा। जो संशोधन श्री त्रिपाठी जी ने रखा है, उसमें वाइस-चांसलर को चुनने का अधिकार चांसलर को नहीं दिया गया है, बल्कि एक्जीक्युटिव कौंसिल के सामने सेलेक्शन कमेटी जो नाम तजवीज करेगी, उन नामों में से एक्जीक्युटिव कौंसिल एक नाम चुनेगी और उन्हें वाइस-चांसलर नियुक्त करेगी। इस संशोधन में कहा गया है कि सेलेक्शन कमेटी के पेनल में इन तीन व्यक्तियों के नाम होंगे। एक चांसलर जिनको चुने, एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल जिनको नियुक्त करे और तीसरा पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको मुकर्रर करे। जहाँ तक पब्लिक सर्विस कमीशन का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल में वाइस-चाँसलर की नियुक्ति से पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक दूसरे काम के लिये नियुक्त होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार के आदमी होते हैं, यह लाजिमी नहीं है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेषज्ञ हों और इसके उपयुक्त हो कि वे वाइस चाँसलर की नामजदगी कर सकें। तो एक मेरा विरोध इस सेलेक्शन कमेटी में किस प्रकार के लोग रखे जायं उसके ऊपर है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जहाँ तक एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर वाइस-चाँसलर की नियुक्ति को छोड़ने का प्रश्न है उसपर काफी वाद विवाद हो चका है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न प्रयाग विश्वविद्यालय के अन्दर भी था और मूथम कमेटी के सामने भी था। मूथम कमेटी ने भी इस पर विचार किया और मूथम कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि वाइस चाँसलर की नियुक्ति एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिये। इसलिए कि वाइस चाँसलर एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी के शासन का पूरा भार है और उसकी नियुक्ति अगर उन्हीं लोगों पर छोड़ी जाय जो उसके नीचे काम करते हैं, टीचर्स इत्यादि पर, तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसके कारण वाइस चाँसलर के हाथ कमजोर हो जायेंगे। श्रीमन्, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के अन्दर टीचर्स और ऐसे व्यक्ति जिनका सम्बन्ध प्रायः शिक्षा से रहता है उनकी संख्या ज्यादा होती है। देखा यह गया है कि जहाँतक एटेंडेंस का सम्बन्ध है प्रायः टीचर्स ही का वहाँ बहुमत रहता है। ऐसी स्थिति में एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर अंतिम फैसला वाइस चाँसलर की नियुक्ति का रखना कहाँ तक उचित है यह जैसा मैंने निवेदन किया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके सम्बन्ध में मूथम कमेटी की जो राय है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मूथम कमेटी रिपोर्ट के पृष्ठ १५४ पर कहा गया है :—

"We think that the present system suffers from three main defects. In the first place it is said, and we think with justification, that only the nominee of the majority group in the Executive Council stand any chance of election, for it is only their names which will be submitted to the Court. Secondly, the electorate consists largely of teachers of the University (who, although they are a minority on paper, constitute the majority of those present at meetings of the Court) and we think it far from satisfactory that a Vice-Chancellor should largely owe his appointment to the votes of those over whom he is the academic and administrative head."

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर आखिरी फैसला छोड़ना मुनासिब नहीं है और इस संशोधन में जो यह कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर इस फैसले का निर्णय किया जाय वह उचित नहीं प्रतीत होता ।

दूसरे श्रीमन्, एक प्रश्न और भी उठता है और वह यह कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने कितने नामों का पैनेल यह कमेटी भेजेगी। संशोधन में यह सिर्फ कहा गया है कि एक सेलेक्शन कमेटी बनेगी और वह सलेक्शन कमेटी नाम भेजेगी। कितने नाम भेजेगी यह माननीय रामनारायण जी ने अपने संशोधन में स्पष्ट नहीं किया है। वह ३ नाम भेजेगी या ४ नाम भेजेगी या ५ नाम भेजेगी इसकी संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। यह बड़ी भारी त्रुटि है। ३, ४, या ५ नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने आयेंगे फिर वहाँ पर खींचातानी का प्रश्न उठेगा और फिर जब एक्जिक्यूटिव कौंसिल वाइस चाँसलर को चुनेगी तो वह बहुमत से चुनेगी वहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट का सवाल नहीं उठेगा । फिर वही बात उठेगी जो कि आजकल सामने है और जिसके बारे में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा में काफी कमजोरी आगयी है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल में पार्टी बन्दी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ग्रूप ह। हो सकता है माइनारिटी का ग्रुप हो, और हो सकता है मेजारिटी का ग्रुप हो। तो जब नामों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है तो फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने जब नाम आयेंगे तो वह किस प्रकार से उन नामों में से चुनेगी । इससे फिर झगड़ा उत्पन्न हो सकता है जो कि आजकल सामने है। तो यह भी एक बड़ा भारी महत्व का प्रश्न है।

इसके बाद मेरा यह निवेदन है कि जो नक्शा हमारे सामने विधेयक में रखा गया है वह भले ही १६ आने पूरा न हो या जो संशोधन में रूप रखा गया है उससे बहुत ज्यादा यह नक्शा सुन्दर न हो। उसके अन्दर एक्जिक्यूटिव कौंसिल तीन नाम भेजेगी । उसमें चाँसलर को अधिकार है कि वह उपयुक्त आदमी को चुने। यह जाहिर है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में सब प्रकार के लोग होते हैं। अगर वहाँ पर दलबंदी है तो दोनों दल अगर चुन लें और ३ आदमियों का नाम भेजा गया हो तो फिर उसमें सभी प्रकार के लोग आ जायेंगे। अगर मेजारिटी ग्रूप हो तो वह दो को चुन लेंगे और एक माइनारिटी का होगा । इसमें चान्सलर को यह अधिकार हो जायगा कि वह तीन व्यक्तियों में से किसी एक उपयुक्त आदमी को चुन ले। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने तीन से अधिक नाम हैं तो वहाँ पर उसके लिये एक बहुत ही मुनासिब तरीका रखा गया है जिसके द्वारा मेजारिटी और माइनारिटी ग्रुप के नुमाइन्दे और उनके प्रतिनिधि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा पैनाल में आ जायेंगे उन नामों में से जो कि तीन नाम पैनाल के लिये चाँसलर के सामने जायेंगे। ऐसी स्थिति में जहाँ दलबन्दी का और मेजारिटी और माइनारिटी की खींचातानी का प्रश्न है, वह प्रश्न हल हो जाता है और चाँसलर को फिर यह मौका मिलगा कि तीन में से किसी मुनासिब आदमी को वह नियुक्त कर दे ।

अब श्रीमन्, एक और गम्भीर प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है कि चाँसलर के हाथ में वाइस-चाँसलर के चुनाव का अन्तिम निर्णय देना कहाँ तक मुनासिब है ?

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रस्तावित संशोधन में यह कहा गया है कि वाइस चाँसलर के चुनाव में "the choice of the Executive shall be final" यानी एक्जीक्यूकिव को ही यह अंतिम अधिकार होगा। मूथम कमेटी ने कई सुझावों पर गौर किया और किसी भी सुझाव में उसने यह नहीं कहा कि अन्तिम फैसला एक्जीक्यूटिव कौंसिल का होना चाहिये । उसने अपने निर्णय के बाद जो सुझाव रखा उस

[श्री शिवनाथ काटजू]

में कहा गया है कि यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकमत हो और वह एकमत से एक नाम चुने तब भी उसका निर्णय आखिरी नहीं होगा, वह नाम कोर्ट के सामने जायगा और वहाँ यदि तो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जायगा तो वह चाँसलर के पास भेजा जायगा और वह उसे स्वीकार करेगा। अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने एक नाम न हो और वहाँ एक सेलेक्ट कमेटी बने जिस में २ एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रतिनिधि हों और एक एकेडेमिक कौंसिल का और वह नामों का पेनल चाँसलर के पास भेजे और चांसलर उनमें से एक नाम चुने। मेरा निवेदन है कि मूथम कमेटी ने जिस ने कई सुझावों पर गौर किया था उसने सोच विचार के जो अपना निर्णय रखा उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का फैसला आखिरी होना चाहिये बल्कि उसके विरोध में कमेटी की रिपोर्ट में जो कहा गया है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। रहा चाँसलर के चुनने का प्रश्न, यह भी अपने स्थान पर काफी गम्भीर और महत्वपूर्ण है।

श्रीमन्, आज चाँसलर प्रांत के गवर्नर ही होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है जो बहुत ही वैधानिक है कि जब चाँसलर काम करते हैं तो वह अपनी राय से करते हैं या मंत्रिमंडल की राय से करते हैं। सन् ३५ के ऐक्ट में गवर्नर कुछ फैसले अपनी व्यक्तिगत राय से करते थे और कुछ मंत्रिमंडल की सलाह से करते थे। आज हमारे विधान में यह भेद नहीं है और गवर्नर यदि चाँसलर भी हैं तो वह गवर्नर ही रहते हैं और वह अपने व्यक्तित्व को दो रूपों में विभाजित नहीं कर सकते, वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हर काम करने पर बाध्य होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही मंत्रिमंडल की ही होती है, हालाँकि उसका स्पष्टीकरण नहीं है परन्तु प्रश्न यह होता है कि यदि चाँसलर उस पैनल के नामों में से एक को चुनेगा तो वह स्वतंत्र रूप से चुनेगा या कि वह मंत्रिमंडल की सलाह से वह कार्य करेगा। मेरे विचार में यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे काम में मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य होना चाहिये ताकि उसकी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की हो और मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी इस सदन को है और उसके अन्दर है। फिर ज्यादा उलझनें उपस्थित नहीं हो सकतीं। वाइस चाँसलर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब यह स्पष्ट हो गया कि हमारे विश्वविद्यालयों के बहुत से झगड़े और बहुत सी शिकायतें जो कि प्रगट हो रही हैं उनका मुख्य कारण वाइस चाँसलर के चुनाव के झगड़े हैं। उन्हीं झगड़ों के कारण वह संकट उपस्थित होता है जिससे कुछ अंश में हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण आज इतना दूषित दिखता है।

वाइस चाँसलर के चुनाव के लिये कई सुझाव हमारे सामने रखे गये। कई सुझाव मुख्तलिफ कमेटियों के सामने आये और इस प्रश्न के ऊपर बहुत गम्भीरता से ध्यान दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि विधेयक में जो सुझाव रखा गया और जो मार्ग निर्दिष्ट किया गया वह परिस्थित को देखते हुए सबसे सुन्दर है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं हो सकता। यदि होवे तो मैं अपने विरोधी दल के मित्रों से कहूंगा कि वह बतायें और मुझे विश्वास है कि सरकार उसको स्वीकार करेगी लेकिन उन्होंने जो रूप यहाँ अपने संशोधन में रखा है उसके अन्दर बड़ी शिथिलता है और उससे बजाय बेहतरी के, बजाय संकट के दूर होने के, यह सम्भावना है कि वह संकट और ज्यादा प्रबलता से हमारे सामने आ जाय। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो सुझाव हमारे सामने है वह आजकल की परिस्थिति को देखते हुए इतने सोच-विचार और इतने निर्णय के बाद रखा गया है। उससे सुन्दर अगर कोई दिखे और उनकी समझ में आये तो वह सदन के सामने रखें। किन्तु आज हमारे सामने इससे अधिक सुन्दर और कोई नहीं है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको दलबन्दी की नजर से देखा जाय यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा की उन्नति का प्रश्न है। उनको सुधारने का प्रश्न है और हमारे जो नवयुवक हैं उनके भविष्य को संवारने का प्रश्न है। आज यदि सरकारी

कुर्सियों पर कांग्रेस है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि यह विधेयक भी उन्होंने यह समझकर बनाया है कि वे हमेशा, हर परिस्थिति में वहीं बैठे रहेंगे। यह विधेयक तो रहेगा और यह विधेयक तो अगर जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि खुदा न ख्वास्ता हमारे विरोधी दल के मित्र भी यहाँ कभी बहुमत में आ गये तो उनके लिये भी रहेगा मेरे ख्याल में यह काफी सुन्दर सुझाव है और वे इसको इतनी जल्दी पलट नहीं सकेंगे जितनी जल्दी कि आज वह उतावलेपन में इसको पलटने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और बहुत वाद-विवाद के बाद तथा काफी सोच-समझ कर यह मार्ग हमारे सामने रखा गया है और हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, इससे बेहतर सुझाव हमारे सामने नहीं है। मैं अपने मित्रों से यह आशा करूंगा कि वे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह आगरा यूनिवर्सिटी में जो कुछ बुराइयां पैदा हुईं जो भी सब कठिनाइयां आज सरकार को झेलनी पड़ रही हैं और जो भी दिक्कतें सामने आयीं वह हर तरफ से यह माना गया कि इसकी वजह जो थी वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल थी। उसमें कुछ लोग ऐसे आ गये थे, कुछ ऐसे प्रतिबन्ध नहीं थे जिन के कारण बहुत सी गुटबंदियां रोकी जा सकती थीं। इन पार्टी पोलिटिक्स की वजह से, गुटबंदियों की वजह से शिक्षा का स्तर भी नीचे गिरने लगा और बहुत सी ठिनाइयां यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और सरकार के सामने उपस्थित हुईं जिनके लिए यह विधेयक उपस्थित हुआ और उसके अध्ययन करने से यह साफ है कि खंड १३ में जितनी बुराइयां दूर करने के लिये संशोधन आये हुए हैं वह काफी हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई मतलब अब नहीं पाया जा सकता है कि उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल में किसी तरह की धांधली हो सके। इस खंड १३ के रहते हुए भी आप एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर विश्वास न करें तो मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। यह एक ऐसा अविश्वास है जिस को दूर करना ही हमारे लिये लाभदायक है।

श्रीमन्, अब यदि माननीय राम नारायण जी के संशोधन पर ध्यान दिया जाय तो इसमें कोई बुराई नहीं है जिसमें लोगों को कोई आपत्ति हो। इनके संशोधन से यह स्पष्ट है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल को ही अधिकार नहीं है बल्कि एक पेनल ऐसा बनाया जाय जिस में चांसलर द्वारा नामिनेटेड व्यक्ति हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का एक आदमी हो और एक एमिनेंट एजूकेशनिस्ट हो जोकि एक्जीक्यूटिव कौंसिल से चुना हो। अब इस पेनल द्वारा जो नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने आते हैं उनमें किसी तरह की आशंका नहीं उत्पन्न हो सकती है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल में किसी तरह की धांधली हो सकती है। बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका एक्जीक्यूटिव कौंसिल के फार्मेशन को सुधारने के लिये क्लाज १३ काफी है। मेरे दोस्त का मतलब यह था कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर चेक रखने के लिये एक पेनल ऐसा बनाया जाय और उस में ऐसे व्यक्ति हों और उनकी क्वालिफिकेशंस ऐसी हों जिनकी वजह से कोई भी धांधली करने की गुञ्जाइश न हो सके। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की आटोनोमी पर ध्यान रखते हुए सरकार को यह न भूलना चाहिये कि आप हस्तक्षेप करें लेकिन अकारण न करें। एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो नाम आते हैं और जो कि माननीय राम नारायण जी के संशोधन के उपखंड (३) से प्रत्यक्ष है कि यदि "दि चवाइस आफ दि एक्जीक्यूटिव कौंसिल शैल बी फाइनल" श्रीमन् इसमें आपत्ति कहाँ हो सकती है? और अगर यह मान लिया जाय कि चांसलर को ही अख्तियार दिया जायगा कि वह वाइस चांसलर की नियुक्ति करे तो उसका परिणाम यह होगा, जैसा कि प्रदेश की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में देखा जा सकता है, वाइस चांसलर महोदय में न तो इतना साहस है कि अपनी यूनिवर्सिटी के अधिकारों का संरक्षण कर सकें और इस हद तक भी जा सकते हैं कि जबकि गोली और हत्याकांड हो तो वह कम्पाउन्ड में भी नहीं दिखायी देते हैं। तो कैसे सरकार पर इतना भरोसा किया जाय? मैं सरकार

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

की नीयत पर हमला नहीं करता। लेकिन श्रीमन् से यह मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि भविष्य में कोई बदनियत सरकार भी हो सकती है। इसलिए अगर यह जिम्मेदारी से उधर का पक्ष लेने के लिये तैयार हैं तो वह भले ही ले लें लेकिन विरोधी दल इस गलती को मानने के लिये तैयार नहीं है। अगर चांसलर को पूर्ण अधिकार वाइस चांसलर की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये जाते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि सरकार का हस्तक्षेप इस क़दर बढ़ता जायगा कि चांसलर बहुत से स्थानों पर विवश हो जायगा और बहुत जगहों पर यह नहीं चाहेगा कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाय जो इस प्रदेश, देश और शिष्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हों। इन शब्दों के साथ में माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिये तैयार हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय काटजू जी ने कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति का जो प्रश्न है वह एक बड़ा महत्व का प्रश्न आज हमारे सामने है और इसमें न तो को पार्टी का प्रश्न है और न इस बात का ख्याल है कि किसका आदमी वहाँ रखा जाय या कौन हो। सब लोग इस बात पर इत्तिफाक करते हैं कि वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का सबसे योग्य व्यक्ति होना चाहिये चाहे वह किसी पार्टी को बिलांग करता हो। वह देश का एक ऐसा आदमी होना चाहिये जिसके नाम से ही यूनिवर्सिटी चल सकती हो। तो इस बात की कोशिश की गयी कि कौन सा तरीका हो सकता है कि जिस से हम अच्छे से अच्छा वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के लिये नियुक्त कर सकें जिसमें किसी पार्टी का भी प्रश्न न रहे और न यह रहे कि फलां-फलां की गवर्नमेंट थी और उन्हीं का आदमी वहाँ चला गया है। आज तक आगरा युनिवर्सिटी में यह होता था कि सिनेट के लोग ही एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बहुमत रखते थे और उन्हीं के नुमाइन्दे चुन करके एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आते थे। इस प्रकार आगरा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के अप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में जो पार्टी पोलिटिक्स चला करती थी उसी को दूर करने के उद्देश्य से यह बिल हमारे सामने आया है। कोशिश इस बात की की गयी और हमने भी सिलेक्ट कमेटी में अपने सुझाव दिये कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय कि जिससे हम सब से योग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त कर सकें।

जो प्रश्न माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने आज सदन के सामने उठाया है वह विचार करने लायक प्रश्न है। हमें आशा थी और इसीलिए हमने इस प्रश्न को सदन में उठाया कि शायद इस सदन में कोई और रास्ता निकल जाय और हमारे माननीय सदस्य कोई ऐसी सलाह सरकार को दे सकें कि यह रास्ता वाइस चांसलर की नियुक्ति का सबसे अच्छा होगा। पर हमें दुख है कि वे कोई नया रास्ता न बता सके। इसलिये हमारी समझ में यह आता है कि जो रास्ता हम बता रहे हैं वह ठीक है। आज हमारे सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एलेक्शन का भी एक तरीका है। जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का चुनाव होता है वह रास्ता भी हमारे सामने है। हमारे प्रांत के अन्दर जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का चुनाव होता है वह तरीका भी हमारे सामने है। लेकिन जो संशोधन हमने रखा है उससे उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी अच्छी सहूलियत होती है और वह यह है कि जहाँ पर २१ आदमी एक वाइस चांसलर का चुनाव करेंगे, तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि २१ एक्जीक्युटिव कौंसिल के मेम्बरों में से कोई किसी के लिये प्रस्ताव एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखे। उसके बाद बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने आप को आफर करें कि हम आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होना चाहते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जो आदमी इस बात की अर्जी दे कि मैं आगरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहता हूं और उसके लिये वह

मेम्बरों में कनवेसिंग करे और तोड़फोड़ करे उसको सब से पहले हटा देना चाहिये और उसको यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं होना चाहिये। उसके बाद अगर सारे मेम्बर एक्जीक्यूटिव कांउसिल के जो कि अलग-अलग दलों के होंगे, अलग-अलग सिनेट के छांटे हुए होंगे, कोई गवर्नमेंट का नुमाइन्दा होगा और कोई और लोग होंगे उनकी तादाद २१ होगी उनमें इस बात की भी दिक्कत हो जायगी कि किस आदमी का नाम प्रपोज किया जाय और भेजा जाय। उसमें यह भी खतरा है मान लीजिये कि किसी ऐसे बड़े आदमी का नाम प्रपोज किया गया जिसको कि यह उम्मीद हो कि हो सकता है उसका नाम चांसलर साहब के यहाँ से रेजेक्ट हो जायगा। इसलिए वह तैयार न हो। तो श्रीमन्, मेरे इस संशोधन करने का मतलब यह है कि पहले से ही बड़े-बड़े आदमी उनके नाम छांटने के लिये नियुक्त पर दिये जायं जोकि अपने देश के अच्छे से अच्छे आदमी को छांटे और वह वाइस चांसलर नियुक्त किया जाय। उन छांटने वालों को यह अवसर भी मिल सकता है और वे उन्हें एप्रोच भी कर सकते हैं कि वे छांटने वाले हैं। मिसाल के लिये मान लीजिये कि उस कमेटी के सामने यह बात आयी कि आचार्य नरेन्द्रदेव आगरा यूनिवर्सिटी के लिये सबसे अच्छे आदमी होंगे या और भी ऐसे आदमी हो सकते हैं तो उनके पास कमेटी के लोग जा भी सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाना चाहते हैं। लेकिन जो २१ आदमियों की एक्जीक्यूटिव कौंसिल होगी उसके लिये ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए एक्जीक्यूटिव कौंसिल को इन तीन सलाहकारों से नामों के छांटने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

अभी माननीय काटजू जी ने कहा कि वह कमेटी कितने नाम पेश करेगी या कितनी लम्बी लिस्ट बनेगी फिर वहाँ से तीन आदमियों की कमेटी के छांटने में और भी दिक्कत होगी क्योंकि उसमें बाहर के लोग होंगे। एक चांसलर साहब का भी नुमाइन्दा होगा, एक हमारे देश का बहुत बड़ा विद्वान् होगा और एक कमीशन का भी मेम्बर होगा। मैं तो यह कहता हूं कि वे तीन ही लोग ऐसे हैं जिन पर हमें भरोसा है कि वे विद्वान् से विद्वान आदमी को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिये और अप्रूवल के लिये भेजेंगे। इसीलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

एक सदस्य—यह आपने स्पष्ट नहीं किया कि कितने नाम भेजे जायेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं तो यही चाहूंगा कि एक ही नाम भेजा जाय। लेकिन चूंकि उन २१ आदमियों में अलग-अलग दल के लोग होंगे इसलिये दिक्कत हो जायगी और वहां वोटिंग भी हो जायगी। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि एक ही नाम हो और अगर २ या ३ भी भेजेंगे तो वे यह कह कर भेजेंगे कि हम एक को तो बनाना चाहते हैं और एक्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी का नाम ड्राप भी कर दिया जाय तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिये। उन महानुभावों से भी हम कह सकते हैं और समझा सकते हैं और उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यह नहीं चाहेंगे कि उनका नाम ऊपर भेजा जाय और फिर वहां से हटा दिया जाय इसलिये वे अपने नाम भी वापिस ले सकते हैं।

इसलिये श्रीमन्, वाइस चान्सलर की नियुक्ति एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर कि यूनिवर्सिटी का सारा दारोमदार है। जैसे कि हमारे आचार्य नरेन्द्र देव जी जिस यूनिवर्सिटी में गये उस यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। हर यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं कि वे हमारे यहाँ वाइस चान्सलर रहें। इसी तरह से हमारे और भी महानुभाव जहां जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहां उनसे उस यूनिवर्सिटी की शान रहती है और उनकी स्वयं भी शान होती है। इसलिये यह एक ऐसा पद है जो कि इस राज्य के बच्चों को शिक्षा देने में सहायक होता है। जब किसी विश्वविद्यालय में देखते हैं कि अच्छा वाइस चांसलर है तो फिर हम नहीं देखते कि वह क्या कानून है, किसकी पावर्स हैं और वह कैसी कमेटी है बल्कि हम तो यह देखना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ऐसा हो कि वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल को साथ लेकर यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह से चला सके। अगर तीन आदमियों की यह कमेटी अच्छे आदमी को

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भेजेगी तो मुझे पक्का विश्वास है अध्यक्ष महोदय, कि जिस किस्म के लोग इस कमेटी में होंगे वह उसको एप्रूव करके चांसलर के पास भेजेंगे और उसे वह मंजूर करेंगे। मुझे तो इस बात की आशा है कि जिस नाम को कमेटी छांटे उसी को एक्जीक्यूटिव कौंसिल कंफर्म करे और चांसलर साहब मजबूर होकर उसी आदमी को मंजूर करें। ऐसी कोई व्यवस्था हम निकाल सकें तो मैं समझता हूं कि वह वाइस चांसलर के अप्वाइमेंट में रखी जाय। क्योंकि हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर की जगह पर किसी अच्छे आदमी को लिया जाय। यों तो संशोधन हुआ ही करते हैं और आगे भी हो सकते हैं अगर जरूरत समझी जावे तो।

जो तरीक़ा आज प्रचलित है वह बनारस में है, हमारे यहां भी है। अब हम चाहते हैं कि नई चीज को भी देख लिया जाय अगर इससे अच्छा काम हो तो इसको जारी रखा जाय। अगर देखें कि इसमें कुछ खराबी है तो इसको बन्द कर दिया जाय और दूसरी जगह की यूनिवर्सिटीज के तरीक़ों को देखा जाय। वैसे तो बड़ी बड़ी कमेटियों ने भी अपने मत दिये हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हम इस बत का दावा तो नहीं करते हैं कि हमारी बात ही सब से ज्यादा ठीक है बल्कि हमारा उद्देश्य तो यह है कि वाइस चांसलर कोई अच्छा आदमी होना चाहिये जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह से चला सके जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। इसी उद्देश्य को ले कर हम इस चीज को यहां लाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह समझें कि यह सुझाव ठीक है तो वह इसे स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह प्रश्न बड़े महत्व का है और अभी केवल ३-४ आदमी ही बोले हैं। इसलिये प्रश्न अभी उपस्थित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—६, ७ आदमी बोल चुके हैं लेकिन मैं पहले श्री मलखान सिंह को अवसर देता हूं।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे भाई श्री शिवनाथ काटजू ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो आजकल का चांसलर है वह हमारी सरकार का नुमायन्दा है और जो सरकार उससे कहेगी वह उसी नाम को स्वीकार करेगा। इस बात को उन्होंने अपने उदार हृदय से स्वीकार कर लिया है। अब जो कुछ दिक्क़त आज आ रही है और युनिवर्सिटीज में आज कल झगड़े रोजाना चल रहे हैं उसकी तह पर तो आप पहुंच ही गये होंगे। मैंने तो उन लोगों से भी बातचीत की है जो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते हैं। जहां पर युनिवर्सिटीज के अन्दर पार्टीबाजी का सवाल आ जाता है और जहां यह सवाल आता है कि हमारी ताक़त स्टूडेंट के जरिये बढ़ जाय वहां पर यह झगड़े आने शुरू हो जाते हैं और म इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस थोड़े से जमाने में यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आगई है उसका कारण यह है कि रूलिंग पार्टी ने इस बात की कोशिश की और इस बात को बुरी नजर से देखा कि अगर कोई विद्यार्थी दूसरी पार्टी के हैं तो उनका महत्व कैसे बढ़ गया। यह नहीं होना चाहिये था और इस बात की कोशिश की गई.....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट से बाहर जा रहे हैं।

श्री मलखान सिंह—मैं प्वाइंट से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थियों की यूनियन के संगठन वगैरह के प्रश्न को लेकर यह सवाल उठाया

गया तो यह सब केवल इसलिये उठाया गया कि रूलिंग पार्टी ने देखा कि इस वक्त उनकी गाड़ी एक दल दल में फंसीजा रही है हममें से कौन ऐसे भाई हैं। जो नहीं जानते कि जब विदेशी गवर्नमेंट यहां पर थी उस वक्त भी युनिवर्सिटियां थीं और विद्यार्थी हर तरह से हम लोगों के कहने पर उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की पगड़ियां उछालते थे लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि वहां पर जा कर विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया हो या गोलियां चलाई हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि हमारे लायक़ दोस्त जो बातें कह रहे हैं उनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन ही पर बोलें तो अच्छा है।

श्री मलखान सिंह---मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि वाइस चांसलर का अप्वाइंटमेंट बड़े महत्व का है और इसे मेरे भाई श्री शिवनाथ काटजू ने भी मान लिया है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)---गोली और लाठी चार्ज की बात तो १८ तारीख को कहियेगा। उसके लिये तो दिन मुक़र्रर हो गया है। इस समय तो बिल की बात कहिये।

श्री मलखान सिंह---मैं इसी अमेंडमेंट पर बोल रहा हूं। जो यह कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है, मैं इसको भी मानने के लिये नहीं तैयार हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट का बिल पेश है उसके अनुसार भी अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक आदमी का ही नाम भेजे तो आप मजबूर नहीं कर सकते कि वह तीन ही आदमियों का नाम भेजे और उसको चांसलर साहब को मजूर करना पड़ेगा। इसलिये इस संशोधन में एक्जीक्यूटिव कौंसिल को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। साथ ही यह भी मेरे भाई उपाध्यक्ष जी ने साफ कर दिया कि जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल २१ आदमियों की बनायी गयी है तो उसमें भी इस बात का पूरे तौर से ध्यान रखा गया है कि कोई पार्टी उसमें ज्यादा महत्व की न हो जाय। पार्टीबन्दी से बिलकुल अलाहिदा रख कर ही एक्जीक्युटिव कौंसिल को चुनने का क़ानून बनाया गया है। तो उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर आप विश्वास न करें यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। हमने इस बात पर अपना नोट भी दिया है। तो इस बात को समझ लेना चाहिये कि वाइस चांसलर की जो पोस्ट है वह बहुत महत्व की है। जैसा कि अभी उपाध्यक्ष जी ने बताया कि आप एक्जीक्युटिव कौंसिल को यह अधिकार देते हैं कि वह नाम भेजे तो आपको एक सुगम रास्ता यह बताया जा रहा है कि एक सब कमेटी बनाई जावे और फिर अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल ने तीन नाम भेजे और वह अगर उनसे यह पूछती फिरे कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं तो मैं समझता हूं कि यह एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बेइज्जती है और अगर आप यह चाहते हैं कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल नाम चुन कर भेजे और उन्होंने इन्कार कर दिया कि हम नहीं होना चाहते तो फिर दिक्क़त आयेगी कि आपके सामने फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल नाम भेजे। तो उसके लिये एक सुगम रास्ता आप को यह बताया गया कि एक चान्सलर साहब का नुमायन्दा, एक एक्जीक्युटिव कौंसिल का नुमायन्दा और एक पी० एस० सी० का नुमाइन्दा, ये तीन आदमी रखे जायें इस बात के लिये कि ये लोगों से जा कर राय लें कि आया इस काम के लिये आप तैयार हैं या नहीं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे विद्वान पड़े हुए हैं जिनका पार्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन वह भी नहीं चाहेंगे और कंपेरीजन में आने के लिये अपना नाम खुशी से नहीं देंगे। अगर आप उनसे कहें कि आप अपना नाम चांसलर की पसंदगी के लिये दे दें तो वह आपकी बात से साफ इंकार कर देंगे और ठोकर मार देंगे। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न

[श्री मलखान सिंह]

का वही सुगम रास्ता है जो श्री राम नारायण जी ने सजेस्ट किया है और वह यह कि आप एक सब-कमेटी बना दें जो नाम छांटे और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखे और फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक नाम चांसलर के पास भेजे। इसमें बहुमत का कोई सवाल नहीं है, इसलिये मेरी राय यह है कि राम नारायण जी का जो संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं श्री व्रजविहारी मिश्र के प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे संशोधन में दिलचस्पी ली। मैं कोई शिक्षा का ऐक्सपर्ट होने का दावा तो नहीं करता लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय यूनिवर्सिटीज के सम्बध में है कि इसमें बड़े बड़े ऐक्सपर्ट्स की राय में भी मतभेद है। माननीय काटजू साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी का हवाला दिया लेकिन वह यह भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि राधाकृष्णन् कमीशन की राय इससे बिलकुल उलटी है। जब बड़े बड़े विद्वानों में इसमें मतभेद है तो मैंने जो राय दी है मुझे वही उचित जान पड़ती है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये। यह बात कही जाती है कि आगरा युनिवर्सिटी में पार्टीबाजी थी इसलिये सरकार को इतने अधिकार लेने पड़े। लेकिन उस पार्टी बंदी को खत्म करने का केवल यही एक रास्ता तो है नहीं कि वाइस चांसलर की नियुक्ति चांसलर करे। इस बिल में सरकार ने बहुत से ऐसे साधन उपस्थित किये हैं जिनमें इस बात की कोशिश की गयी है कि पार्टीबाजी खत्म हो जैसे कि सीनेट और ऐक्जीक्यूटिव के अधिकार तथा ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के पर्सनल का नये तरीक़े से बनाया जाना। मैं यह समझता हूं कि शिक्षा मंत्री इस बात को मानते हैं कि वर्तमान ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में अब कोई पार्टीबाजी न होगी, इसलिये कि उन्होंने उसको बनाया है और इसलिये उन्होंने यह मुनासिब समझा कि उनके ज्यादा अधिकार रहें। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक ओर तो उसको ज्यादा अधिकार दिये जाते हैं, पर्सोनल ऐसे रखे जाते हैं कि पार्टीबाजी न हो और दूसरी तरफ उन पर्सोनल्स पर अविश्वास किया जाता है।

दूसरी बात यह है जो मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो विद्यार्थियों का झगड़ा हुआ उसमें दो वाइस चांसलरों ने क़दम उठाये। उनमें एक तो इलाहाबाद के वाइस चांसलर थे जो कि कोर्ट से एलेक्ट होते हैं और दूसरे लखनऊ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिनको चांसलर नियुक्त करता है। दोनों जगह विद्यार्थियों की मांगें एक थीं लेकिन इलाहाबाद का मसला शांति पूर्ण ढंग से तय हो गया लेकिन लखनऊ युनिवर्सिटी में जहां के वाइस चांसलर पर चांसलर का ज्यादा असर था कितनी गड़बड़ी हो गयी और अन्त में बात वही हुई लेकिन यहां वाइस चांसलर को चांसलर के सामने घुटन टेकने पड़े। जिस समय यह झगड़ा चल रहा था तो प्रेस में यह रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई कि वह लापता हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कोर्ट से एलेक्टेड हैं इसलिये वे अपने को इंडिपेंडेंट फील करते हैं लेकिन यहां चूंकि चांसलर का असर था इसलिये इस क़िस्म की गड़बड़ी हुई। इस सम्बन्ध में उनकी काफी बेइज्जती भी हुई। और सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि समस्या का हल जो लखनऊ युनिवर्सिटी में हुआ वह बहुत नामुनासिब है। इसके उदाहरण सब के सामने हैं।

एक तरफ यह कहा जाता है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ऐसी हो जिसमें चेक और बैलेंस लगा हो और कुछ साहब कहते हैं कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल को पूरा अधिकार होना चाहिये। मैं थोड़ी देर के लिये मान लेता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ऐसे पर्सोनल बनाने के बावजूद भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया है और अपना संशोधन पेश किया

है कि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में ऐसे लोग हों, जिनमें एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइन्दा हो, एक चान्सलर का नुमाइन्दा हो और एक एक्जीक्युटिव कौंसिल का नुमायन्दा हो और इन तीनों की एक सब कमेटी बने। माननीय काटजू साहब तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इस योग्य ही नहीं समझते कि उससे इस मसले में सलाह ली जाय। वे कहते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता। सभी इस बात को जानते हैं कि शिक्षा विभाग के जितने एप्वाइंटमेंट होते हैं वे सब पब्लिक सर्विस कमीशन के ही जरिये होते हैं। एक तरह से काटजू साहब का कहना भी ठीक ही है क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी तथा गवर्नमेंट ने भी अक्सर कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो हमें केवल सलाह देने के लिये है, अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसकी सलाह मानें या न मानें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि तीन तीन, चार चार साल तक टेम्पोरेरी आदमी रखे जाते हैं और जब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से प्रोटेस्ट भेजा जाता है तो यही कहा जाता है कि कमीशन केवल हमें सलाह देने के लिये है। अगर माननीय काटजू साहब की धारणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी जैसी ही है तब उनका कहना ठीक ही है। जब विरोधी दल की तरफ से कोई बात कही जाती है तब तो यह कहा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यू०पी० सरकार के मातहत नहीं है, उसके ऊपर सरकार का कोई असर नहीं है, वह बिलकुल इंडिपेंडेंट है और बेकार के लिये विरोधी दल की तरफ से उसकी नुक्ताचीनी की जाती है। एक तरफ तो माननीय काटजू साहब उसको इनएफिशिएंट समझते हैं और दूसरी तरफ उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो इस किस्म की जो बातें कही जाती हैं वे मेरी समझ में नहीं आतीं। यह तो एक पेचीदा सवाल है ही। ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में सिर्फ तीन प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर्स की नुमाइन्दगी करेंगे। इसमें चांसलर को काफी अधिकार दिये गये हैं। सीनेट को अधिकार दिया गया है और सिनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के आपसी कंट्रोल का कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है। तो ऐसी सूरत में सिनेट का नुमाइन्दा, चांसलर का नुमाइन्दा वाइस-चांसलर और साथ ही साथ तीन प्रिंसिपल्स हैं। टीचर्स का एक भी नुमाइन्दा नहीं है। तो फिर ऐसी एक्जीक्यूचिव कौंसिल से डरने की क्या बात है? जो संशोधन मैंने पेश किया है और जो सुझाव मैंने दिया है उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कोई आदमी आगरा युनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो जाय। क्योंकि आगरा युनिवर्सिटी अपने किस्म की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक निराली यूनिवर्सिटी है, वहां का वाइस चांसलर योग्य से योग्य व्यक्ति होना चाहिये। लखनऊ युनिवर्सिटी के उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है उस पर सदन को विचार करना चाहिये और उसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री हरगोविंद सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मदन मोहन जी का बड़ा आभारी हूं कि इस संशोधन पर बोलते हुये उन्होंने निहायत सुथरी और स्वच्छ स्पीच दी। इस बात का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया कि सरकार के ऊपर या जिन लोगों का हाथ इस विधेयक के बनाने में था उनके ऊपर कोई छींटा डालें या उनकी नियत पर हमला करें। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह ठीक ही कहा कि भवन का प्रत्येक सदस्य इसको स्वीकार करेगा कि किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पद इतना ऊंचा है कि हम सब को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम वहां ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति सम्भव कर सकें जो हर चीज से ऊपर उठ कर केवल एक बात से प्रभावित हो कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का भला हो और अच्छी शिक्षा दी जाय और कुरीतियां वहां प्रवेश न करने पावें। इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रश्न बड़ा जटिल है। जितनी रिपोर्टें या जितने कमीशन्स या जितने शिक्षा से सम्बन्धित लोग हैं, जो शिक्षा में ऊंचा स्थान रखते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं सभों ने अपने अपने मत इस बारे में समय समय पर दिये हैं और कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जो युक्ति या जो नियम उन्होंने उपकुलपति के निर्वाचन का रखा है वह इतना अच्छा है कि उसमें किसी तरह से इस बात की संभावना नहीं है कि कुरीतियां आ जायं। हम भी इस बात का दावा नहीं करते कि जो हमने इस विधेयक में निर्वाचन की विधि रखी है वह पूर्णतया इतनी ठीक है कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस बात का विश्वास जरूर दिलाता हूं कि जितने सुझाव इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न रिपोर्टों में

[श्री हरगोविंद सिंह]

या समय समय पर जितने सुझाव दिये गये उन सबको देख कर के ही और सब के मन्थन के बाद ही यह निर्वाचन की विधि इस विधेयक में रखी गयी है। उसमें बालेन्दु शाह जी को यह दिखलाई पड़ता है कि सरकार अपना अधिकार जमा रही है। रामनारायण जी यह कहते हैं कि यह क्रान्तिकारी नहीं है और अगर उनका सुझाव मान लिया जाय तो वह बड़ा भारी क्रान्तिकारी सुझाव है और हम एक बड़ा भारी पग उठावेंगे। खैर, यह तो आप के सामने जो युक्तियां दी गयी हैं उनको एक एक ले करके मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं जो अन्य सदस्यों ने कही हैं लेकिन जो बातें उठाई गई हैं उन्हीं की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा।

पहला आक्षेप तो यह किया गया कि उसमें सरकार अपना अधिकार लेना चाहती है हस्पक्षेप के लिये, उस यूनिवर्सिटी पर क़ब्जा करने के लिये। पहली बात तो उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि आगरा युनिवर्सिटी पर कोई क़ब्जा करने जाय तो कम से कम आगरा युनिवर्सिटी की निस्बत यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी कहीं बड़ी भारी इमारत है और उस पर कब्जा किया जा सकता है। आगरा युनिवर्सिटी के बारे में तो एक सज्जन ने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा कि अगर आगरा में आप जाकर पूछें कि युनिवर्सिटी कहां है तो आपको कोई भी नहीं बता सकेगा कि युनिवर्सिटी फलां जगह है। यह दूसरी बात है कि कोई यह कह दे कि रजिस्ट्रार का अ.फिस तो है लेकिन यह आगरा यूनिवर्सिटी है यह कोई नहीं बता सकता। तो उस पर कोई क़ब्जा करने की बात तो है नहीं लेकिन सचमुच देखना यह है कि क्या सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि जो भी आगरा युनिवर्सिटी का रूप है उस पर अपना अधिकार जमावे। अगर सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया होता तो सीधे सीधे इस विधेयक में यह धारा होती कि आगरा युनिवर्सिटी का उपकुलपति चांसलर द्वारा मनोनीत कर दिया जायगा लेकिन यह नहीं लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि हिन्दुस्तान में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें किसी में भी निर्वाचन में मनोनीत करने की ऐसी विधि नहीं रखी गयी है। बाम्बे युनिवर्सिटी में आज भी यही है कि वहां का उपकुलपति वहां के चांसलर द्वारा नामिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो अगर सचमुच सरकार की यह नीयत होती कि हम इस प्रकार का क़ब्जा कर लें तो हमारे रास्ते में कोई अड़चन नहीं थी कि यहां इस प्रकार की धारा रख दी जाती। और इसके पहले क्या नियम था उपकुलपति के चुनाव का इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके पूर्व आगरा युनिवर्सिटी के उपकुलपति के चुनाव का नियम यह था कि :—

"The Vice-Chancellor shall be elected by the senate from among three persons, each recommended by a majority of the members of the Executive Council present at the meeting, subject to the confirmation of the Chancellor."

अब इसमें नियम यह है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल ३ आदमियों का नाम सीनेट के पास भेजे। सीनेट अपना चुनाव करके उन तीन आदमियों का नाम चांसलर के पास भेजे। चांसलर इस बात के लिए वाध्य नहीं था कि वह उन में से ही किसी को चुने। इस कानून में जो इसके पहले था, उसमें कुलपति किसी को भी उन तीन आदमियों को छोड़कर किसी को निक्युत कर सकता था। उसमें उसके ऊपर कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी, कि जो इस प्रकार से चुने हुए व्यक्ति आवें, उनमें से वह मंजूर करे। यह कानून स्पष्ट है। तो अगर यह नीयत होती तो इस प्रकार से उसका भी रखा जा सकता था, लेकिन यह नहीं रखा गया। क्या रखा गया है और क्यों रखा गया है, इसके ऊपर आप विचार करें। किस कारण से यह रखा गया है वह कारण यह है कि वहां पर एक कार्यकारिणी है जिसकी बाबत सभी लोग यह जानते हैं और सहमत हैं कि उसमें पार्टी बन्दी होती है, शायद वहां पर न हो। जो हमारी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे, और जिन्होंने अपना डिसेन्टिंग नोट भी दिया है, उन्होंने भी यह कहा है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल का जो संगठन विधेयक में रखा गया है, वह संगठन ऐसा है कि जिसमें पार्टी बन्दी की सम्भावना कम है। वह तो कहते हैं कि वहां पर दलबन्दी नहीं होगी,

और मेरी आशा भी यही है कि नहीं होगी। इसलिए यह संगठन रखा गया है। एक्जीक्यु-टिव कौंसिल ३ आदमियों का नाम अधिक से अधिक देगी, और जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल से १० नाम आते हैं, और उन पर कार्यकारिणी के सभी सदस्य सहमत हैं तो वह नाम अगर चांसलर के पास आते हैं तो कुलपति मजबूर है गवर्नमेंट चाहे या न चाहे। वह इसके लिए मजबूर है कि उसमें से वाइसचांसलर नियुक्त होगा। लेकिन अगर ३ आदमी या ४ आदमी या ५ आदमी नामजद होते हैं तो उस अवस्था में इसमें यह रखा गया है कि सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट से वह उन तीन आदमियों का चुनाव करके वहां भेज दे और उन ३ आदमियों से ही चांसलर एक आदमी को नियुक्त कर देगा। इस विधेयक में यह चीज रखी गयी है। उसमें जो यह आक्षेप किया जा रहा है कि कार्यकारिणी पर हम विश्वास नहीं करते यह बिलकुल निर्मूल और गलत है बल्कि जो संशोधन किया गया है, उसमें इस बात को भूल रहे हैं कि उसका उस कार्यकारिणी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उस सन्देह की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसकी त्रुटि हमारे काटजू साहब ने बतायी और मैं उसकी ओर जाना नहीं चाहता हूं कि ३ आदमियों का चुनाव हो। एक तो चांसलर महोदय एक आदमी नामजद करें, एक आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन नामजद करे और एक को एक्जीक्युटिव कौंसिल नामजद करे और यह ३ आदमी मिलकर अपनी ओर से एक या एक से अधिक, जितने नाम वह चाहें, एक्जीक्युटिव के पास भेजें और एक्जीक्युटिव मजबूर है कि वह उन्हीं नामों में से किसी एक की सिफारिश करे। अब आप समझें कि उन ३ में से एक्जीक्युटिव का नुमाइन्दा केवल एक ही होता है, तो इस तरह से आपके संशोधन के अनुसार एक्जीक्युटिव कौंसिल पर अविश्वास है क्योंकि आप उनमें से केवल एक की नामजदगी उसको देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार पर आक्षेप करते हैं कि हम वाइस चांसलर अपनी इच्छा का आदमी या जिसको हम चाहते हैं, रखना चाहते हैं। अगर हमारी यह प्रवृत्ति होती तो वह तो हमारे लिये और भी सुविधाजनक बात होती, उसमें चांसलर का एक व्यक्ति होता, जो चांसलर द्वारा कमेटी में भेजा जाता, लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीज विश्वविद्यालय की दृष्टि से हितकर नहीं है कि इस तरह से एक आदमी वाइस चांसलर बनाकर विश्वविद्यालय में ५ वर्ष के लिए रखा जाय, एक्जीक्युटिव का उसके साथ कोई सहयोग न हो और न उसकी नियुक्ति में एक्जीक्युटिव का कोई हाथ हो, इस तरह की चीज युनिवर्सिटी के लिए हितकर न होगी। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि इसमें एक्जीक्युटिव पर अविश्वास है। हम यहां तो एक्जीक्युटिव को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वह एकमत होकर एक आदमी को भेजे, यह तोसंकेत हमने मूथम कमेटी से लिया है। यह तो निश्चय ही है कि एक्जीक्युटिव कमेटी से जो ३ आदमी आयेंगे, उनमें से जो भी नामजद होगा, उसके साथ एक्जीक्युटिव होगी। हम चाहते हैं कि कोई दलबन्दी की बात न हो और वहां कोई राजनैतिक दलबन्दी न होना चाहिए।

मैं विश्वास करता हूं कि चाहे उसको कम वोट मिले हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर ऐसी कोई सम्भावना न होगी, कि रोजमर्रा के काम में कोई पार्टीबन्दी रह जाय। इसलिए जो सुझाव इस विधेयक में वाइस चांसलर की नियुक्ति का रखा है उसमें एक्जीक्युटिव पर पूर्णतया विश्वास है और जो संशोधन है उसके अनुसार पूर्णतया अविश्वास है और इसलिए उसमें यह भी सम्भव हो सकता है कि जो भी वाइस चांसलर हो उसको एक्जीक्युटिव का कोई सहयोग कभी प्राप्त न हो, इसलिए कि उसकी नियुक्ति में उसका बिल्कुल हाथ न होगा वह ३, ४, ५, ६, ७ या १, २ जिसका भी नाम रख देंगे, उसी दायरे में एक्जीक्युटिव कौंसिल उनके नाम की सिफारिश कर सकती है, तो यह त्रुटि उस में है। जो त्रुटि बतायी गयी है, वह यह है कि ३ आदमी होंगे, तो वह लोगों से मिलकर, बड़े बड़े आदमियों से कुछ तय कर लेंगे। मैं सहमत हूं कि आज जो वातावरण हमारे विश्वविद्यालयों में फैल गया है, इस पद को ले कर के, जिस प्रकार से लोग आज दौड़ते हैं और सच बात यह है कि आज वाइस चांसलर अगर एक चुन लिया जाय तो कल ही से दूसरे वाइस चांसलर के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, तीन वर्ष के बाद किस प्रकार से दूसरा कौन वाइस चांसलर होगा उसके चुनाव का आरम्भ उसी रोज से हो जाता है और हर एक प्रकार से-अधिक उसमें में नहीं

[श्री हरगोविंद सिंह]

जाना चाहता—यह हमारे लिए भवन के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए किसी के लिए कोई गौरव की बात नहीं है कि हम वह सब बातें यहां खोल करके आपके सम्मुख रखें, लेकिन आप सब इसको जानते हैं। तो आज की दशा यह है। एसी अवस्था में कहा जाता है और मैं जानता हूं कि आज बहुत अच्छे लोग, जो बड़े लोग हैं, जो सचमुच में हमारे विश्वविद्यालयों की सेवा कर सकते हैं, जिस पर कि कोई विश्वविद्यालय गर्व कर सकता है, वह इस प्रकार से दौड़ करके अपनी नियुक्ति वहां नहीं करा सकते हैं। तो यह उसमें कहा गया है कि यदि यह तीन आदमियों की कमेटी बनती है तो इसमें यह होगा कि वह लोगों के पास जा करके उनसे अनुनय विनय कर करके उनको इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वह वाइस चांसलर का पद स्वीकार कर लें।

यहां कहा गया है कि विधेयक में जो सुझाव रखा गया है, उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं है। मैं कहता हूं कि इस बात की पूर्णतया उसमें गुंजाइश है, कहीं भी उसमें रोक नहीं लगायी गयी है। अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल, कार्यकारिणी, दो या तीन या चार या पांच की एक समिति अपनी बना लेती है, कि वह लोगों से मिल करके, उनसे अनुनय विनय करके, जो बड़े लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए गौरव के हो सकते हैं उनसे अगर जाकर के कहे तो इसमें कहां कोई मनाही है कि ऐसा वह नहीं कर सकती। यह तो हो ही सकता है। तो अगर आप एक्जीक्युटिव को यह अख्तियार दें तो मैं समझता हूं कि वह एक्जीक्युटिव के लिए विश्वविद्यालय के लिए, सबके लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा बनिस्बत इसके कि तीन आदमी जिनमें एक्जीक्युटिव का केवल एक आदमी है, वे ऐसे लोगों के पास जायं, क्योंकि अगर वे उसे विश्वास दिला सकते हैं, आश्वासन दिला सकते हैं कि आप चुन लिये जायेंगे, तो वह तो एक ही एक्जीक्युटिव का आदमी उन तीन आदमियों में रहेगा। सम्भव है कि एक्जीक्युटिव माने या न माने। तो विधेयक में जो सुझाव यह रखा गया है उसमें इस बात की गुंजाइश है कि अगर इस प्रकार से एक्जीक्युटिव के लोग चाहें, तो वह एक समिति बना सकते हैं और एक आदमी को अपने में से चुन करके उससे कह सकते हैं कि आप इन से बात कर लीजिये और अगर यह स्वीकार कर लेते हैं, इस पद को तो यह हमें सहर्ष स्वीकार होगा। तो इसकी कोई मनाही नहीं है। दूसरा आक्षेप जो किया गया है, वह यह कहा गया है कि इस सुझाव के जरिये जो विधेयक में है, अगर कोई वाइस चांसलर चुना जाता है, तो सम्भव है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल में उसको फर्स्ट प्रिफरेंस के वोट मेजारिटी के न मिले हों। यह हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ न कुछ फर्स्ट प्रिफरेंस के वोट उसको मिलेंगे ही। लेकिन आपके सुझाव में तो चूंकि एक दूसरी कमेटी होगी, जो कि उनके सामने नाम रख देती है, तो उसमें यह कैसे होगा। जब आप चुनाव के दायरे को सीमित कर देते हैं, वह अपने आदमी को नहीं रख सकते, आप कह देते हैं कि इन दो आदमियों में से आप चुनिये और मेजारिटी से भी चुन सकते हैं, तो इसमें दलबन्दी का वह खतरा है जिसको कि हम बचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक्जीक्युटिव कौंसिल में विभाजन हुआ, आपने दो या तीन नाम रख दिये, तीनों आदमियों पर वोटिंग हुआ। यदि २१ हैं, एक को ९ मिले, एक को ४ मिले, एक को ६ मिले, तो हमेशा के लिए एक विभाजन हो जा सकता है। लेकिन इस विधेयक का सुझाव यह है कि अगर कोई ग्रुपबन्दी हुई भी तो हर एक ग्रूप इस बात का प्रयत्न करेगा कि हम अच्छे से अच्छे आदमी का नाम भेजें। क्योंकि वह यह तो समझता ही है कि चांसलर के ऊपर यह मजबूरी नहीं है कि जिसको सबसे अधिक वोट मिला हो, वह ही नियुक्त हो। वह किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो नियुक्ति का आधार यह नहीं होगा कि किसको कितना वोट मिला है, बल्कि यह होगा कि इन में से सबसे योग्य कौन है। इसलिए हर एक इस बात की कोशिश करेगा कि हमारा नामिनी सब से सुयोग्य हो। इसीलिए यह सुझाव आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

एक बात और कह दूं। इसमें आटोनामी की बात कही गयी। आटोनामी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं लेकिन बालेन्दु शाह जी ने वह बात कही और बार बार कही जाती है। मैं तो समझता था कि बार बार इस तरह से आक्षेप न किया जायगा कि जहां जरूरत हो भी, न

भी जरूरत हो, वहां भी यह किया जाय, लेकिन आप स्वयं बताइये, मैं आपके सम्मुख यह रखता हूं कि जो धारा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में अभी तक थी और उसके बजाय जो धारा रखी जा रही है, यदि वह इस भवन से पास हो गयी, तो दोनों को तराजू के दो पलड़ों में रखने पर देखा जाय तो उस वक्त आपका क्या ख्याल होगा कि इसमें आटोनामी संरक्षित है या उसमें थी। आटोनोमी की निस्बत इतना मैं प्रकट कर दूं कि मैं ऐसी आटोनामी का पोषक नहीं हूं और मैं समझता हूं कि मेरा यह दृष्टिकोण ठीक है कि किसी को भ्रष्टाचार करने का स्वाधिकार हो ऐसा आटोनोमी का कभी अर्थ नहीं हो सकता। आटोनोमी, स्वतंत्रता, केवल साधन हो सकती है लेकिन वह साध्य नहीं है। यह नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर युनिवर्सिटी को रुपया दे और वहां भ्रष्टाचार का भंडार खुला हो आटोनोमी के नाम पर। मैं यह अर्थ कभी नहीं समझता, इसको मानता भी नहीं और यदि सम्भव होगा तो कभी मानूंगा भी नहीं और मैं आप से भी अनुरोध करता हूं कि आपको भी यह अर्थ नहीं मानना चाहिए। हम आटोनामी केवल इस बात की देते हैं कि आप हमारे विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दीजिये, आप ऊंचे उठिये, आप अपने व्यवहार से हमारे विद्यार्थियों पर यह प्रभाव डालिये कि वह भी आगे जाकर, सुयोग्य नागरिक हों। लेकिन अगर कोई यह कहे कि हम इन शिक्षा संस्थाओं को जिनसे कि हम प्रकाश चाहते हैं, जिन पर हम आंख लगाये हुए हैं कि हमारे भविष्य भारत का निर्माण इन्हीं से होगा, उनको आप स्वतंत्रता दीजिये भ्रष्टाचार की तो मैं समझता हूं कि उनकी यह मांग कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए और एक स्वतंत्र देश में तो कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। तो यह कहना कि इसमें आटोनामी ठंढी हो रही है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मजबूरी है, न अपने को मैंने कभी शिक्षा का विशेषज्ञ कहा और न ऐसा दावा ही करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि किस किताब में बालेन्दु शाह जी ने आटोनीमी की यह परिभाषा पढ़ी है। वह किताब मैं उनसे देखना चाहूंगा।

तो मैंने कहा कि बार बार उसका प्रश्न ले आ करके यह कहना कि आटोनामी कुंठित हो रही है, वाइस चांसलर का चुनाव कैसे हो, यह उचित नहीं है। मूथम कमेटी ने एक ही रास्ता बताया है। वे हाई कोर्ट के जज हैं। और लोगों ने भी रास्ता बताया है। उसमें हम एक रास्ता बता रहे हैं, तो आटोनीमी कैसे कुंठित हो गयी। अगर हम वही रास्ता मान लें, जो अभी तक था, तो आटोनीमी कुंठि[illegible]गी। तो मेरा ख्याल यह है कि जब एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बोल रहे हैं और जब हमारे हाथ में यह अधिकार हो कि हम इन विश्वविद्यालयों का भविष्य बना सकते हों, और हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हों, तो हमको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। खैर, मुझे इसका पता नहीं है कि और लोगों के दिलों में क्या है, लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि डिमोक्रेसी के लिए मैं यह बड़ी घातक चीज समझता हूं कि हम कोई कानून इस तरह से बनायें, कि हम ही हमेशा यहां रहेंगे। अगर डिमोक्रेसी में यह चीज हो जाय, कि एक ही दल शासनारूढ़ रहेगा, तो फिर वह डिमोक्रेसी नहीं रह जायगी। आप ही बतलाइये कि इसमें कौन से अधिकार हमारे हाथ में रहेंगे। हम सम्पूर्ण अधिकार एक्जीक्युटिव कौंसिल को देना चाहते हैं, क्योंकि उस वाइस चांसलर को उस एक्जीक्युटिव कौंसिल के साथ मिल करके काम करना है। जैसा मैंने पहले कहा मैंने यह दावा नहीं किया कि हमारा यह सुझाव बिलकुल ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यह बिलकुल ही ऐबसोल्यूट है. लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज तक जितनी विधियां हैं, उनमें सबसे अच्छी यह है। और जिस तरह आप यह चाहते हैं कि हम आपके सुझाव को थोड़े दिन तक देखें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस सुझाव को थोड़े दिन तक चला करके देखिये कि इसका क्या फल होता है और फिर हमको आपको इस बात का अवसर होगा कि हम इसको बदल सकें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की नयी धारा ९ की उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of th University elected by the Executive Council out of a penal of name

[श्री उपाध्यक्ष]

submitted by a Committee consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council and (*c*) a person chosen by the U. P. Public Service Commission.

(2) The Chancellor shall endorse the choice of the Executive Committee for the post of Vice-Chancellorship.

(3) The Chancellor may after giving specific reasons refer back the matter to the Executive Council for reconsideration but the choice of the Executive shall be final."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में---१६

विपक्ष में---११८।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस मसले पर न्यूट्रल रहे।

(कुछ ठहर कर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उपधारा (४) रख दी जाय तथा प्रस्तावित उपधारा (४) तथा अनुवर्ती उपधाराओं को तदनुसार पुनरांकित कर दिया जाय---

"The Executive Council in case of vacnacy caused by death, resignation of discipliaction, will have the power to appoint a temporary Vice-Chancellor till the nary time one is chosen permanently; but this period of temporary post, shall not exceed six months in any case."

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन मौजूदा विधेयक की धारा ९ की उपधारा (८) के स्थान पर है, जो इस प्रकार है कि :---

"Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying on the duties of the Vice-Chancellor and shall at the same time call upon the Executive Counicl to forward its recommendations in accordance with sub-section (2) and (3).

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन में ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। इसमें बुनियादी फैक्ट इतना ही है कि टेम्पोरेरी पोस्ट की वैकेन्सी के लिए चांसलर को अख्तियार दिया है और मैंने एक्जीक्युटिव कौंसिल को अख्तियार दिया है। इस सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद मेरे पहले संशोधन पर हो चुका है। इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन पर सदन विचार करेगा।

श्री हरगोविंद सिंह---मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं उनके विरोध का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित उपधारा (४) रख दी जाय तथा प्रस्तावित उपधारा (४) तथा अनुवर्ती उपधाराओं को तदनुसार पुनरांकित कर दिया जाय—

"The Executive Council in case of vacancy caused by death, resignation or disciplinary action, will have the power to appoint a temporary Vice-Chancellor till the time one is chosen permanently; but this period of temporary post, shall not exeecd six months in any case."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) की पंक्ति १ में संख्या "२,०००" के स्थान पर "१,०००" रख दी जाय।"

खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की जिस उपधारा में मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है—

"The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs.2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs.200 per month".

इस संशोधन से मेरा मतलब है कि वाइस चांसलर का जो वेतन है, वह दो हजार के बजाय एक हजार हो। इस संशोधन को पेश करते समय मैं यह बतला देना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी न हो कि मैं वाइस चांसलर के महत्वपूर्ण पद के लिए यह नामुनासिब नहीं समझता कि उनका दो हजार रुपये वेतन हो। मैं तो उन व्यक्तियों में हूं और हमारी पार्टी के प्रधान लोगों ने हमेशा यह कहा है कि जैसे और देशों में शिक्षा विभाग के लोगों की काफी इज्जत होती है, और तनख्वाहों में काफी फर्क है उसी तरह से हम भी यह चाहते हैं कि युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ज्यादा से ज्यादा वेतन दिया जाय। लेकिन हमारे देश की जो आर्थिक दशा है, वह इस किस्म के वेतन की इजाजत नहीं देती। इस संशोधन से फायदा उठाते हुए, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी पार्टी की एक नीति है और हम तो यह चाहते हैं कि देश में किसी भी पद का एक हजार से ज्यादा वेतन न हो। यहाँ तक कि प्रेसिडेंड को भी एक हजार से ज्यादा वेतन न मिले। तो जब हम एक हजार का संशोधन रखते हैं तो उस समय हम युनिवर्सिटी के वाइस चाँसलर को और प्रेसिडेंट को समकक्ष कहने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में दो हजार का वेतन हम नामुनासिब समझते हैं। एक तरफ तो हमारी आर्थिक हालत ऐसी है और दूसरी तरफ सरकार भी हमेशा यही कहती है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा में विशेष सुधार नहीं हो सकता और युनिवर्सिटीज की तरफ से हमेशा रुपये की माँग सरकार के पास आती है जिसको सरकार हमेशा ही पूरा करने में असमर्थ होती है। तो ऐसी परिस्थिति में दो हजार रुपये तनख्वाह देना मैं मुनासिब नहीं समझता। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक वाइस चांसलर की मिसाल मौजूद है आचार्य नरेन्द्र देव जी की। जिस समय वह लखनऊ युनिवर्सिटी में थे, तो उनको जो वेतन मिलता था उसमें से करीब एक हजार के छोड़ कर बाकी सारे का सारा या तो विद्यार्थियों को दे देते थे या सार्वजनिक कार्यों में लगाते थे। यही दशा अब बनारस में भी है और अपने वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा विद्यार्थियों में बाँट देते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह—वह तो पार्टी को देते हैं और यहाँ आपने लड़कों को दिया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—पार्टी को देने की बात तो माननीय शिक्षा मन्त्री को ज्यादा मालूम होगी।

श्री हरगोविंद सिंह—यह नहीं हुआ कि युनिवर्सिटी से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। युनिवर्सिटी से उतना ही लिया। उसको किस तरह से बाँटा यह दूसरी बात है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह मैं मानता हूं कि उन्होंने सेलरी में कोई कट नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह ज्यादा मुनासिब समझा कि उस रुपये का उपयोग हो।

श्री हरगोविंद सिंह—आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। मैंने केवल यह कहा कि आपके कहने से मालूम यह होता है कि आचार्य जी ने युनिवर्सिटी से पूरी तनख्वाह ली। उसका एक हजार खुद लिया या दूसरों को दिया यह आप ज्यादा जान सकते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितना रुपया लिया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह रुपया लेकर देते थे या वहाँ से कट जाता था इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो शिक्षा मन्त्री जी भी जानते हैं कि वह रुपया गरीब विद्यार्थियों की फीस में लगाते थे। ऐसे विद्यार्थी जिनको युनिवर्सिटी से फ्रीशिप नहीं मिली या जो स्वयं फीस नहीं दे सकते उनको उन्होंने मदद की। उनको देख कर वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह ने भी अपनी तनख्वाहों में कमी की और उससे एक गरीब विद्यार्थियों का फन्ड कायम हुआ। वह लखनऊ में भी है और अब बनारस में भी है।

ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि २ हजार के बजाय अगर एक हजार रख दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसके साथ ही साथ वाइस चांसलर इस प्रकार से एक आदर्श भी उपस्थित कर सकता है कि देश की गरीबी की हालत में कम से कम वेतन लिया जाय। जैसा कि माननीय मन्त्री जी को भी ज्ञात है गाँधी जी तो इस बात पर बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि ६ पैसा रोज हमारे देश की औसत आमदनी है। अब देखिये कि कहाँ ६ पैसा और कहाँ २ हजार रुपया। इतना अधिक रुपया मुनासिब नहीं मालूम होता। यदि हमारा संशोधन मान लिया गया तो दूसरों के लिए यह एक अच्छी मिसाल पेश करेगा। डीन्स भी अपनी सेलरीज में कट कर देंगे और इससे गरीब विद्यार्थियों का फायदा होगा। ऐसी सूरतों में मैं चाहूंगा कि मेरा संशोधन मंजूर कर लिया जाय। नीचे यह भी लिखा गया है कि २०० रुपाय महीना उनको अलाउन्स दिया जाय या फरनिश्ड बंगला दिया जाय। इस प्रकार रहने की व्यवस्था हो गयी। ऐसी हालत में १ हजार रुपया नाकाफी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह समस्या इस सदन में अक्सर आ जाया करती है। हर साल बजट के समय, सप्लीमेंटरी बजट के समय या जब मंत्रियों के वेतन का सवाल आता है, तो यह बात हमारे सामने आती है। हमारे देश में सन् १९३९ से सन् ५३ में चीजों के दाम इतने बढ़ गये हैं कि रुपये की कीमत रुपया में तीन या चार आना के करीब रह गयी है। इस प्रकार से आजकल जो २ हजार रुपया है, वह ५०० रुपया के ही बराबर रह गया है। इसलिये मेरा विचार है कि उसमें ज्यादा काट छांट करने की गुंजाइश नहीं है। यों तो आदर्शवादी बहुत से लोग हैं जो संसार के सामने अपने आदर्श रखते हैं। उनको आप कुछ भी दीजिये लेकिन वह दान कर देंगे, लेकिन आजकल के वातावरण में हर व्यक्ति को उसके पद का उपयुक्त वेतन मिलना चाहिए। हाँ, कोई समय आये, जब सब धान पाँच पंसेरी बिकने लग जायं, वह तो दूसरी बात है, इस समय वे परिस्थितियाँ यहां नहीं हैं। आज भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जजेज को तथा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों को दो हजार रुपये से ज्यादा या इसके लगभग तनख्वाह मिलती है। ऐसी स्थिति में वाइस चाँसलर का पद ऐसा नहीं है कि उसके वेतन में कुछ काँट छांट की जाय। हमारे प्रान्त में यों तो ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं हैं, लेकिन फिर जो दो तीन विश्वविद्यालय हैं उनमें से केवल एक ही का प्रश्न इस समय हमारे सामने है। इस तरह से अगर हम दो चार सौ रुपया काट भी लेते हैं, तो कोई खास बचत होने वाली नहीं है और न देश की गरीबी की

समस्या ही हल हो सकती है। आपको यह जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस आदमी को आप वाइस चाँसलर बनायें उसके बारे में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके भी गृहस्थी हो सकती है, उसके भी बाल बच्चे हो सकते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि वह वाइस चाँसलर बनकर रोज बीबी से झगड़ा मोल ले? इससे न तो विश्वविद्यालय का ही लाभ होगा और न हमारे विद्यार्थियों का ही कल्याण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो इसमें दो हजार रुपया वेतन और २०० रुपया हाउस अलाउन्स रखा गया है, वह ज्यों का त्यों रहने दिया जाय। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवल किशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन श्री त्रिपाठी जी ने रखा है, उससे मैं सिद्धान्ततः सहमत हूं, लेकिन वस्तुस्थिति को देखते हुए जैसा कि मैंने अपना अमेंडमेंट दिया है, मैंने एक वाया मीडिया अख्तियार किया है। मेरा जो संशोधन है वह बीच का है, और वह यह है कि वाइस चाँसलर की तनख्वाह १,५०० रुपये होनी चाहिए। एक हजार और दो हजार के बीच मैंने वाया मीडिया निकालने की कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन जो पेश किया है वह यह है —

श्री उपाध्यक्ष—इस वक्त आपका संशोधन नहीं लिया जा रहा है।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी संशोधन में यह संशोधन पेश किया है कि वाइस चाँसलर की तनख्वाह १,५०० रुपये होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—इसके ऊपर आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं लेकिन आपका संशोधन इस वक्त नहीं लिया गया है।

श्री नवलकिशोर—तो श्रीमन्, जब मेरा संशोधन आयेगा तभी मैं बोलूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी के पिछले भाषण को सुन कर मुझे दुख हुआ। मुझे हार्दिक दुख हुआ कि मैंने अनजान में किसी प्रकार माननीय शिक्षा मन्त्री जी की नीयत के ऊपर किसी प्रकार की बात की है। यही दिखलाने के लिए कि मुझे माननीय शिक्षा मन्त्री जी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, और मैं उनका मान करता हूं उनकी तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो यही था कि मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करूं और मेरा विचार यही था कि दरअसल एक हजार रुपया बहुत होता है और वाइस चाँसलर का वेतन एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन काटजू साहब ने अभी जो अपना वक्तव्य दिया है, उसको सुनने के बाद मुझे अपने विचार में परिवर्तन करना पड़ा और मैं समझता हूं कि जो संशोधन उपस्थित किया गया है, दर असल वह उचित नहीं है, और दो हजार रुपये ही वेतन रहना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस दो हजार रुपये के लिए इतना अनुमोदन होने के बाद मेरा यह विरोध कहाँ तक इस समय मजबूत रहेगा, यह देखना है। यहाँ तो दो हजार रुपये की रकम में कई संशोधन पेश हुये हैं। एक संशोधन में तो १,५०० रुपये के लिए कहा गया है, दूसरे में, १,२०० रुपये के लिए कहा गया है और तीसरे में १,००० रुपये के लिए कहा गया है। और एक जो सब से नीचा संशोधन मेरे भाई श्री श्रीचन्द का है, वह तो ७५० रुपये का ही है। तो दरअसल अगर देखा जाय तो यह सब संशोधन एक ही बात के द्योतक हैं और एक ही बात की तरफ हमें ले जाते हैं कि आया हमें इतनी ऊंची तनख्वाह जितनी कि इसमें हमारे वाइस चाँसलर के लिए रखी जा रही है, यानी वो

[श्री बलवन्त सिंह]

हजार रुपये, इतनी रखनी चाहिए या हमें तनख्वाह ऐसी रखनी चाहिए जैसा कि हमारे देश का स्तर है। मैं यह मानता हूं, जैसा कि अभी हमारे भाई काटजू साहब ने कहा है कि दो हजार रुपया कुछ बहुत अधिक नहीं है, और तीन हजार रुपया भी कुछ बहुत अधिक नहीं है। मगर दखना यह है कि जिस परिस्थिति में हमारा देश है, जैसी हालत हमारे यहाँ के लोगों की है, हम उसी बात और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ इतने आदमी मुकर्रर करें कि उनकी तनख्वाह भी ऐसी ही रहे। इस समय अगर हम किसी आदमी को ज्यादा बड़ी तनख्वाह दे देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आदमी या वह पद बहुत बड़ा है।

अभी आपके सामने हमारे मुख्य मन्त्री जी या प्रान्त के दूसरे मन्त्रीगण की तनख्वाह १२ सौ रुपये रखी गयी थी। क्या कोई कह सकता है कि हमारे मन्त्रीगण जितना भी रुपया लेते हैं, सूबे के अन्दर जिनको बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं उनसे कुछ स्तर में नीचे हैं या वे उनसे कुछ काम कम करते हैं। यह बात नहीं है, बल्कि जहाँ तक उनका सूबे के अन्दर मान है, वह भी किसी से कम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी किसी से कम नहीं है और वे जितना काम करते हैं, मैं यह समझता हूं कि जिनके आन्तरिक जीवन से मुझे जानकारी है, मैं यह मानता हूं कि बहुत अधिक काम वह करते हैं। और अगर कोई यह कहने लगे कि जो उनको तनख्वाह दी जाती है, उसमें क्या वह अपने जीवन निर्वाह को पूरा कर लेते हैं तो यह बात भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है हमारे देश की जैसी स्थिति है उसकी तरफ भी आप देखिए। जिन टैक्स पैयर्स से आप धन लेते हैं, जिनके पैसों से इस प्रान्त का कारोबार चल रहा है क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे सकते हैं? तो जब आप इधर दृष्टि डालते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि आप ऐसे देश में ऐसे समय में रह रहेहैं जहाँ हम बड़ी बड़ी तनख्वाहों को बरदाश्त नहीं कर सकते। अब सवाल यह पैदा होता है कि साहब अपने यहाँ हाई पेड सरवेंट्स अब तक हैं। मैं यह मानता हूं और मैं चाहता हूं कि उनकी भी तनख्वाहें यदि हो सके तो कम कर दी जायं, परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कॉंस्टीटयूशन की डिफीकल्टीज हमारे मार्ग में हैं कि हम उनकी तनख्वाहों को इस समय कम नहीं कर सकते हैं मगर जिनकी हम कर सकते हैं, और जो कानून हम इस समय बना रहे हैं, उसमें भी यदि हम उसी पुरानी व्यवस्था को रखें, और उसी तरह से बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें, तो यह किसी तरह से भी जायज नहीं है।

हम जानते हैं कि हमारे प्रान्त में ऐसे बहुत से काम हैं, जिनमें हमें रुपये की आवश्यकता है। अभी सुबह ही बातचीत हो रही थी। सवालात पूछे गये थे कि साहब यहाँ मेडिकल फेसिलिटीज बढ़ाते क्यों नहीं हैं तो यही कहा गया था कि हमारे प्रदेश की ऐसी हालत नहीं है। ऐसे समय जो स्कूल्स और कालेजेज हैं और दूसरी जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी की चीजें हैं, जैसे लोगों के लिए औषधियों का प्रबन्ध करना, डाक्टरों का प्रबन्ध करना, अगर हम उनको नहीं कर सकते तो फिर एक व्यक्ति विशेष को इतनी तनख्वाह देना कितना न्याय संगत होगा, यह समझा जा सकता है। और जब जनता के पास हमारी दोनों चीजें जायंगी, सुबह की और इस समय की तो वह क्या कहेंगे, कि एक ही साँस में हम कहते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है और दूसरी ही साँस में हम इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों को रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह न देने के माने यह नहीं हैं कि उसकी जिम्मेदारी कम है या उसका पद किसी तरह से कम है, या वह इतना काबिल आदमी नहीं है कि उसको हजार या दो हजार तनख्वाह दी जा सके। मैं तो यह कहता हूं कि आपको कहीं न कहीं शुरूआत करनी पड़ेगी। आपने मिनिस्टरों से शुरूआत की और आपको अब शुरूआत करनी पड़ेगी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशनों से। वह एक ऐसा स्थान है जिन स्थानों पर आपको आदर्श रखना पड़ेगा। आपके मिनिस्टरों ने और आपके एम० एल० एज० ने कुछ आदर्श देश के सामने रखा हैं। अब हमें उसी आदर्श को आपकी जो शिक्षा संस्थायें हैं उनमें भी रखना पड़ेगा।

कौन नहीं जानता कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, उनका आदर्श नीचे गिरता जा रहा है। उनमें आपको तपस्वी और त्यागी आदमी रखने पड़ेंगे जो ऊंची तनख्वाह नहीं ले सकें। वह

आदर्श हम नीची तनख्वाहों में भी ला सकते हैं। तो मैं यह समझता हूं कि इन सारी बातों को सोचते हुए और अपने देश की दशा को सोचते हुए और अपने आदर्श को सोचते हुए हमको अपने यहाँ बड़ी तनख्वाह नहीं रखनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि जितनी एक मिनिस्टर की तनख्वाह है उससे ज्यादा तनख्वाह किसी की न रखी जाय। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि जितनी तनख्वाह एक मिनिस्टर को मिलती है, उससे ज्यादा किसी को न दी जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर इतनी उतावली से काम नहीं लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मैं एक आदमी को और अवसर देता हूं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फर नगर)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें चार संशोधन इस सम्बन्ध में हैं, अगर उनको भी साथ में ले लिया जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में और भी संशोधन हैं, तो उन पर बोलने का अवसर मिल जायगा।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज त्रिपाठी जी द्वारा जो इस बिल से सम्बन्धित संशोधन प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी पार्टी के बुनियादी उसूल से सम्बन्धित है। जब मैंने इस संशोधन के बाद इस बिल के सम्बन्ध में एक के बाद दूसरे संशोधनों को देखा, तो मालूम हुआ कि त्रिपाठी जी के संशोधन के साथ साथ हमारी अधिकार वाली पार्टी के साथियों ने भी कुछ संशोधन इस प्रकार के रखे हैं। जब मैंने श्रीचन्द्र जी के संशोधन को देखा, तो उसमें उन्होंने ७५० और ७५ की बात कही है वह एक बुनियादी बात है। उसको देखकर मैं खुश हुआ क्योंकि हमारे विचारों के साथ साथ दूसरी पार्टी के लोग भी बढ़ते चले आ रहे हैं। जब श्री बालेन्दुशाह जी इस सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो मेरे दिल में कुछ घबराहट हुई और मैंने सोचा कि आया श्री त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करेंगे या विरोध। लेकिन उन्होंने वही किया उनको जैसा करना चाहिए था। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई।

तनख्वाहों के बारे में जब हम विचार करेंगे, तो हमको यह ध्यान में रखना होगा कि हम किस देश में हैं और हमारे देश की परिस्थिति क्या है और इस विषम परिस्थिति में हम इतनी तनख्वाह दे सकते हैं या नहीं। हमारी पार्टी का यह उद्देश्य है कि किसी को भी एक हजार से ज्यादा तनख्वाह न दी जाय और कम से कम नीचे के लोगों को १०० रुपये से कम तनख्वाह न दी जाय। यह हमारी पार्टी का बुनियादी उसूल है। श्री त्रिपाठी जी ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है वह उचित ही है और मैं इसी सम्बन्ध में देश की आज की आर्थिक जो स्थिति है उसकी ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सदन के सम्मानित साथी जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से आज देश दो भागों में बंटा हुआ है। एक तरफ़ तो पूंजीवादी तबक़ा है और दूसरी ओर शोषित तबक़ा। यदि हम दोनों की आय और वेतन का विवेचन करें तो हम देखेंगे कि एक ओर तो दो हजार, ४ हजार, ६ हजार और दस हजार तक लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं जैसा कि आज की सरकार में है। लेकिन जब हम दूसरी ओर गरीबों की दुनिया में बैठकर देखते हैं और उनकी ओर ध्यान देते हैं तो हमें मालूम होता है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो खेतों से दाने बीन कर अपना पेट भरते हैं, ऐसे लोग हैं जो गोबर से दाने निकाल कर खाते हैं और दिन काटते हैं। इसी सरकार में ३० रुपया माहवार से लेकर ५ रुपया माहवार तक के छोटे मुलाजिम हैं। अगर हम इन दोनों प्रकार के लोगों की तुलना करें.....

श्री उपाध्यक्ष--सदन में सहारा लेकर खड़े होना मुनासिब नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल--मैं यह कह रहा था कि २,००० रुपये का वेतन बहुत अधिक है। आज एक अध्यापक ३० रुपया माहवार पर काम करता है और एक चौकीदार केवल ५ रुपया माहवार पर। अगर हम २,००० रुपये पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ६६ रु० १० आ० ८ पा० प्रति दिन हम उनको दें, जब कि हम उनके २०० रुपये, जो हाउस एलाउन्स के हैं उन को छोड़ देते हैं। यह हम उनको उनके वेतन के रूप में देना चाहते हैं। हमें दूसरी तरफ़ यह भी देखना चाहिये कि जो ५ रुपये का मुलाज़िम है अगर हिसाब लगावें तो उसको ४ पैसा रोज मिलता है, इसके मानी यह होते हैं कि उसके मुक़ाबले में हम वाइस-चांसलर को १ हजार गुने से भी ज्यादा देना चाहते हैं। इसी तरह से जो मास्टर ३० रुपया पाता है तो उसकी आमदनी का भी अन्तर एक हजार गुने से अधिक ही आता है। जब तक हम अपने समाज से यह अन्तर नहीं मिटाते हैं तब तक हम समाज में किसी प्रकार की सुव्यवस्था की आशा नहीं कर सकते और इसके कारण से जो कुछ भी विफलतायें हमारे सामने आती हैं वह आती रहेंगी और आज की सरकार को उसका मुक़ाबला करते रहना पड़ेगा। यही कारण है कि आज हर जगह अध्यापकों में और दूसरे लोगों में असन्तोष है, क्योंकि जब वह इस अन्तर को देखते हैं और समझते हैं कि उनसे कम काम करने वाला उनसे ज्यादा वेतन पाता है, जब एक मजदूर देखता है कि दिन भर मरने के बाद वह ८ आने पाता है तो उसके अन्दर एक डाह, द्वेष और होड़ सी पैदा होती है और जो कुछ इस सरकार के युग में हो रहा है वह हम सब देख रहे हैं।

वाइस-चांसलर के वेतन के संबंध में जो यह बिल है जिसको आप कानून की शक्ल देना चाहते हैं। वाइस चान्सलर एक आईना होता है जिसमें भावी विद्यार्थी अपनी शकल देखते हैं और उन पर अपने गुरु की और कुलपति की छाप होती है। जो विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे उन पर वहां के वाइस-चांसलर की छाप होगी। इसका प्रमाण है कि हमारे आचार्य नरेन्द्र देव जी लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे तो उनको देख कर यहां के विद्यार्थियों ने अपने सारे जीवन को एक ढंग से अनुशासित किया था और उन्होंने उनके आदर्श पर चलना कबूल किया था परन्तु उनके चले जाने के बाद हालांकि बनारस में उनका स्वागत हुआ लेकिन लखनऊ में जो दुर्दिन आये, गोलीकांड हुये अनुशासनहीनता फैली वह सब आपने देखी। मैं इसलिये नहीं कहता कि आचार्य जी का सम्बन्ध हमारी पार्टी से है। एक व्यक्तित्व होता है वाइस-चांसलर का, जो आईना होता है, जिसमें वद्यार्थी अपनी शकल देखते हैं और उसके अनुरूप अपने को बनाने की कोशिश करते हैं। जब कि एक विद्यार्थी फटे कपड़ों में पढ़ने आता है और वह अपने वाइस चांसलर को २ हजार वेतन लेते हुये पाता है और मोटरों में घूमते देखते हैं तो उसमें एक रोष, डाह और ईर्ष्या की भावना पैदा होती है और उसके दिल में ऐसे लोगों के खिलाफ एक विद्रोह की भावना जागृत होती है जिसको लेकर वह बाहर आता है। अगर वह एक हजार तनख़्वाह पाते हैं और अपनी सारी जरूरियात को उस एक हजार के अन्दर ही सीमित रखते हैं तो फिर वहां का विद्यार्थी भी उसे देख कर यह समझेगा कि हमें भी आगे चल कर अपने को इसी सीमा तक महदूद रखना पड़ेगा। तो मैं आप के जरिये माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस १ हजार वाले और २ हजार वाले झगड़े को गौर से देखें और श्री रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत यह जो संशोधन है इस पर विचार करें। विचार करने के बाद वह देखेंगे कि इस विचार करने के बाद वह देखें कि एक हजार वाले संशोधन को मान लेने के बाद उनको फिर इसी तरह के अन्य कानूनों की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा और फिर वह धीरे-धीरे इस स्टेट में एक ऐसी व्यवस्था कायम करने में सरकार को मदद दे सकेंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि यह संशोधन शिक्षा मन्त्री जी स्वीकार कर लें जिससे कि इस देश के लिये एक बहुत ही कल्याणकारी रास्ता निकल सके।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर नवल किशोर जी चाहें तो अब वह अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री नवलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करते हुये अपना संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ६ के उपखण्ड (४) की पंक्ति १ में अंक "Rs 2000" के स्थान पर अंक "Rs 1500" रख दिया जाय। जैसा श्रीमन्, मने शुरू में निवेदन किया, मैं भी यह चाहता था कि मैं भी त्रिपाठी जी के संशोधन से सहमत होता। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी है कि वाइसचांसलर युनिवर्सिटी का सब से बड़ा एक्जीक्यूटिव हेड होता है और जब युनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स की तनख्वाह एक हजार से ऊपर १२ सौ साढ़े बारह सौ तक है तब यह मुनासिब है कि वाइस-चांसलर की तनख्वाह कम से कम उनसे कुछ अधिक होनी चाहिये। इसीलिये मैंने बीच का यह वाया मीडिया निकाला कि न एक हजार हो न दो हजार हो बल्कि १५ सौ रुपये हो और यह आशा भी मुझे है कि शायद माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इस वाया मीडिया को स्वीकार कर लें।

श्रीमन् इसके विरोध में माननीय काटजू साहब ने कुछ दलीलें पेश कीं। उन्होंने मिसालें दी, हाई कोर्ट के जजेज की, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की और उन्होंने यह भी बताया कि सन् १९३९ से १९४५ तक रुपये की क़ीमत में काफी कमी हो गई है। ये वास्तविक बातें हैं और हम सभी इनको जानते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ यदि उन्होंने यह देखा होता कि इस देश का जो आर्थिक ढांचा है वह आर्थिक ढांचा इतनी ज्यादा तनख्वाहों को बर्दास्त नहीं कर सकता। जब कभी इस भवन में यह प्रश्न उठा तो हमेशा ही यह दलीलें दी गयीं कि हिन्दुस्तान के और सूबों में यह तनख्वाह है, सेंटर में यह तनख्वाह है और म समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि लखनऊ युनिवर्सिटी, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, बनारस युनिवर्सिटी या और भी जितनी युनिवर्सिटियां हमारे सूबे में हैं या हिन्दुस्तान के अन्य कोनों में हैं उन सब में तनख्वाह दो हजार या उससे अधिक है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि तनख्वाहें और जगह ज्यादा हैं। लेकिन आज इस भवन के सामने आगरा युनिवर्सिटी का बिल पेश है और इसके वाइस चांसलर को अब तक कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब तक यह पद आनरेरी पद हुआ करता था और मैं समझता हूं कि अब तक जो वाइस चांसलर हुये थे वे काफी योग्य थे और इस क़िस्म की दलील कि कम तनख्वाह होने से अच्छे लोग नहीं मिलते हैं या उनकी मानमर्यादा में कमी होती है ऐसी बात मैं नहीं मानता। जैसा कि एक भाई ने अभी कहा कि हमारे मंत्रियों का भी एक एक्जाम्पुल हमारे सामने है। तो मैं यह उनसे कहूंगा कि केवल वेतन ही किसी पद का मापदण्ड नहीं है। काटजू साहब ने कहा कि कुल चार पांच वाइस चांसलर हमारे यहां हैं और यदि आप ने ५, ५ सौ रुपये कम कर भी दिये तो इससे अपने प्रदेश की कोई ग़रीबी दूर नहीं होगी, तो श्रीमन्, जब हमने यह संशोधन रखा था तो इस ख्याल से नहीं रखा था कि इससे हमारे प्रदेश के आर्थिक ढांचे में एक बड़ी तब्दीली हो जायगी। लेकिन एक बात मैं चाहता था कि आजकल का जो सामाजिक वातावरण है उसमें जो मनी वैल्यू तथा योग्यता पर ज्यादा इम्फेसिस दिया जाता है बजाय इसके सर्विस के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस दिया जाय। कोई भी साहब वाइस चांसलर के पद पर इसलिये आयें क्योंकि उनको अधिक सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। न कि इसलिये कि उनको अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी और ज्यादा उनके ठाट-बाट या शान-शौकत हो जायगी। तो हमें अपने देश म एक ट्रेंड पैदा करना है, एक साइकालोजी पैदा करनी है। यह कोई सवाल नहीं है कि इतना रुपया सरकार को बच जाय या युनिवर्सिटी को बच जाय क्योंकि कहीं न कहीं तो हमको यह शुरू करना ही पड़ेगा।

तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस छोटे संशोधन को कि वाइस चांसलर की तनख्वाह १५०० रुपया होगी, मान लिया जाय। कम से कम इससे यह चीज पैदा होगी और लोग समझेंगे कि हम उस दिशा की तरफ चलना चाहते हैं जहां कि तनख्वाहें कम हों और विशेष तौर से जब कि अध्यापकों की आम तौर से तनख्वाहें इतनी कम हैं, वाइस चांसलर की इतनी अधिक तनख्वाह मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिये बल्कि सिर्फ १५०० रुपया होनी चाहिये, यह भी किसी मानी में कम नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री देवकीनन्दन विभव--जी हां, उसी सिलसिले में कहना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष--पहले संशोधन पेश हो जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव--आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खण्ड ६ में प्रस्तावित नई धारा ९ की उपधारा (४) की पंक्ति १ में शब्द "२००० रुपये" के स्थान पर शब्द "१२०० रुपये" रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारी सोशलिस्ट पार्टी के जो डिप्टी लीडर साहब हैं त्रिपाठी जी और उनके एक दूसरे साथी ने यह रखा कि चूंकि यह हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि किसी को वेतन एक हजार से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिये इसलिये हम यह संशोधन उपस्थित करते हैं, तो कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न को एक पार्टी लाइन का रंग दे कर उन्होंने उन लोगों की पोजीशन को कुछ कठिन कर दिया जो कि इसमें कम वेतन रखना चाहते हैं। वास्तव में बात यह है कि हमारे देश के ऐडमिनिस्ट्रेशन का व्यय कम किया जाय यह केवल पी० एस० पी० का ही सिद्धांत नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का न केवल निश्चय किया है बल्कि इसमें क्रियात्मक कार्य भी किया है। आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में मिनिस्टर्स को वेतन ३,००० रु० दिया जाता था।

एक सदस्य--५००० रुपया दिया जाता था।

श्री देवकीनन्दन विभव--यह तो उससे पहले की बात है। खैर, उसका अगर मूल्यांकन किया जाय तो क़रीब-क़रीब २०,००० रुपया आज के मूल्य में होता है लेकिन उसके बाद जो ३००० रु० उसका मूल्य हुआ वह १२,००० हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय और दूसरे मन्त्रियों ने यह उदाहरण रखा कि उन्होंने १२०० रुपया महीना ही स्वीकार किया जब कि ३००० का १२००० मूल्यांकन करते हुये यह रक़म उसका केवल १० प्रतिशत होती है। तो कांग्रेस पार्टी का विशेष ध्यान इस ओर है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कम हो और उसका आदर्श भी उन्होंने उपस्थित किया है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश के ऐडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट कम नहीं हुई। हमें जो विरासत में एक ऐडमिनिस्ट्रेशन मिला उसकी जहां कोई खूबी भी हो सकती है उसके साथ एक यह बदनसीबी भी है कि उसकी कास्ट, उसका दृष्टिकोण एक भिन्न है, एक भिन्न शासन पद्धति में उसका निर्माण हुआ था। उस समय निर्माण हुआ था जब कि एक कमिश्नर का वेतन ३००० रुपये से ५००० रुपये तक नियत किया गया था। जब कि हमारे देश के एक अध्यापक को १५ रुपया वेतन कठिनाई से दिया जाता था। तो आज जो यह बड़े वेतन और छोटे वेतन में डिस्पैरिटी है उसको कम करना केवल पी० एस० पी० का कार्य नहीं है, कांग्रेस का भी कार्य है।

कांग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में यह नियत किया था कि कम से कम वेतन जहां ५० रुपया होना चाहिये, वहां पांच सौ रुपया से अधिक वेतन नहीं होना चाहिये यानी दसगुने से ज्यादा डिस्पैरिटी वेतन में नहीं होना चाहिये। उस चीज को देखते हुये जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, इसमें सन्देह नहीं कि आज जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वेतनों का कम करना कितने ही कारणों से बड़ा कठिन है, लेकिन आखिर हमें इस ओर क़दम उठाना पड़ेगा। देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में हमें क़दम उठाना पड़ेगा और कहीं न कहीं उसका प्रारम्भ करना पड़ेगा। मेरे खयाल में शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें हमें इस आदर्श के लिये विशेष स्थान है। आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति में, प्राचीन भारत में जहां बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आते थे वहां वे अपनी सेवाओं के मूल्यांकन धन से नहीं करते थे। उनको पूज्यनीय मान कर उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव समाज रखता था उससे उनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता था। उसी तरह आज

भी वाइस चांसलर का पद ऐसा है जो धन से नहीं नापा जा सकता है । यदि हमको एक प्रदेश में मुख्य मंत्री के पद के लिये योग्य से योग्य व्यक्ति कम वेतन पर मिल सकता है, तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि वाइस चान्सलर के पद के लिय कम वेतन पर हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा। मेरा खयाल है कि मिलना चाहिये और अवश्य मिलना चाहिये। विशेष तौर से शिक्षा के क्षत्र में जहां कि वाइस चांसलर हमारे युवकों के लिये, हमारे विद्यार्थियों के लिये, आदर्श होता है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि वाइस चान्सलर चमकती हुई मोटरों में घूमे। जिन के दिल में साधारण जीवन व्यतीत करने का आदर्श नहीं है, मेरा ख्याल यह है कि वे विद्यार्थियों के लिये कोई उपयुक्त उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकते।

यह जो कहा जाता है कि हमें उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे, इसपर मैंने बड़ी गम्भीरता से सोचा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मेरा ख्याल यह है कि आज देश में पैसे के दृष्टिकोण का बाहुल्य है, तब भी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा और देश की सेवा करने के लिये अवश्य आगे आयेंगे। मेरा ख्याल यह है कि इसको प्रारम्भ करने के लिये शिक्षा का क्षेत्र सब से उपयुक्त क्षेत्र है। उसमें यदि हम दो हजार के स्थान पर वेतन १२ सौ कर दें तो मेरा ख्याल यह है कि कोई उसमें हानि नहीं होगी। यह कठिनाई है कि दूसरी युनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर को अधिकतर दो हजार से कम वेतन नहीं मिलता है। यह कठिनाई आगरा युनिवर्सिटी के साथ है और आगरा युनिवर्सिटी वह युनिवर्सिटी है जिसके अन्तर्गत ६६ कालेजेज हैं जिनमें कोई-कोई बड़े महान् कालेजेज हैं जिनका इतिहास सौ वर्ष से भी पुराना है। ऐसी बड़ी युनिवर्सिटी के लिये मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुत योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। लेकिन इस ओर जब हम निगाह डालते हैं तो यह देखते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर को दो हजार रुपया मिलता है और आगरा युनिवर्सिटी के वाइसचांसलर को सिर्फ १२ सौ रुपया ही नियत किया गया है तो यह एक हीनता की भावना मनी मार्केट में मालूम होती है। परन्तु मेरा ख्याल यह है कि इस पर भी आगरा युनिवर्सिटी एक आदर्श उपस्थित करेगी और वह न केवल अपने लिये बल्कि दूसरी युनिवर्सिटियों के लिये भी, अगर वह कम वेतन नियत करे। इस वक्त जो डिस्पैरिटी अध्यापकों और दूसरे उच्च पदस्थ अधिकारियों में है, शासन अधिकारियों और दूसरे लोगों के बीच में है उसे कम किया जाय और इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर जरा गम्भीरता से विचार करें और यदि सम्भव हो सके, अगर कोई बहुत बड़ी व्यावहारिक कठिनाइयां न हों, तो मैं चाहता हूं कि वे इसे स्वीकार कर लें।

हमारे भाई श्री नवल किशोर जी ने अभी १५०० रुपया रखा और हमारे पी० एस० पी० के भाई ने १००० रुपया रखा। हमारे पी० एस० पी० के भाई तो मजबूर हैं चूंकि एक हजार रुपया उनकी पार्टी का मैनडेट है इसलिये वे एक हजार से ज्यादा कह ही नहीं सकते हैं। उनकी बात तो सिर्फ एक मेकेनिकल फार्म में है और वह कोई मस्तिष्क की बात नहीं है । तो केवल हर जगह तोते की तरह रिपीट कर देना है कि एक हजार रुपया होना चाहिये। मगर जहां तक प्रगतिशीलता की बात है मैं अपने पी० एस० पी० के भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्रगतिशीलता केवल उनके क्षेत्र में ही सीमित नहीं है। कम वेतन ही प्रगतिशीलता है तो हमारे सदस्यों में भी है बल्कि हमारे एक सदस्य तो उनसे भी ज्यादा प्रगतिशील होने का दावा करते हैं और वे केवल साढ़े सात सौ रुपया ही नियत करते हैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि १२०० रुपया जो कि हमारे यहां मिनिस्टर की तनख्वाह नियत है जिसे कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नियत किया है वह हमारा एक दृष्टिबिन्दु होना चाहिये और हमको धीरे-धीरे जितने भी उच्च पदाधिकारियों की तनख्वाहें हैं उन्हें १२०० पर ही नियत करना चाहिये। मेरा केवल यही निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखण्ड (४) की पंक्ति १ में

[श्री श्रीचन्द]

"Rs. 2,000" के स्थान पर "Rs. 750" और पंक्ति ३ में "Rs. 200" के स्थान पर "Rs. 75" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन से पहले जो ३ संशोधन रखे जा चुके हैं वे तीनों नियम विरुद्ध हैं। उन सब से तो मैं नियमित यही समझता हूं कि अधिनियम में जो २,००० रु० वेतन और २०० रुपया किराया मकान रखा गया है वही उचित है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि वैधानिक रूप से १० प्रतिशत मकान का किराया रखा जाता है उसके लिहाज से तीनों संशोधन नियम विरुद्ध हो जाते हैं। अब रहा यह कि विधेयक में जो कुछ लिखा हुआ है और जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है, इसमें किस लिये मैं यह चाहता हूं, यह मैं आप के सामने बतला देना चाहता हूं। इस समय हमारे देश की जो स्थिति है उसी के अनुसार हमें चलना है। इससे पहले कल परसों भी मेरा एक संशोधन इसी आशय का था। मैं तो यह समझता हूं कि केवल यह दो संशोधन ही इस अधिनियम में ऐसे थे जो हमको बड़े ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं।

हम देखते हैं कि चारों ओर ऐसे ही विचारों की धूम मची हुयी है। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि पदों की शान का ध्यान रखा जाय। मैं उसको इस प्रकार से मानता हूं कि हमारे कुछ विचार अंग्रेजों के समय के ऐसे हैं कि वह अभी तक हमारे दिल के अन्दर घर किये हुये हैं। यही कारण है कि पदों की शान का ध्यान रखते हुए हम इन्हीं विचारों पर आते हैं कि पदों के अनुसार वेतन दिया जाय।

श्रीमान् जी, यदि पदों का ध्यान रखा जायगा तो हमारे देश की दशा बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगी जैसी कि विदेशी हुकूमत के समय में थी। अब हमें इसको बदलना है। गांधी जी ने बतलाया है कि सेवा भाव रखें और गरीबों की सहायता करें। हमें अपने को बलिदान देना है। इसका अर्थ यह है कि अपने ऐश, हित, आराम, खाने-पीने और रहन-सहन के मामलों में हम कुछ कष्ट भी सहकर दूसरे प्रकार से रहें तो अच्छा है। हम यह समझते हैं कि दो-तीन हजार रुपये पाने वाले जो सज्जन हैं उनका ध्यान अपने इन छोटे भाइयों की ओर नहीं है। आपके सामने जो चपरासी खड़े हैं उनको ४०, ५० रुपये माहवार वेतन मिलता है। कोई अवसर हुआ तो मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि अपने छोटे भाइयों का वेतन १०० रुपये से कम न हो और अधिक से अधिक ५०० रुपये हो।

मैं आप से साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यदि यह प्रस्ताव आप मान लें और अपने पद और इज्जत का जो एक गलत अर्थ लगाया जाता है, ध्यान न दें तो आज आपकी जनता हो जाय और कांग्रेस गवर्नमेंट पर जो उंगलियां उठती हैं वह न उठें। मैं प्रतिदिन देख रहा हूं ऐसी बातें वह बन्द हो जाय। कांग्रेस गवर्नमेंट से उनकी बहुत ज्यादा सहानुभूति है। उनकी दशा यही है जैसे किसी का इकलौता बेटा कुटेव में पड़ गया हो और वह छुड़ाने में विवश हो। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हम थोड़े में भी अपनी गुजर कर सकते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि एक मनुष्य जिसे २, ३ हजार रुपया मिले वह क्यों उन हमारे छोटे भाइयों को नहीं देखता जिनको ४०, ५० रुपये मासिक वेतन मिलता है। वह भी हमारे साथी हैं, वह भी अपनी गुजर अपने बच्चों का पेट काटकर करते हैं।

इस समय हमारे डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज भी हैं क्या उनकी पोजीशन किसी भी दशा में कुछ कम है। मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर की पोजीशन से किसी भी दशा में उनकी पोजीशन कम नहीं है। फिर उनको किस तरह से ७५० रुपये माहवार दिये जा रहे हैं। इसलिये जो मैंने रखा है वह कम नहीं है किसी एक कुटुम्ब के गुजारे के लिये और अच्छे प्रकार से रहने के लिये प्रायः यह कहा जाता है कि महंगाई

के कारण यह वेतन बढ़ाये जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि महंगाई है। लेकिन छोटे आदमियों की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया। उनके लिये भी तो महंगाई है।

श्रीमान् जी, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा और मैं समझता भी हूं कि मुझे जल्दी ही खत्म करना चाहिये लेकिन जो आवश्यक बातें हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिये मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। यह आवश्यक है कि महंगाई है लेकिन वेतनों में इतना अन्तर होना उचित नहीं है मैं समझता हूं कि यह जो हमारे छोटे भाई हैं क्या उनको खाने के लिये, कपड़े के लिये तथा मकान के लिये कुछ आवश्यकता नहीं है। गर्मी सर्दी क्या उनको नहीं लगती है। उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिये। अपने प्रस्ताव को ध्यान में रखकर यदि हम यह करें कि कम से कम वेतन हो तो ठीक है। यह बात जरूर है कि कुछ जगह ऐसी हैं जिनका वेतन कम करने में हम विवश हैं। वैधानिक रूप से तथा समझौते से हमने यह निश्चय कर लिया और यदि हम उनको कम करेंगे या तोड़ेंगे तो हमारी विदेशों में बदनामी होगी क्योंकि हमारी साख जाती है इसलिये जहां हम उच्च वैतनिकों का वेतन कम नहीं कर सकते तो भी हमें यह विश्वास है कि बड़े वेतन पाने वाले अधिक से अधिक तीन चार साल में अपने आप ही रिटायर हो जायंगे। लेकिन यदि हम यह एक नयी परिपाटी चला दें, कई-कई हजार वेतन आरम्भ कर दें तो यह और भी बुरी बात होगी। यह उदाहरण हमारे मंत्रियों ने जनता के सामने रख दिया है कि पहले जो वेतन अधिक था और गत वर्ष से कुल १२०० रखे हैं और आगे भी मैं समझता हूं कि यही प्रयत्न है कि कम से कम वेतन लिया जाय। यदि इसी प्रकार से वेतन बढ़ता रहा तो रुपया कहां से आयेगा। पहले ही जनता के सामने एक बड़ा संकट दिखायी देता है, टैक्सेशन की भरमार है, आबपाशी डयोढ़ी कर दी गयी है। मैं समझता हूं कि यह परमावश्यक है कि जनता के हित के लिये जैसे पंच वर्षीय योजना में काम हो रहा है तो उसके लिये रुपये की आवश्यकता है। फिर भी जहां तक हो सके हमें टैक्सेशन को कम करना चाहिये। और यह तब कम हो सकता है जब कि हम अपना व्यय कम करें। अब मैं इस पर अधिक न बोलते हुये इसको समाप्त करता हूं क्योंकि मेरे कुछ भाई उतावले से दिखायी दे रहे हैं। इसलिये मैं अंतिम बार फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि आप मेरे संशोधन को मान लें तो अपने देश के अन्दर एक प्रेम की लहर दौड़ जायगी और मैं तो यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक वर्ष या दो वर्षों में इसी प्रकार की बातें करनी होंगी। इसलिये अच्छा हो कि पहले से ही प्रारम्भ कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे अभी एक सूचना मिली है। एक माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल एक प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। इसलिये इस विषय पर थोड़ी देर के लिये बहस स्थगित होगी।

विधान सभा की बैठक का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज विधान सभा का अधिवेशन ५ बजे के बाद उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कांटीनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर चले और पारित होने तक समय विधान सभा के अधिवेशन का बढ़ा दिया जाय।

इस उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर को समाप्त होती है और कुछ परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक है कि इसकी अवधि और बढ़ा दी जाय। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और बिल्कुल नानकंट्रोवर्शल है और यह इसी से जाहिर हो जायगा कि इस विधेयक के ऊपर अभी तक कोई संशोधन नहीं आया है। इसलिये मेरी आपके द्वारा भवन से यह प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय राधाकृष्ण जी का यह प्रस्ताव स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज विधान सभा का अधिवेशन ५ बजे के बाद उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर चले और पारित होने तक समय विधान सभा के अधिवेशन का बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने वेतन को कम करने के बारे में रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की गरीबी को देखते हुये जो वेतन रखा गया है। वह बहुत ज्यादा है लेकिन आज-कल कालेजेज में प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटीज में हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स के जो वेतन हैं उनको देखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि कि वाइस चांसलर का भी वेतन वही हो जो सजेस्ट किया गया है और उसमें कोई कमी न की जाय। आज जो थर्ड रेट कालेजेज हैं उनके प्रिंसिपल्स को ८:९ सौ रुपया तनख्वाह मिलती है और दूसरे कालेजेज में १२ सौ, १३ सौ रुपया वेतन मिलता है। आगरा कालेज के प्रिंसिपल को ही ले लीजिये उसको १२ सौ रुपये तनख्वाह मिलती है और २०० रुपया अलाउन्स का मिलता है। इस प्रकार उसको १४ सौ रुपया मिलता है। इसको खते हुए वाइसचांसलर का वेतन ज्यादा नहीं है। जब तक आपके कालेजेज में और यूनिवर्सिटीज में ये लम्बे चौड़े वेतन हैं तब तक वाइसचांसलर का वेतन भी यही रखना होगा। यह तो नहीं कहा जा सकता कि किसको वाइसचांसलर चुना जायगा लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जो भी वाइसचांसलर होगा वह देश के उच्च कोटि के विद्वानों में से होगा। इसलिये ऐसे आदमी को २ हजार से कम दिया जाना उचित न होगा। इतना वेतन उसके लिये अधिक नहीं है। हमारे साथियों ने आचार्य नरेन्द्र देव जी का उदाहरण दिया। वे जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने हमेशा २ हजार रुपया तनख्वाह ली, और अब भी जब कि वे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हैं २२ सौ रुपया तनख्वाह ले रहे ह। यह हो सकता है कि उन्होंने बहुत सा रुपया उसमें से विद्यार्थियों को बांट दिया हो लेकिन उन्होंने तनख्वाह पूरी ली। मैं उन पर किसी भी प्रकार से कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, हम उनका आदर करते हैं, वे हमारे आदरणीय नेता हैं। अतः इन सब बातों को देखते हुए हमको यह वेतन कम नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि अभी तक आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कोई वेतन नहीं मिलता था। लेकिन जो दशा पहले थी और जो अब होने वाली है उसमें बहुत अन्तर है। यद्यपि वाइस चांसलर का पद वहां पर अभी तक आनरेरी ही था लकिन वहां पर वाइस चांसलर वही होता था जो कि वहां के कालेज में प्रिंसिपल या प्रोफसर होता था और उसको उस पद का वेतन मिलता था। आज भी जो वहां के वाइस चांसलर श्री महाजन हैं उनको भी करीब १ हजार रुपया वेतन मिलता रहा है। इन सब बातों को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि जो २ हजार वेतन रखा गया है वह अधिक नहीं है, उचित है और भविष्य में जब यूनिवर्सिटी और कालेजेज के टीचर्स के वेतन कम कर दिये जायं तभी यह संभव हो सकता है कि वाइस चांसलर का वेतन कम किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला आजमगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वेतन कम करने का सवाल है, सिद्धांततः इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हम

सब इस बात से सहमत हैं चाहे हम लोग इधर बैठे हों या उधर बैठे हों कि हिन्दुस्तान में अब जो वेतन निश्चित हो, वह हमारे देश की आर्थिक अवस्था को देखते हुये रखा जाय। तो इस समय जो तीन चार संशोधन आये हैं उनमें से मैं श्री देवकीनन्दन विभव जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि १२०० रुपये का जो एक स्टैन्डर्ड हमारे मिनिस्टरों ने रखा है उसी पर हमको अपना मापदंड बनाना चाहिये और इसी पर आधारित होना चाहिये। ये जो हमारे लोक प्रतिनिधि मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने जो अपना वेतन निर्धारित किया है वे किसी बात में किसी से कम योग्य नहीं हैं, न सेवा में, न कार्य भार में, और न प्रतिष्ठा में। अगर किसी तरह से भी आप विचार करें तो वे सब किसी से कम नहीं ठहरते। इसलिये उन लोगों ने जो १२०० रु० का स्टैन्डर्ड बनाया है अब आगे के लिये सारा वेतन इसी को केन्द्र मान कर, इसी को आधार मान कर निश्चित होना चाहिये। यह तो जहां तक वेतन के सम्बन्ध में निर्धारण का प्रश्न है मेरा अपना मत है।

इसके सिवा एक बात की तरफ विशेष तौर से मुझे इस हाउस का ध्यान दिलाना है। अभी हमारे देवरिया के एक माननीय सदस्य श्री रामेश्वर जी ने एक ऐसी बात कही, मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी बात कही या अन्जान में ही उनके मुंह से ऐसी बात निकल गयी जो मर्यादा की दृष्टि से कोई अच्छी या ऊंची बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में कहा कि वाइसचांसलर एक दर्पण होता है जिसमें लड़के अपनी तसवीर देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आचार्य नरेन्द्र देव जी यहां के वाइसचांसलर थे तब तक यहां की हालत कितनी अच्छी थी और उनके यहां से चले जाने के बाद कैसी हो गयी और इस समय आचार्य नरेन्द्र देव जी हिन्दू यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर हैं तो वहां की हालत कितनी अच्छी है और उनके चले जाने के बाद कैसी हालत हो जायगी। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया लेकिन उनका अभिप्राय किससे था इसको सब लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि उनका भाषण स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी के समक्ष भी पेश किया जाय तो वे इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि इस भाषण को कभी भी पसन्द नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपने भाषण का स्तर ऐसा ऊंचा रखना चाहिये कि जिसमें व्यक्तिगत आक्षेप या अपमान की बात न आने पावे। अपना भाषण करते हुए जो उन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण यहां पर प्रस्तुत किया है उससे एक को तो उन्होंने ऊंचा स्थान दिया और दूसरे को स्वभावतः बहुत नीचे स्थान पर गिरा दिया है। मैं यहां पर नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भावना उचित नहीं है। हमें दो बड़ों के बीच में इस प्रकार नहीं पड़ना चाहिये, 'को बड़ छोट कहत अपराधू।' यह मैं सोचता हूं जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी के समक्ष यह बात आवे तो वे उसे कभी पसन्द नहीं करेंगे। यह कहा जाता है कि आचार्य जुगल किशोर जी की वजह से यहां की यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी हुयी लेकिन मेरा कहना तो यह है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। उन पर जैसा रंग चढ़ा दीजिये चढ़ जायगा। मेरा तो कहना यह है कि लड़कों के खिलाफ जो बात कही जाती है वह गलत है, बल्कि उन बच्चों के पीछे तो लाल टोपी बोल रही थी, उनके पीछे पार्टीज काम कर रही थीं, बच्चे नहीं काम कर रहे थे। यों कहा जाय तो आचार्य नरेन्द्र देव जी के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपा करके संशोधन पर ही बोलें।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैंने तो पहले ही कहा था कि जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उसी का मैं उत्तर दे देना चाहता हूं। हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी आयुर्वेदिक कालेज के सिलसिले में कुछ आंदोलन उठे, सरकार द्वारा एक लाख से कुछ अधिक रुपया आयुर्वेद विभाग को दिया गया। उसे अन्य मदों में खर्च कर दिया गया। इस पर आंदोलन उठा। अनशन भी हुए जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी हैं किन्तु हमारी कांग्रेस सरकार ने उसका शमन किया। उसे दबाया। हमारी सरकार जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है उसे दबाती है। हम

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

सबको मर्यादा के अन्दर ही बात करनी चाहिये। जो १२०० रुपये का संशोधन रखा गया है, मैं इन शब्दों के साथ उसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं माननीय श्रीचन्द जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करूं पर मुझे खतरा है कि अगर मैं रामनारायण जी से कहूं कि उनके पक्ष में वे अपने संशोधन को वापस ले लें तो मुझे खतरा है कि माननीय श्रीचन्द जी आखिर में अपने संशोधन को वापस ले लें तो हमारा कार्य अधूरा रह जायगा। इसलिये मैं जो संशोधन रामनारायण जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर की जो पोजीशन है वह किसी तरह से भी इस देश का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उससे कम नहीं है। हमतो उनकी इतनी इज्जत करना चाहते हैं कि जो तनख्वाह हमारे राष्ट्रपति को मिलती हो और जो हमारे राज्यपाल को मिलती हो वही तनख्वाह हमारे वाइसचांसलर को भी मिले। इसीलिये सिद्धांततः हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि किसी की भी तनख्वाह १ हजार से अधिक नहीं होनी चाहिये और किसी की भी तनख्वाह सौ रुपये से कम न हो। और इसीलिये उसको सबसे अधिक तनख्वाह देने की बात रखी गयी है मुझे यह सुनकर दुख हुआ जब कि माननीय काटजू साहब ने यह कहा कि साहब अगर तनख्वाह इस तरह से की जायगी तो सारे धान एक पसेरी के हो जायेंगे। मैं तो माननीय काटजू साहब से यह आशा करता था कि वह इलाहाबाद के अमरूदों का भाव बतायेंगे लेकिन आज तो वह धान का भाव बताने लगे। जहां तक माननीय विभव जी का सवाल है वह तो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी हैं क्योंकि हमने एक हजार रखा और उन्होंने दो सौ रुपये अधिक रखा इसलिये वे प्रोग्रेसिव हो गये। नवलकिशोर जी ने १५ सौ रुपये रखा वे उनसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गये और सरकार ने २ हजार रुपया रखा तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गयी। और माननीय विभव जी तो इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वह आज सुबह प्रश्न पूछकर चावल बो कर धान पैदा करना चाहते थे। हमने एक हजार रख दिया हम बिलकुल प्रोग्रेसिव नहीं हैं लेकिन वह दो सौ रुपया बढ़वाकर प्रोग्रेसिव हो गये यह बात समझ में नहीं आई।

आज तनख्वाह का मसला एक बाजारी भाव हो गया कोई साढ़े सात सौ कहता है कोई १२ सौ कहता है और कोई १५ सौ कहता है। किसी का कोई सिद्धांत नहीं है। एक सिद्धांत होना चाहिये। जैसे करांची रिजोल्यूशन कांग्रेस का था फंडामेंटल राइट्स तय करते वक्त यह तय हुआ था कि किसी की तनख्वाह ५ सौ रुपये से ज्यादा न हो। हमारी पार्टी ने एक सिद्धांत की बात कही है कि किसी की तनख्वाह एक हजार से ज्यादा न हो और किसी की तनख्वाह सौ रुपये से कम न हो। यह सिद्धांत की बात है लेकिन यह १२ सौ और १५ सौ हो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जैसा रखा है वही कुछ सिद्धांत पर है कि और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की तनख्वाह २ हजार रखी गयी है इसलिये आगरा यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर की तनख्वाह भी दो हजार रखी गयी है। यह एक सिद्धान्त की बात हो सकती है जब तक कोई और बात तय न हो और हो सकता है कि वह उस वक्त तक ठीक हो लेकिन हम समझते हैं कि आज हमें एक नमूना देश के सामने रखना है। जो विद्या के केन्द्र हैं, जो शिक्षा के इंस्टीट्यूशन्स के हेड्स हैं उनकी तनख्वाह अगर हम एक हजार रुपया सिद्धान्ततः रख लेंगे तो मैं समझता हूं इससे कोई बहुत बड़ी कि खराबी होनेवाली नहीं है। माननीय विभव जी ने कहा था और ठीक ही कहा था कि यह रुपये की बात नहीं है कि रुपया कम होने से कोई वाइस चांसलर नहीं टिक सकता। मैं कहता हूं कि अगर न भी तनख्वाह दी जाय तो भी वाइसचांसलर रहेगा, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो जहां तक रुपये का सवाल

है वह बात नहीं है। हां उनको जितना खर्चा है वह मिलना ही चाहिये। अगर वह नहीं मिलता है तो फिर वह दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। हम समझते हैं यह ठीक नहीं है कि जिनको हम इतने बड़े पद पर रख रहे हैं उनके लिये कोई व्यवस्था न की जाय। इसलिये उनके लिये तनख्वाह भी उतनी रखनी चाहिये जिससे वे अपनी गुजर कर सकें और मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक हजार रुपया स्वीकार कर ले। मैं यह चाहता हूं कि इस मसले पर कुछ समय और मिले और और सदस्य भी अपना विचार लोगों के सामने रखें। जो हमारा प्रस्ताव १००० रुपये के लिये रखा गया है उसको स्वीकार करना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष—अब ५ बज गये हैं तो आइटम नम्बर ७ लिया जायगा।

*उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक विवादास्पद नहीं है क्योंकि अब भी भारत सरकार और इस प्रांत की सरकार के पास काफी मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है। उसके लिये स्टोरेज का रखना जरूरी है। इस अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर १९५३ ई० को खत्म होने जा रही है इसलिये इस विधेयक के द्वारा इस अवधि को एक साल के लिये और बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त हमारे पास २,४६,२३७ टन अनाज भारत सरकार और इस सरकार का है। इसलिये स्टोरेज की जरूरत है और इस अधिकार की जरूरत है कि आवश्यकता पड़ने पर इन स्टोरेज का रिक्वीजीशन किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के सामने पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल हमारे सामने रखा है उसके उद्देश्य में उन्होंने हमको यह नहीं बताया कि जो राशनिंग की व्यवस्था हमारे प्रांत में है उसके लिये उनको किस शहर के अन्दर कितने मकानों की जरूरत है और कहां-कहां पर गोदाम रिक्वीजीशन करने पड़े और क्या हालत इस राशनिंग विभाग की हमारे प्रांत में है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वह हमको यह सब बतला सकें और इन सब बातों के बिना हम इस बिल पर कैसे विचार कर सकते हैं और कैसे एक साल की मियाद बढ़ा सकते हैं। वह चाहते हैं कि थोड़े समय में ही यह सब काम हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी-ऐसी मिसालें हैं और ऐसी खबरें हमारे पास आयी हैं कि मकान ले लिया गया राशनिंग गोदाम के लिये लेकिन वहां पर आजकल सिनेमा चल रहे हैं। अगर हमको यह पता चले कि जो मकान राशनिंग के लिये रिक्वीजीशन किये गये हैं गल्ला उनमें रखा गया है या नहीं रखा गया है तो कुछ बात समझ में आ सकती है। गाजियाबाद की एक मिसाल है कि एक गोदाम वहां पर राशनिंग के लिये लिया गया लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने वहां पर जाकर देखा कि सिनेमा चल रहा है। अगर सिनेमा चलाना भी राशनिंग विभाग में आजाता है तो तब बात दूसरी है। इसलिये हम चाहते हैं कि जहां पर राशनिंग की जरूरत है वहां के बारे में हमको यह मौका मिले कि हम सब बातें जानें। अभी हम अपने पहाड़ी इलाके से आ रहे हैं। हमारे यहां लोग इतने गरीब हैं कि वे लोग बाजार से गेहूं नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हमारे यहां गोदाम खाली पड़े हुये हैं। हमारे यहां बाजरे की खपत ज्यादा है क्योंकि वह गरीब लोग हैं कोर्स ग्रेन ही वह खरीद सकते हैं। हमारे इलाके से और भाई भी यहां पर आये हैं वह सब जानते हैं कि बाजरा ही ऐसा है जो गरीब लोग खरीद सकते हैं लेकिन उसका भी पूरा प्रबन्ध नहीं है। नाम के लिये थोड़ा सा वहां पर गेहूं रख दिया जाता है पर उसको वहां पर लोग खरीद नहीं सकते हैं

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

तो राशनिंग के लिये जो गोदाम लिये जा रहे हैं और जिन जिलों को राशन की जरूरत है वहाँ राशन पहुंचता ही नहीं है तो फिर गोदाम लेने की सरकार को जरूरत क्या है। अगर गेहूं का सवाल है या और थोड़ी सी चीजें रखने का सवाल है तो सरकार के पास जितने पहले के गोदाम हैं उन्हीं में यह चीजें रखी जायं। इसलिये अगर सरकार हमें बता दे कि किस किस जिले में उसके पास कितने-कितने गोदाम हैं और उन में क्या-क्या भरा हुआ है और आगे कितने की उसको आवश्यकता है तो हम कुछ निश्चित कर सकें। जहाँ अब राशन नहीं है वहाँ गोदामों की अब क्या जरूरत है। पूर्वी जिलों में व पहाड़ी जिलों में जहाँ पर राशन की व्यवस्था अभी चल रही है वहाँ जरूर उनकी जरूरत है लेकिन जब वहाँ अनाज पहुंचता ही नहीं है तो फिर गोदाम ही हो कर क्या करेंगे। अगर सरकार हमें यह इन्फारमेशन दे दे तो हम इस बिल के खण्डों पर विचार कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि अब इस रिक्वीजीशन के क़ानून की क्या आवश्कता है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, अभी सरकार की ओर से जो बिल पेश किया गया है उसके उद्देश्य से तो मैं सहमत हूं कि सरकार को अपना ग़ल्ला रखने के लिये ऐसी इमारतों की जरूरत है और सरकार इसकी मियाद जो एक साल के लिये बढ़ाना चाहती है वह ठीक है लेकिन मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि यह गोदाम जो लोगों ने बनाये हैं और जिस तरह से आज सरकार उनको अपने काम में ला रही है वह ठीक है लेकिन जैसा कि मेरे मित्र ने बताया कि कुछ लोगों ने कंट्रोल का सामान लेकर इमारतें बना ली हैं जो सिनेमा के लिये बनाई हैं अभी वह सरकार के अधिकार में हैं और बहुत से ऐसे हैं कि इस नाम से बनवा कर किसी तरह से छुड़ा लिये हैं और उनमें सिनेमा चला रहे हैं जिस पर लोगों को आपत्ति है। गोदाम की बात तो दूसरी है लेकिन हमारे पास इस तरह की एक रिपोर्ट आनी चाहिये कि कहाँ-कहाँ इस तरह की कितनी इमारतें बनी हैं और उनमें क्या-क्या भरा हुआ है और कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमान् जी, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और कुछ क्षण बाद कोरम होने पर सदन की कार्यवाही फिर आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब वह भवन में अधिक बैठना चाहते हों तो वह इसका प्रबन्ध कर लिया करें कि उस तरफ़ के सदस्य यहाँ बैठे रहा करें।

मैं उस वक्त यह अर्ज कर रहा था कि मैं इस बिल के उद्देश्य से तो सहमत हूं लेकिन यह बताना चहता हूं कि इसके अन्दर जो बहुत से लोगों ने सिनेमा की इमारतें बना ली हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि जब गोदाम हट जायगा तो सिनेमा बन जायगा, तो ऐसे लोगों पर सरकार कंट्रोल रखे और ऐसी इमारतों को सिनेमा घरों में परिवर्तित न होने दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारा बिल है वह इतना आवश्यक है कि सरकार ने कंट्रोल कर के और ग़ल्ला बचा कर के जब भुखमरी का हल्ला चारों तरफ मचा हुआ था तो उसने चरी, चना, गेंहूं, जौ आदि इकट्ठा कर के उन जगहों पर भेजा। बंगाल का जो अकाल हुआ उसमें ६ महीने के अन्दर ५० लाख आदमी मर गये लेकिन हमारे यहाँ ४ साल तक सूखा पड़ा और हमारी सरकार ने ४ साल तक यहाँ के लोगों को खिलाया। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाय ताकि हम सबको छुट्टी मिल जाय।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, उपाध्याय जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो विवरण माँगा है जहाँ तक कि तमाम शहरों में जहाँ पर स्टोर्स हैं उनकी बात कही है, उसके देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्टोर्स की जब तक आवश्यकता होती है तभी तक वे रखे जाते हैं और जैसे ही आवश्यकता खत्म होती है उसको छोड़ दिया जाता है। लिहाज़ा उसका विवरण तफसील के साथ देना तो इस सदन का समय नष्ट करना होगा लेकिन जहाँ तक पहाड़ों का जिक्र उपाध्याय जी ने किया तो पहाड़ों का तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। बाजरा नहीं वहाँ तो गेहूं भेजा जाता है। आपने इसका जिक्र किया कि जो स्टोर्स हैं उनको सिनेमा हाउसेज के अन्दर तब्दील कर दिया गया है तो इसका तो इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि कोई स्टोर रहा हो पहले, बाद में गवर्नमेंट ने उस को लीज कर दिया हो जब कि उसकी आवश्यकता खत्म हो गई हो और उसको सिनेमा घर बना दिया गया हो। तो जैसा कि वीरेन्द्र शाह जी ने कहा है कि एक अलग विधेयक उसके लिये लाकर इसकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जहाँ तक उसके उद्देश्य का संबंध है, इस की परिधि का सवाल है, आप ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक इसकी आवश्यकता का सवाल है, जहाँ राशनिंग है वहाँ आवश्यकता नहीं है कि स्टोर्स रखे जायें बल्कि जहाँ पर उत्पादन होता है, जहाँ बड़ी-बड़ी मंडियाँ होती हैं वहाँ पर भी स्टोर्स होते हैं जैसे हापुड़ में मंडी है, खत्तियाँ हैं वहाँ पर स्टोर्स की आवश्यकता होती है। तो इस वक्त जहाँ तक इस कानून के प्रयोग का सवाल है वह कम से कम किया गया है। ज्यादातर समझौते से ही स्टोर्स को सरकार ने लिया है लेकिन जहाँ समझौते से भी स्टोर्स का मिलना नामुमकिन हो गया है वहीं पर इस अधिनियम का प्रयोग किया गया है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त ४९ खत्तियाँ और १,२७१ गोडाउन्स हैं। इनके अन्दर १९,६८३ टन की एकोमोडेशन है। इसके अलावा समझौते से इस साल के अन्दर १,०३१ खत्तियाँ और ३१८७ गोडाउन्स लिये गये हैं जिसमें कि ३,९९,१८२ टन अनाज रखा जा सकता है और रिक्वीजीशन में तो केवल १७० खत्तियाँ और २९९ गोडाउन्स हैं जिनके अन्दर केवल १,१४,७३८ टन अनाज रखा जा सकता है और एकोमोडेशन की दृष्टि से जितना मौजूदा अनाज पास में है कम से कम उसके दुगुने से ज्यादा एकोमोडेशन का प्रबन्ध करना पड़ता है। तो राशनिंग की व्यवस्था काफी जगह पर कम हो गई है लेकिन चूंकि फिर भी दो ढाई लाख टन के क़रीब अनाज और आगे आ सकता है इसीलिये इस विधेयक की आवश्यकता है और यह सदन के सामने इसीलिये उपस्थित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजिशन (कंटीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट १९४७, जो सन् १९४९ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट द्वारा संशोधित तथा जारी रहा, ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक प्रचलित रहेगा और प्रचलित समझा जायगा तथा उसकी समाप्ति पर यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के आदेश उसी प्रकार लागू होंगे मानों उस समय यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (ऐक्ट) से रद्द किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ का जारी रखा जाना। यू० पी० ऐक्ट सं० ४, १९४९ ई०।

स्पष्टीकरण—सन् १९४८ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट के निर्देश (reference) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ और उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ का निर्देश भी है।

उ० प्र० अधिनियम सं० ३१ १९५१ ई०।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०

यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ ई०।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को और आगे जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५३।

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट १९४७ को ३१ दिसम्बर, १९५३ तक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा जारी रखा गया था और उक्त ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५४ तक जारी रखने की व्यवस्था करनी है।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१— (१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रिएम्बिल, शीर्षक तथा खंड १ इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ दिसम्बर, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

कबाल टाउन्स को दिये गये कोयला चूर के आंकड़ों की सूची

(आँकड़े वैगनों में)

क्रम सं०	नगर			सन् १९५१ ई०	सन् १९५२ ई०
१	कानपुर	..	..	२२०३*	११२०*
२	इलाहाबाद	..	..	७१६	५८३
३	बनारस	..	..	५४९	२६१
४	आगरा	..	..	९५८	४५३
५	लखनऊ	..	..	१०२३	७५३

नोट—*कानपुर जिले में सन् १९५१ और १९५२ में भट्ठा मालिक संघ, कानपुर को ब्लाक परमिट दिया गया था। अतः नगर तथा ग्रामीण-क्षेत्रों में स्थित भट्ठे वालों को कितना-कितना कोयला दिया गया, बताना सम्भव नहीं है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०२ एल० ए०—१९५४—८५०।